(11)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2009/पौष 30, 1930
No. 11] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2009/PAUSA 30, 1930

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2009

सं. एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2008 है।

(2) ये विनियम 1-4-2009 से प्रवृत्त होंगे और जब तक इनका आयोग द्वारा पहले पुनर्विलोकन नहीं किया जाता या विस्तारित नहीं किए जाते, ये प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होंगे :

परंतु यह कि जहां कोई परियोजना या उसका भाग, इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया जाता है और जिसका टैरिफ उस तारीख तक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अवधारित नहीं किया गया है वहां यथास्थिति, ऐसी परियोजना या उसके भाग के संबंध में, टैरिफ 31-3-2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

2. **विस्तार तथा लागू होना** :—ये विनियम उन सभी मामलों को लागू होंगे जहां गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर आधारित से भिन्न उत्पादन केंद्र या उसके यूनिट या पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ अधिनियम की धारा 79 के अधीन पठित धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया जाना है।

3. **परिभाषाएं** :—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) "वास्तविक रूप से उपगत" से उपयोगी आस्ति के सृजन या अर्जन के लिए निधि, अर्थात् ईक्विटी और/या ऋण, जो वास्तविक रूप से नियोजित या नकद संदत्त की गई हो या नकद के समतुल्य हो, अभिप्रेत है और इसमें ऐसी वचनबद्धता या दायित्व सम्मिलित नहीं है जिसके लिए कोई संदाय नहीं किया गया है ;

(3) "अतिरिक्त पूंजीकरण" से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् वास्तविक रूप से उपगत या उपगत होने वाला तथा विनियम 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के पश्चात् स्वीकृत पूंजी व्यय अभिप्रेत है ;

(4) उत्पादन केंद्र के संबंध में, 'सहायक ऊर्जा उपभोग' या 'एयूएक्स' से उत्पादन केंद्र के सहायक उपस्कर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की मानकीय मात्रा जिसमें उत्पादन केंद्र के भीतर ट्रांसफार्मर हानियां भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है और इसे उत्पादन केंद्र की सभी इकाइयों के जनरेटर टर्मिनलों पर उत्पादित कुल ऊर्जा की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा ;

(5) 'संपरीक्षक' से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 और 619 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त संपरीक्षक अभिप्रेत है ;

(6) उत्पादन केंद्र के संबंध में, "फायदाग्राही" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे किसी उत्पादन केंद्र से उत्पादित विद्युत का क्रय करता है या जिसका टैरिफ इन विनियमों के अधीन अवधारित किया जाता है ;

(7) संयुक्त आवर्तन ताप उत्पादन केंद्र के संबंध में "ब्लॉक" के अंतर्गत दहन टर्बाइन जनरेटर (जनरेटरों), सहबद्ध अपशिष्ट तापन रिकवरी बायलर (बायलरों), संबद्ध स्टीम टर्बाइन जनरेटर और सहायक उपकरण सम्मिलित हैं ;

(8) "पूंजी लागत" से विनियम 7 में यथापरिभाषित पूंजी लागत अभिप्रेत है ;

(9) "विधि में परिवर्तन" से निम्नलिखित होने वाली कोई भी घटना अभिप्रेत है :–

(i) किसी विधि के अधिनियमन, प्रभावी करने, स्वीकार, प्रख्यापन, संशोधन, उपांतरण तथा निरसन ; या

(ii) सक्षम न्यायालय, अधिकरण या भारतीय सरकारी लिखतों द्वारा किसी विधि के निर्वचन में परिवर्तन, जो ऐसे निर्वचन के लिए विधि के अधीन अंतिम प्राधिकारी हैं ।

(iii) परियोजना के लिए किसी सक्षम कानूनी प्राधिकरण द्वारा परिवर्तन, किसी सहमति, अनुमोदन या अनुज्ञप्ति प्राप्त या अभिप्राप्त करना ।

(10) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(11) "अंतिम तारीख" से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष के दो वर्ष के पश्चात् समाप्त होने वाले वर्ष का 31वां मार्च अभिप्रेत है और यदि परियोजना वर्ष के अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित की जाती है तो अंतिम तारीख वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष के तीन वर्षों के पश्चात् समाप्त होने वाले वर्ष का 31वें मार्च होगी ;

(12) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" या "सीओडी" से, –

(क) थर्मल उत्पादन केंद्र के यूनिट या ब्लॉक के संबंध में, फायदाग्राही को सूचना देने के पश्चात् सफलतापूर्वक परीक्षा पर चलाकर अधिकतम निरंतर रेटिंग (एमसीआर) या संस्थापित क्षमता (आईसी) का प्रदर्शन करने के पश्चात् उन 0000 घंटों, जिनकी अनुसूचीकरण प्रक्रिया भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार पूर्णतः कार्यान्वित की जाती है, उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है तथा संपूर्णतः उत्पादन केंद्र के संबंध में, उत्पादन केंद्र की अंतिम यूनिट या ब्लाक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अभिप्रेत है ;

(ख) हाइड्रो उत्पादन केंद्र के यूनिट के संबंध में, फायदाग्राहियों को सूचना देने के पश्चात् उन 0000 घंटों से, जिसकी अनुसूचीकरण प्रक्रिया भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार पूर्णतः कार्यान्वित की जाती है, उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित

तारीख अभिप्रेत है, तथा संपूर्णतः उत्पादन केंद्र के संबंध में, फायदाग्राहियों को सूचना देने के पश्चात् सफलतापूर्वक परीक्षण पर चलाकर उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता की तत्स्थानी व्यस्तम क्षमता का प्रदर्शन करने के पश्चात् उत्पादन केंद्र द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है :

टिप्पण

1. यदि तालाब या भंडारण के साथ हाइड्रो उत्पादन केंद्र अपर्याप्त जलाशय या तालाब स्तर के कारणों के लिए संस्थापित क्षमता की तत्स्थानी व्यस्तम क्षमता का प्रदर्शन करने में समर्थ नहीं हैं तो उत्पादन केंद्र की अंतिम यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख संपूर्णतः उत्पादन केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के रूप में समझी जाएगी, परंतु यह कि जब ऐसे जलाशय/तालाब का स्तर भर जाता है तो उत्पादन यूनिट या उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता के ऐसे उत्पादन केंद्र के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह समकक्ष व्यस्तम क्षमता का प्रदर्शन करें ।

2. पूर्णतः नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र की दशा में, यदि यूनिट या उत्पादन केंद्र कम प्रवाह अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया जाता है जब पानी ऐसे प्रदर्शन के लिए पर्याप्त नहीं हो तो ऐसे हाइड्रो उत्पादन केंद्र या यूनिट के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह पर्याप्त प्रवाह से उपलब्ध हो, जिससे वे संस्थापित क्षमता के समकक्ष व्यस्ततम क्षमता का प्रदर्शन कर सकें ।

(ग) पारेषण प्रणाली के संबंध में, उस 0000 घंटों से, जिनमें पारेषण प्रणाली के तत्व सफलतापूर्वक प्रभारित और परीक्षण प्रचालन के पश्चात् नियमित सेवा में है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है :

परंतु यह कि तारीख कलेंडर मास उन का वह पहला दिन होगी जिससे तत्व के लिए पारेषण प्रभार संदेय होंगे तथा उनकी उपलब्धता उस दिन से गणना में ली जाएगी :

परंतु यह और कि यदि पारेषण प्रणाली के तत्व नियमित सेवा के लिए तैयार है किंतु ऐसी सेवा, उन कारणों के लिए प्रदान करने से निवारित करती है जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उसके प्रदायकर्ता या ठेकेदार ने प्रदान नहीं की है, तो आयोग तत्व के नियमित सेवा में आने के पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को अनुमोदित कर सकेगा ।

(13) "दिन" से 000 घंटे से आरंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है ;

(14) "घोषित क्षमता" या "डीसी" से थर्मल उत्पादन केंद्र के संबंध में, ईंधन की उपलब्धता पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, किसी दिन या संपूर्ण दिन के किसी समय ब्लॉक के संबंध में ऐसे उत्पादन केंद्र द्वारा घोषित मेगावाट में एक्स-बस विद्युत परिदान करने के लिए क्षमता अभिप्रेत है,

(15) "डिजाइन ऊर्जा" से ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जिसे हाइड्रो उत्पादन केंद्र की 95% संस्थापित क्षमता के साथ 90% विश्वसनीय वर्ष में उत्पादित किया जा सकता है ।

(16) "विद्यमान उत्पादन केंद्र" 1.4.2009 से पूर्व की तारीख से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केंद्र अभिप्रेत है ;

(17) "विद्यमान परियोजना" 1.4.2009से पूर्व की तारीख से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना अभिप्रेत है ;

(18) थर्मल उत्पादन केंद्र के संबंध में, "सकल उष्मीयमान" या "जीवीसी" से, यथास्थिति, एक किलो ठोस ईंधन या एक लीटर द्रव ईंधन या एक घन मीटर गैसीय ईंधन के पूर्ण दहन द्वारा किलो कैलोरी (kcal) में उत्पादित ऊर्जा अभिप्रेत है ;

(19) "कुल केंद्र ताप दर" या "जीएचआर" से थर्मल उत्पादन केंद्र के उत्पादन टर्मिनलों पर एक किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने के लिए अपेक्षित के.सी.ए.एल. में ताप ऊर्जा अभिप्रेत है ;

(20) "इन्फर्म ऊर्जा" से उत्पादन केंद्र की इकाई या ब्लॉक के वाणिज्यिक प्रचालन के पूर्व ग्रिड में डाली गई विद्युत अभिप्रेत है ;

(21) "संस्थापित क्षमता" या "आईसी" से उत्पादन केंद्र में सभी यूनिटों की दर्ज क्षमता या समय-समय पर, आयोग द्वारा तथा अनुमोदित उत्पादन केंद्र (जनरेटर टर्मिनलों पर माने जाने वाले) की क्षमता का संकलन अभिप्रेत है ;

(22) "कार्यान्वयन करार" से पारेषण प्रणाली के संनिर्माण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक के बीच हुआ करार, संविदा या समझौता-ज्ञापन, या कोई ऐसी प्रसंविदा अभिप्रेत हैं ;

(23) "अंतर-राज्यिक उत्पादन केंद्र" या "आईएसजीएस" का वहीं अर्थ होगा जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में है ;

(24) "दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास पारेषण प्रभारों के संदाय के आधार पर अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग करने का दीर्घकालिक संविदात्मक अधिकार है ;

(25) थर्मल उत्पादन केंद्र की इकाई के संबंध में, "अधिकतम सतत् रेटिंग" या "एमसीआर" से निर्धारित पैरामीटरों पर विनिर्माताओं द्वारा गारंटीकृत उत्पादन टर्मिनलों पर अधिकतम सतत् उत्पादन और संयुक्त चक्रीय ताप ऊर्जा उत्पादन केंद्र के ब्लाक के संबंध में, जल/स्टीम इन्जेक्शन (यदि लागू हो) सहित विनिर्माता द्वारा गारंटीकृत तथा 50 एचजेड ग्रिड फ्रिक्वेंसी और विनिर्दिष्ट स्थल स्थिति पर परिशोधित उत्पादन टर्मिनलों पर अधिकतम सतत् उत्पादन अभिप्रेत है ;

(26) पारेषण प्रणाली के उपयोग के संदर्भ में, "मध्यम अवधि" से तीन मास से अधिक की अवधि तथा तीन वर्ष तक की अवधि अभिप्रेत है ;

(27) थर्मल उत्पादन केंद्र की दशा में "मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक" या "एनएपीएएफ" से थर्मल उत्पादन केंद्र के लिए विनियम 26 तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए विनियम 27 में यथा विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक अभिप्रेत है ;

(28) "प्रचालन और रखरखाव व्यय" या "ओएंडएम व्यय" से परियोजना या उसके भाग के प्रचालन और रखरखाव में उपगत व्यय अभिप्रेत है और इसमें जन शक्ति, मरम्मत, फालतू, उपभोज्य वस्तुएं, बीमा और अन्य खर्चे सम्मिलित है ;

(29) "मूल परियोजना लागत" से आयोग द्वारा यथास्वीकृत अंतिम तारीख तक परियोजना के मूल विस्तार के लिए, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपगत वास्तविक व्यय अभिप्रेत है ;

(30) किसी अवधि के लिए उत्पादन कंपनी के संबंध में, "संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ)" से उन सभी दिनों के लिए दैनिक घोषित क्षमता (डीसी) का औसत अभिप्रेत है जिस अवधि के दौरान वह गौण ऊर्जा खपत द्वारा कम की गई उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त होती है ;

(31) "परियोजना" से यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली अभिप्रेत है तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र की दशा में, उत्पादन प्रसुविधा के सभी संघटक, जैसे ऊर्जा उत्पादन के लिए यथानुपातिक डाम, इंटेक, जल कंडेक्टर प्रणाली, ऊर्जा उत्पादन केंद्र तथा स्कीम की उत्पादन यूनिटें सम्मिलित हैं ;

(32) "नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र" से ऐसा हाइड्रो उत्पादन केंद्र अभिप्रेत है जिसमें कोई धारा प्रतिकूल तालाब नहीं है ;

(33) "तालाब के साथ नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र" से ऊर्जा मांग के दैनिक परिवर्तन को पूरा करने के लिए पर्याप्त तालाब के साथ हाइड्रो उत्पादन केंद्र अभिप्रेत है ;

(34) "रेटित वोल्टता" से विनिर्माता की वह डिजाइन वोल्टता अभिप्रेत है जिस पर पारेषण प्रणाली प्रचालन के लिए डिजाइन की गई है और इसमें ऐसी निम्न वोल्टता सम्मिलित है जिस पर दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों के परामर्श से कोई भी प्रभारित या तत्समय के लिए पारेषण लाइन प्रभारित की जाती है ;

(35) "अनुसूचित ऊर्जा" से संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा संपूर्ण दिन उत्पादन केंद्र द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित की जाने वाली अनुसूचित ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है ;

(36) किसी समय पर या किसी अवधि या समय ब्लाक के लिए "अनुसूचित उत्पादन" या "एसजी" से संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई मेगावाट या एमडब्ल्यूएच एक्स-बस में उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है ;

टिप्पण

ओपन साइकल गैस टर्बाइन उत्पादन केंद्र या संयुक्त साइकल उत्पादन के लिए, किसी समय ब्लाक के लिए औसत फ्रिक्वेंसी 49.52 एचज्येड से कम है किंतु 49.02 एचज्येड से कम नहीं है तथा अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 98.5% से अधिक है तो अनुसूचित उत्पादन को घोषित क्षमता के 98.5% तक कम किया गया समझा जाएगा, तथा किसी समय ब्लाक के लिए औसत फ्रिक्वेंसी 49.02 एचज्येड से अधिक है तथा अनुसूचित उत्पादन को घोषित क्षमता का 96.5% तक कम किया गया समझा जाएगा ।

(37) "लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादन केंद्र" से 50 मेगावाट या उससे कम के क्षमता रेंज में गैस टर्बाइन या ओपन साइकल गैस टर्बाइन/संयुक्त साइकल उत्पादन केंद्र अभिप्रेत तथा सम्मिलित है ;

(38) "भंडारण आकार के उत्पादन ऊर्जा केंद्र" से मांग के अनुसार विद्युत के उत्पादन के फेरफार को समर्थ बनाने के लिए बृहत भंडारण क्षमता से सहबद्ध हाइड्रो उत्पादन केंद्र अभिप्रेत हैं ;

(39) "पारेषण सेवा करार" से पारेषण प्रणाली के प्रचालनात्मक फेज के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक (ग्राहकों) के बीच हुए करार संविदा, समझौता-ज्ञापन या ऐसी कोई प्रसंविदा अभिप्रेत है ;

(40) "पारेषण प्रणाली" से उपकेंद्र से सहबद्ध या असंबद्ध लाइन या लाइनों [illegible] अभिप्रेत है तथा जिसमें पारेषण लाइनों तथा उपकेंद्रों से सहबद्ध उपस्कर भी सम्मिलित हैं ;

(41) संयुक्त साइकल थर्मल उत्पादन केंद्र के सिवाय थर्मल उत्पादन के संबंध में, "यूनिट" से स्टीम जैनरेटर, टर्बाइन जनरेटर तथा गौण उपकरण अभिप्रेत हैं, या संयुक्त साइकल थर्मल उत्पादन केंद्र के संबंध में, टर्बाइन जेनरेटर तथा गौण उपकरण तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र के संबंध में टर्बाइन जनरेटर तथा इसके गौण उपकरण अभिप्रेत हैं ;

(42) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से उत्पादन केंद्र तथा पारेषण प्रणाली के यूनिट के संबंध में "उपयोगी जीवनकाल" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् :–

(क) कोयला/लिग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन केंद्र	25 वर्ष
(ख) गैस/द्रव ईंधन आधारित थर्मल उत्पादन केंद्र	25 वर्ष
(ग) एसरी तथा डीसी उप-केंद्र	25 वर्ष
(घ) हाइड्रो उत्पादन केंद्र	35 वर्ष
(ङ) पारेषण लाइन	35 वर्ष

(43) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ,

(44) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों तथा जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

अध्याय 2

टैरिफ अवधारण के लिए प्रक्रिया तथा पूंजी लागत की संगणना तथा पूंजी संरचना

4. **टैरिफ अवधारण** (1) उत्पादन केंद्र के संबध में, टैरिफ संपूर्ण उत्पादन केंद्र या उत्पादन केंद्र प्रक्रम या यूनिट या ब्लॉक के लिए अवधारित किया जा सकेगा तथा पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ का अवधारण संपूर्ण पारेषण लाइन या पारेषण लाइन या उपकेंद्रों के लिए किया जा सकेगा ।

(2) टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए, परियोजना की पूंजी लागत, प्रक्रमों में तथा परियोजना के सुभिन्न यूनिटों या ब्लॉकों, पारेषण लाइनों तथा उप-प्रणाली के प्ररुपिक भाग होगी :

परंतु यह कि जहां पारेषण लाइनों या उपकेंद्रों के विभिन्न प्रक्रमों या यूनिटों या ब्लॉकों के लिए परियोजना की पूंजी लागत का ब्यौरा उपलब्ध नही है और चालू परियोजनाओं की दशा में, प्रसामान्य प्रसुविधाओं यूनिटों, लाइन की लंबाई तथा बेजों की संख्या के आधार पर विभाजित की जाएंगी :

परंतु यह और कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत संघटकों के साथ बहुउद्देशीय हाइड्रो स्कीमों के संबंध मे केवल स्कीम के विद्युत संघटक के लिए प्रभार्य पूंजी लागत पर टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा ।

5. **टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन** (1) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन केंद्रों या पारेषण लाइनों या पारेषण प्रणाली के उपकेंद्रों, पूर्ण अथवा आवेदन की तारीख से छह मास के भीतर पूर्ण होने के लिए प्रक्षेपित पारेषण के उपकेंद्रों के संबंध में टैरिफ के अवधारण के लिए समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन का प्रकाशन और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2004 या उसकी किसी कानूनी पुनः अधिनियमिति के अनुसार आवेदन कर सकेंगे ।

(2) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित वास्तव में उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षपित पूंजी व्यय या उत्पादन केंद्र अथवा पारेषण प्रणाली टैरिफ अवधि के दौरान लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यक्तः

प्रमाणित वास्तव में उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षपित अतिरिक्त पूंजी व्यय पर आधारित टैरिफ के अवधारण के लिए परिशिष्ट I के अनुसार आवेदन करेगा :

परंतु यह कि विद्यमान परियोजना के मामले में आवेदन, स्वीकृत पूंजी लागत पर आधारित होगा, जिसके अंतर्गत 31.3.2008 तक पहले ही स्वीकृत कोई अतिरिक्त पूंजीकरण और टैरिफ अवधि 2009-14 के क्रमशः वर्षों के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजी व्यय सम्मिलित है :

परंतु यह और कि जहां लागू हो, आवेदन में प्रक्षपित पूंजी लागत और अतिरिक्त पूंजी व्यय के लिए अंतर्निहित पूर्वधारणाओं के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

(3) विद्यमान परियोजना की दशा में, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के साथ तथा इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा टैरिफ के अनुमोदन की तारीख तक 1.4.2009 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए 31.3.2009 को लागू विद्यमान प्रभारों की बिलिंग फायदाग्राहियों या दीर्घकालिक ग्राहकों के अनंतिम बिल करना जारी रखेगा :

परंतु यह कि जहां प्रभारित अनंतिम टैरिफ इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम टैरिफ से अधिक है या कम है तो यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संबंधित/क्रमिक वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की लघुकालिक मुख्य उधार दर के बराबर रकम पर साधारण ब्याज के साथ छह मास के भीतर, यथास्थिति, फायदाग्राहियों या पारेषण ग्राहकों को वापस करेगा/उनसे वसूल करेगा ।

6. **पूंजी लागत और टैरिफ का टूइंग अप**

(1) आयोग टूइंग-अप के समय 31.3.2014 तक आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के पश्चात् यथा स्वीकृत, अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित पूंजी व्यय के संबंध में अगली टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ याचिका के साथ टूइंग अप अभ्यास करेगा :

परंतु यह कि, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने विवेकानुसार, टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए 2013-14 के पूर्व एक बार और आयोग के समक्ष आवेदन कर सकेगा ।

(2) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, 31.10.2014 तक उत्पादन केंद्र या उसकी यूनिट या ब्लॉक या पारेषण प्रणाली अथवा पारेषण लाइनों या उसके उपकेंद्रों के संबंध में ट्रूइंग अभ्यास किए जाने के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट 1 के अनुसार आवेदन करेगा ;

(3) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए उपगत पूंजी व्यय और अतिरिक्त पूंजी व्यय, जो लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यकतः संपरीक्षित और प्रमाणित हों, के ब्यौरे ट्रूइंग अप के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करेगा ;

(4) जहां ट्रूइंग अप के पश्चात्, वसूल किया गया टैरिफ, आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुमोदित टैरिफ से अधिक हो जाए तो, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इस प्रकार वसूल की गई अधिक रकम उस वर्ष में 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक के लघु अवधि मूल उधार दर के बराबर की दर पर साधारण ब्याज सहित, यथास्थिति, हिताधिकारियों या पारेषण ग्राहक को वापस करेगा ।

(5) जहां ट्रूइंग अप अभ्यास के पश्चात् वसूल किया टैरिफ, आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुमोदित टैरिफ से कम हो तो, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी कम वसूल की गई रकम उस वर्ष में 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक के लघु अवधि मूल उधार दर के बराबर की दर पर साधारण ब्याज सहित, यथास्थिति, हिताधिकारियों या पारेषण ग्राहक से वसूल करेगा ।

(6) कम वसूल की गई या अधिक वसूल की गई रकम की वसूली या प्रतिसंदाय, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस वर्ष में एक अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक में लघु अवधि मूल उधार दर के बराबर की दर पर साधारण ब्याज सहित ट्रूइंग अप अभ्यास के पश्चात् आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की तारीख [illegible] महीनों के भीतर प्रारंभ होने वाली छह समान मासिक किस्तों में किया जाएगा ।

7. **<u>पूंजी लागत</u>** (1) किसी परियोजना के लिए पूंजी लागत में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(क) निर्माण के दौरान ब्याज और प्रज्ञावान जांच के पश्चात् आयोग द्वारा यथा स्वीकृत परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक वित्त प्रभारों - (i) मानकीय ऋण के रूप में अधिक ईक्विटी मानते हुए नियोजित निधियों के 30% से अधिक वास्तविक ईक्विटी

की दशा में, नियोजित निधि के 70% के बराबर, या (ii) नियोजित निधि के 30% से अन्यून वास्तविक ईक्विटी की दशा में ऋण की वास्तविक रकम के बराबर होने के नाते ऋण पर - संनिर्माण के दौरान विदेशी मुद्रा जोखिम फेरफार के कारण हुए किसी लाभ या हानि सहित उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षेपित व्यय ;

(ख) विनियम 8 में विनिर्दिष्ट सीमा दरों के अधीन रहते हुए, पूंजीगत आरंभिक स्पेयर्स ; और

(ग) विनियम 9 के अधीन अवधारित अतिरिक्त पूंजी व्यय :

परंतु यह कि परियोजना की भाग बनने वाली आस्तियां, किंतु जो उपयोग में नहीं है, पूंजी व्यय में से निकाल दी जाएंगी ।

(2) आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के पश्चात्, पूंजी लागत, टैरिफ के अवधारण का आधार बनेगी :

परंतु यह कि उष्मीय उत्पादन केंद्र और पारेषण प्रणाली के मामले में, पूंजी लागत की प्रज्ञावान जांच समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले बैंचमार्क संनियमों के आधार पर की जाएगी :

परंतु यह और कि ऐसे मामलों में जहां बैंचमार्क संनियम विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, विवेकी जांच में पूंजी व्यय वित्त योजना, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, लागत आधिक्य, समय आधिक्य और ऐसे अन्य मामलों की तर्क संगति की समीक्षा सम्मिलित की जा सकेगी जिन्हे टैरिफ के अवधारण के लिए आयोग द्वारा समुचित समझा जाए :

परंतु यह और कि आयोग हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं की पूंजी लागत की विधीक्षा किसी स्वतंत्र एजेंसी या विशेषज्ञ द्वारा किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और ऐसी स्थिति में, ऐसी एजेंसियों या विशेषज्ञों द्वारा विधीक्षित परियोजना लागत को आयोग द्वारा संबंधित हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए टैरिफ अवधारित करते समय विचार में लिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आयोग किसी विकासकर्ता, जो 31 मार्च, 2008 के भारत सरकार के संकल्प सं. 23/2/2005-आर एंड आर (जिल्द IV) द्वारा यथासंशोधित टैरिफ नीति में यथा अनुध्यात

राज्य के नियंत्रण या स्वामित्व वाली कंपनी न हो, की हाइड्रो-विद्युत परियोजनाओं के कमीशन करने की समय-सूची की समीक्षा और अनुमोदन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा :

परंतु यह भी कि जहां किसी राज्य सरकार द्वारा बोली की दो प्रक्रम वाली पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किसी हाइड्रो उत्पादन केंद्र का स्थल किसी विकासकर्ता (जो राज्य के नियंत्रण या स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है) को दिया गया है, वहां परियोजना स्थल आबंटित कराने के लिए परियोजना विकासकर्ता द्वारा उपगत या उपगत होने के लिए वचनबद्ध कोई व्यय पूंजी लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसे हाइड्रो उत्पादन केंद्र के मामले में पूंजी लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(क) यथा अनुमोदित राष्ट्रीय आर एंड आर नीति और आर एंड आर पैकेज के अनुसरण में परियोजना के अनुमोदित पुनर्वास और पुनःस्थापन (आर एंड आर) की योजना की लागत ; और

(ख) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में परियोजना विकासकर्ता के 10% अंशदान की लागत :

परंतु यह भी कि जहां उत्पादन कंपनी और हिताधिकारियों के मध्य किया गया विद्युत क्रय करार या, यथास्थिति, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों के मध्य किया गया क्रियान्वयन करार और पारेषण सेवा करार वास्तविक व्यय की अधिकतम सीमा का उपबंध करे तो आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी व्यय में टैरिफ के अवधारण के लिए ऐसी अधिकतम सीमा पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं के मामले में, 1.4.2009 के पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत और लेखापरीक्षकों द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित वास्तव में उपगत और 31.3.2009 तक और टैरिफ अवधि 2009-14 के संबंधित वर्षों के लिए उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजी व्यय जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, टैरिफ के अवधारण के लिए आधार होगा ।

8. **आरंभिक पुर्जे**

निम्नलिखित अधिकतम सीमा संनियमों के अधीन रहते हुए, आरंभिक पुर्जे, मूल परियोजना लागत की प्रतिशतता के रूप में पूंजीकृत होंगे :

(i) कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित उष्मीय उत्पादन केंद्र - 2.5%

(ii) गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन उष्मीय उत्पादन केंद्र - 4.0%

(iii) हाइड्रो उत्पादन केंद्र - 1.5%

(iv) पारेषण प्रणाली

(क) पारेषण लाइन - 0.75%

(ख) पारेषण उपकेंद्र - 2.5%

(ग) श्रृंखला प्रतिकर युक्तियां और एचवीडीसी केंद्र - 3.5%

परंतु यह कि जहां आरंभिक पुर्जे के लिए बैंचमार्क संनियम विनियम 7 के खंड (2) के प्रथम परंतुक के अधीन पूंजी लागत के लिए बैंचमार्क संनियम के भाग रूप में प्रकाशित हुए हैं तो ऐसे संनियम यहां विनिर्दिष्ट संनियमों को अपवर्जित करते हुए लागू होंगे ।

9. **अतिरिक्त पूंजीकरण**

(1) प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् और अंतिम तारीख तक वास्तव में उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षेपित कार्य की मूल परिधि के भीतर निम्नलिखित पूंजी व्यय, आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा :

(i) अनुन्मोचित दायित्व ;

(ii) निष्पादन के लिए आस्थगित कार्य ;

(iii) विनियम 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्य की मूल परिधि के भीतर आरंभिक पूंजी स्पेयर्स की उपाप्ति ;

(iv) माध्यस्थम् के पंचाट को पूरा करने या न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री का अनुपालन करने के लिए दायित्व ; और

(v) विधि में परिवर्तन :

परंतु यह कि व्यय अनुन्मोचित दायित्व और निष्पादन के लिए आस्थगित कार्यों के प्राक्कलन

के साथ कार्य की मूल परिधि में सम्मिलित संकर्मों के ब्यौरे टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(2) अंतिम तारीख के पश्चात् वास्तव में उगपत निम्नलिखित प्रकृति के पूंजी व्यय, विवेकी जांच के अधीन रहते हुए, आयोग के विवेकानुसार स्वीकृत किए जा सकेंगे :—

(i) माध्यस्थम् के पंचाट को पूरा करने या न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री का अनुपालन करने के दायित्व ;

(ii) विधि में परिवर्तन ;

(iii) कार्य की मूल परिधि में राख के ढेर या राख की उठाई-धराई प्रणाली से संबंधित आस्थगित कार्य ;

(iv) हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के मामले में, प्राकृतिक आपदाओं (किंतु उत्पादन कंपनी की उपेक्षा के फलस्वरूप विद्युत गृहों के आप्लायन के कारण नहीं), जिसमें किसी बीमा स्कीम के आगम के लिए समायोजन के पश्चात् भौगोलिक कारण भी है, द्वारा कारित नुकसान के कारण होने वाले किसी व्यय और किसी अतिरिक्त कार्य जो सफल और दक्ष संयंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक हो जाए, के कारण उपगत व्यय ; और

(v) पारेषण प्रणाली के मामले में, रिलेज, नियंत्रण और यंत्रीकरण, कंप्यूटर प्रणाली, विद्युत लाइन वाहक संसूचना, डीसी बैट्रियों, स्विच यार्ड का प्रतिस्थापन, दोष स्तर में वृद्धि के कारण उपस्कर, आपातकालीन पुनः स्थापन प्रणाली, पृथक्कारी सफाई अवसंरचना, बीमे के अंतर्गत न आने वाले हानिग्रस्त उपस्करों का प्रतिस्थापन जैसी मदों पर अतिरिक्त व्यय और कोई अन्य व्यय, जो पारेषण प्रणाली के सफल और दक्ष प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो :

परंतु यह कि उपरोक्त उपखंडों (iv) और (v) के संबंध में, औजार और रस्से, फर्नीचर, वातानुकूलकों, वोल्टेज स्टेबलाइजरों, कंप्यूटरों, रेफ्रिजरेटरों, कूलरों, पंखों, कपड़ा धोने की मशीनों,

उष्मा परिवर्तकों, गद्दों, कालीन आदि जैसी छोटी मदों या आस्तियों को अर्जित करने पर हुए कोई अन्य व्यय, जिन्हें अंतिम तारीख के पश्चात् क्रय किया गया है, 1.4.2009 से टैरिफ अवधारण के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु विचार में नहीं लिया जाएगा ।

10. **<u>नवीकरण और आधुनिकीकरण</u>** (1) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडआर) पर व्यय को चुकाने के लिए, उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई अथवा पारेषण प्रणाली के उपयोगी जीवनकाल के परे का विस्तार करने के प्रयोजन से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष आवेदन करेगा । परियोजना रिपोर्ट में पूर्ण क्षेत्राधिकार औचित्य, लागत फायदा विश्लेषण, एक निर्देश तारीख से अनुमोदित जीवनकाल विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय के चरण, पूरा होने की समय-सूची, निर्देश कीमत स्तर, विदेशी मुद्रा सहित काम पूरा होने की अनुमानित लागत, यदि कोई हो, हिताधिकारियों के साथ परामर्श का अभिलेख और ऐसी अन्य सूचना दी जाएगी जिसे उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत समझा जाए :

परंतु यह कि कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित उष्मीय उत्पादन केंद्र के मामले में, उत्पादन कंपनी अपने विवेकानुसार, खंड (4) में विनिर्दिष्ट संनियमों के अनुसार उत्पादन केंद्र या उसकी यूनिट के उपयोगी जीवन के परे नवीकरण और आधुनिकीकरण सहित खर्चों को पूरा करने के लिए प्रतिकर के रूप में एक 'विशेष भत्ता' प्राप्त कर सकेगी और ऐसी स्थिति में पूंजी लागत के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा तथा लागू प्रचालन संनियम को शिथिल नहीं किया जाएगा किंतु विशेष भत्ते को वार्षिक स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसा विकल्प उस उत्पादन केंद्र या यूनिट को उपलब्ध नहीं होगा जिसके लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है और व्यय को आयोग द्वारा इन विनियमों के प्रारंभ के पूर्व स्वीकृत किया गया है, या उस उत्पादन केंद्र या यूनिट [illegible] निःशेषित स्थिति में है या शिथिल प्रचालनात्मक तथा कार्य निष्पादन संनियमों के अधीन कार्य कर रही है ।

(2) जहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के अपने प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन करे, अनुमोदन, लागत प्राक्कलनों, की युक्तियुक्ता,

वित्त योजना, पूरा होने की समय-सूची, संनिर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, लागत फायदा विश्लेषण और ऐसे अन्य तथ्यों पर, जो आयोग द्वारा सुसंगत माने जाएं, सम्यक्तः विचार करने के पश्चात् प्रदान किया जाएगा ।

(3) नवीकरण और आधुनिकीकरण व्यय तथा जीवनकाल विस्तार के प्राक्कलनों पर आधारित विवेकी जांच के पश्चात् आयोग द्वारा यथास्वीकृत वास्तव में उगपत या उपगत होने के लिए प्रक्षेपित व्यय और प्रतिस्थापित आस्तियों की मूल रकम को अपलिखित करने तथा मूल परियोजना लागत से पहले ही वसूल किए गए संचित अवक्षयण को घटाने के पश्चात् टैरिफ् के अवधारण के लिए आधार बनेंगे ।

(4) इस विनियम के खंड (1) के प्रथम परंतुक में वैकल्पिक विकल्प को अपनाने वाली उत्पादन कंपनी को कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित उत्पादन केंद्रों के लिए वर्ष 2009-10 में 5 लाख रुपए/एमडब्ल्यू/वर्ष की दर पर एक विशेष भता अनुज्ञात किया जाएगा तथा उसके पश्चात् अगले वित्तीय वर्ष से यूनिट-वार किसी उत्पादन केंद्र की संबंधित यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के निर्देश से उपयोगी जीवनकाल पूरा होने की संबंधित तारीख से टैरिफ अवधि 2009-14 के दौरान वर्धित 5.72% प्रति वर्ष की दर पर अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु यह कि ऐसी यूनिट के संबंध में, जो 1.4.2009 को 25 वर्षों से अधिक अवधि से प्रचालन में हैं, यह भत्ता वर्ष 2009-10 से अनुज्ञेय होगा ।

11. <u>इंफर्म विद्युत का विक्रय</u> - इंफर्म विद्युत का प्रदाय अननुसूचित विनियम (यू.आई.) के रूप में संगणित किया जाएगा और इसका संदाय लागू आवृत्ति लिंक्ड यूआई दर पर प्रादेशिक या राज्य यूआईपूल खाते से किया जाएगा :

परंतु यह कि उत्पादन कंपनी द्वारा इंफर्म विद्युत के विक्रय से अर्जित कोई राजस्व, ईंधन खर्चों को गणना में लेने के पश्चात् पूंजी लागत में कमी के लिए उपयोजित किया जाएगा ।

12. <u>ऋण-साम्या अनुपात</u> (1) 1.4.2009 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना के लिए, यदि वास्तव में लगाई गई साम्या पूंजी लागत के 30% से अधिक है तो 30% के आधिक्य में साम्या मानकीय ऋण का भाग समझी जाएगी :

परंतु यह कि जहां वास्तव में लगाई गई साम्या, पूंजी लागत के 30% से कम है, वहां टैरिफ के अवधारण के लिए वास्तविक साम्या पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह और कि विदेशी मुद्रा में विनिधान की गई साम्या, प्रत्येक विनिधान की तारीख को भारतीय रुपयों में अभिहित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण - यदि परियोजना के वित्त पोषण के लिए, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंश पूंजी जारी करते समय और इसकी मुक्त आरक्षति से सृजित आंतरिक स्रोतों के विनिधान से कोई प्रीमियम लिया जाता है तो इसे साम्या' पर प्रतिदाय संगणित करने के प्रयोजन के लिए संदत पूंजी के रूप में संगणित किया जाएगा परंतु यह तब जब उस प्रीमियम की रकम और आंतरिक स्रोतों का उपयोग, वास्तव में उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली के पूंजी व्यय को पूरा करने में हुआ हो ।

(2) 1.4.2009 के पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केंद्र और पारेषण प्रणाली के मामले में, 31.3.2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु आयोग द्वारा अनुज्ञात ऋण-साम्या अनुपात पर विचार किया जाएगा :

(3) टैरिफ के अवधारण के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय के रूप में आयोग द्वारा 1.4.2009 को या उसके पश्चात् स्वीकृत उपगत या उपगत होने के लिए प्रक्षेपित कोई व्यय तथा जीवनकाल विस्तार के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण व्यय पर इस विनियम के खंड में विनिर्दिष्ट रीति से विचार किया जाएगा ।

अध्याय 3

टैरिफ की संगणना

13. **टैरिफ के संघटक** (1) थर्मल उत्पादन केंद्र से ऊर्जा के प्रदाय के लिए टैरिफ में दो भाग सम्मिलित होंगे, अर्थात् क्षमता प्रभार (विनियम 14 में विनिर्दिष्ट संघटकों से बनी वार्षिक नियम लागत की वसूली के लिए) तथा ऊर्जा प्रभार (प्रारंभिक ईंधन लागत तथा चूना पत्थर लागत जहां लागू हो, की वसूली के लिए)

(2) हाइड्रो उत्पादन केंद्र से विद्युत के प्रदाय के लिए टैरिफ में दो प्रभारो के माध्यम से (विनियम 14 में विनिर्दिष्ट संघटकों से मिलकर बने) वार्षिक नियत लागत की वसूली के लिए विनियम 22 में यथा उपबंधित रीति से व्युत्पन्न क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सम्मिलित होगे ।

(3) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली पर विद्युत के पारेषण के लिए टैरिफ में इन विनियमों के विनियम 14 में विनिर्दिष्ट संघटकों से मिलकर बनी वार्षिक नियत लागत की वसूली के लिए पारेषण प्रभार सम्मिलित होंगे ।

14 **वार्षिक नियत लागत** : (1) उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली की वार्षिक नियत लागत (एएफसी) निम्नलिखित संघटकों से मिलकर बनेगी :–

(क) रिटर्न आन ईक्विटी ;

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज ;

(ग) अवक्षयण ;

(घ) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज ;

(ड) प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे ;

(च) गौण ईंधन तेल की लागत (केवल कोयला आधारित तथा लिग्नाइट चालित उत्पादन केंद्रों के लिए) ;

(छ) आर एंड एम के बदले विशेष भत्ता या पृथक् प्रतिकर भत्ता, जो भी लागू हो,

15. **रिटर्न आन ईक्विटी** (1) रिटर्न आन ईक्विटी विनियम 12 के अनुसार अवधारित ईक्विटी के आधार पर रुपए में संगणित की जाएगी ।

(2) रिटर्न आन ईक्विटी इस विनियम के खंड (3) के अनुसार कुल योग किए जाने वाले 15.5% की दर के आधार पर पूर्व-कर आधार पर अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् अधिकृत परियोजनाओं की दशा में, 0.5% का अतिरिक्त रिटर्न तब अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसी परियोजनाएं, यथास्थिति, बोर्ड विनिधान द्वारा अनुमोदन या सीसीए निकासी की तारीख से मानी गई परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूरी की जाती हैं ।

परंतु यह और कि 0.5% का अतिरिक्त रिटर्न तब अनुज्ञेय नहीं होगा यदि परियोजना किसी भी कारण से उपरोक्त विनिर्दिष्ट यथा अनुबद्ध समय के भीतर पूरी नहीं की जाती है ।

(3) रिटर्न ऑन ईक्विटी की दर की संगणना, यथास्थिति, संबंधित उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को यथालागू वर्ष 2008-09 के लिए प्रसामान्य कर दर के साथ आधार दर का योग करके की जाएगी :

परंतु यह कि टैरिफ अवधि के दौरान क्रमिक वर्ष के सुसंगत वित्त अधिनियम के उपबंधों के आधार पर, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लागू वास्तविक कर दर की बाबत रिटर्न आन ईक्विटी को अगली टैरिफ अवधि के लिए फाइल की गई टैरिफ याचिका के साथ टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक् रूप से ट्यूड-अप किया जाएगा ।

(4) रिटर्न आन ईक्विटी की दर तीन दशमलव के लिए पूर्णांकित की जाएगी तथा निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित की जाएगी :–

पूर्व-कर रिटर्न आन ईक्विटी की दर = आधार दर/(1-t)

जहां t इस विनियम के खंड (3) के अनुसार लागू कर दर है ।

दृष्टांत –

(i) 11.33% की दर पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जिसमें अधिभार तथा उपकर भी है, का संदाय करने वाली उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में :

रिटर्न आन ईक्विटी की दर = 15.50/(1-0.1133) = 17.481%

(ii) 33.39% की दर पर विद्यमान निगमित कर जिसमें अधिभार तथा उपकर भी सम्मिलित है, का संदाय करने वाली उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में :--

रिटर्न आन ईक्विटी की दर = 15.50/(1-0.3399) = 23.481%

16. **ऋण पूंजी पर ब्याज** (1) विनियम 12 में उपदर्शित रीति से प्राप्त ऋणों पर ऋण पर ब्याज की संगणना के लिए सकल मानकीय ऋण के रूप में विचार किया जाएगा ।

(2) 1.4.2009 को बकाया मानकीय ऋण को सकल मानकीय ऋण से 31.3.2009 तक आयोग द्वारा यथास्वीकृत संचयी प्रतिसंदाय में कटौती करके तय किया जाएगा ।

(3) टैरिफ अवधि 2009-14 के अपने-अपने वर्ष के लिए प्रतिसंदाय को उस वर्ष के लिए अनुज्ञात अवक्षयण के समान समझा जाएगा :

(4) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किसी ऋणस्थगन अवधि के होते हुए भी, परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के पहले वर्ष से ऋण के प्रतिसंदाय पर विचार किया जाएगा तथा अनुज्ञात वार्षिक अवक्षयण के बराबर होगा ।

(5) ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर, यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली को लागू वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर संगणित ब्याज की भारित औसत दर होगी :

परंतु यह कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए वास्तविक ऋण नहीं है, किंतु मानकीय ऋण अभी भी बकाया है, तो ब्याज की अंतिम उपलब्ध भारित औसत दर पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि, यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली के पास वास्तविक ऋण नहीं है तो उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की ब्याज की भारित औसत दर पर पूर्णतः विचार किया जाएगा ।

(6) ऋण पर ब्याज की संगणना ब्याज की भारित औसत दर को लागू करके वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर की जाएगी ।

(7) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ब्याज पर कुल बचत के परिणामस्वरूप ऋण के पुनः वित्त का हर संभव प्रयास करेंगे जिससे कि उसका कुल फायदा फायदाग्राहियों को

मिल सके तथा ऐसे पुर्नवित्त से सहबद्ध लागत का वहन फायदाग्राहियों द्वारा किया जाएगा तथा शुद्ध लाभ को 2:1 के अनुपात में फायदाग्राही और उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बीच विभाजित किया जाएगा ।

(8) ऋण के निबंधन तथा शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुर्नवित्त की तारीख से प्रदर्शित किया जाएगा ।

(9) किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार विवाद के निटान के लिए समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संव्यवहार) विनियम, 1999 जिसमें उसकी कानूनी अधिनियमिति भी है, के अनुसार पर्याप्त आवेदन कर सकेगा :

परंतु यह कि फायदाग्राही या पारेषण ग्राहकों ऋण के पुर्नवित्त से उद्‌भूत किसी विवाद के लंबित होने के दौरान उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावों पर ब्याज के मद्दे किसी भी संदाय को नहीं रोकेंगे ।

17. **अवक्षयण** (1) अवक्षयण के प्रयोजन के लिए आधार मूल्य आयोग द्वारा स्वीकृत आस्ति की पूंजी लागत होगा ।

(2) आस्ति के सालवेज मूल्य पर 10% के रूप में विचार किया जाएगा तथा अवक्षयण आस्ति को पूंजी लागत के अधिकतम 90% तक अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु यह कि हाइड्रो उत्पादन केंद्र की दशा में, सालवेज मूल्य स्थल पर सृजन के लिए राज्य सरकार के साथ विकासकताओं द्वारा हस्ताक्षरित करार में यथा उपबंधित होगा :

परंतु यह और कि अवक्षणीय मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए हाइड्रो उत्पादन केंद्र की आस्ति की पूंजी लागत विनियमित टैरिफ पर दीर्घकालिक ऊर्जा क्रय करार के अधीन विद्युत के विक्रय की प्रतिशतता की तत्स्थानी होगी ।

(3) पट्टे के अधीन धारित भूमि के सिवाय भूमि तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र की दशा में, जलाशय के लिए भूमि अवक्षणीय आस्ति नहीं होगी तथा इसकी लागत आस्तियों के अवक्षयण मूल्य की संगणना करते समय पूंजी लागत से अपवर्जित होगी ।

(4) उत्पादन केंद्र तथा पारेषण प्रणाली की आस्तियों के लिए अवक्षयण की संगणना स्ट्रेट लाइन पद्धति तथा इन विनियमों के परिशिष्ट - 3 में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर वार्षिक रूप से की जाएगी :

परंतु यह कि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात्, वर्ष के 31वें मार्च को शेष अवक्षणीय मूल्य को आस्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल पर विस्तारित किया जाएगा ।

(5) विद्यमान परियोजनाओं की दशा में, 1.4.2009 को शेष अवक्षणीय मूल्य को आस्तियों के कुल अवक्षणीय मूल्य के 31.3.2009 तक आयोग द्वारा यथास्वीकृत संचयी अवक्षयण में कटौती करके तय किया जाएगा ।

(6) अवक्षयण वाणिज्यिक प्रचालन के पहले वर्ष से प्रभार्य होगा । वर्ष के भाग के लिए आस्ति के वाणिज्यिक प्रचालन की दशा में, अवक्षयण आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा ।

18. **कार्यकरण पूंजी पर ब्यांज** (1) कार्यकरण पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(क) कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित थर्मल उत्पादन केंद्र

(i) कोयला या लिग्नाइट तथा चूना पत्थर की लागत, यदि लागू हो, मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक की तत्स्थानी उत्पादन के लिए पिट हेड उत्पादन केंद्रों के लिए 1-1/2 मास तथा गैर-पिट हैड उत्पादन केंद्रों के लिए दो मास ;

(ii) मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक की तत्स्थानी उत्पादन के लिए दो मास के लिए गौंण ईंधन तेल की लागत तथा एक से अधिक गौंण ईंधन तेल के उपयोग की दशा में, मुख्य गौण ईंधन तेल के लिए ईंधन तेल स्टाक की लागत ।

(iii) ।नियम 19 में विनिर्दिष्ट प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों का 20% की दर से रखरखाव पुर्जे ।

(iv) मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक पर संगणित विद्युत के विक्रय के लिए क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभारों के दो मास के बराबर प्राप्य ;

(v) एक मास के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे ।

(ख) ओपन साइकल गैस टर्बाइन/संयुक्त साइकल थर्मल उत्पादन केंद्र

(i) गैस ईंधन तथा तरल ईंधन पर उत्पादन केंद्र के प्रचालन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक की तत्स्थानी एक मास के लिए ईंधन लागत ;

(ii) 1/2 मास के तरल ईंधन स्टाक और एक से अधिक तरल ईंधन की दशा में, मुख्य तरल ईंधन की लागत ;

(iii) विनियम 19 में विनिर्दिष्ट प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के 30% की दर से रखरखाव पुर्जे ;

(iv) गैस ईंधन तथा तरल ईंधन पर उत्पादन केंद्र के प्रचालन की पद्धति को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक पर संगणित विद्युत के विक्रय के लिए क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभारों के दो मास के समकक्ष प्राप्य ; और

(v) एक मास के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे ;

(ग) हाइड्रो उत्पादन केंद्र तथा पारेषण प्रणाली की दशा में :

(i) नियत लागत के दो मास के समकक्ष प्राप्य ;

(ii) विनियम 19 में विनिर्दिष्ट प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों का 15% की दर से रखरखाव स्पेयर्स ;

(iii) एक मास के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे ।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) तथा (ख) के अधीन सम्मिलित मामलों में ईंधन की लागत उत्पादन कंपनी द्वारा उपगत उधार लागत (मानकीय संक्रमण तथा उठाई-धराई हानियों को ध्यान में रखते हुए) तथा उस पहले मास, जिसके लिए टैरिफ अवधारित किया जाना है, के पूर्ववर्ती तीन मास

के लिए वास्तविक के अनुसार ईंधन की कुल क्लोरिफिक मूल्य के आधार पर होगी तथा टैरिफ अवधि के दौरान ईंधन कीमत उतार-चढ़ाव नहीं किया जाएगा ।

(3) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी तथा 1.4.2009 को या उस ... जिस वर्ष में, यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या उसके यूनिट या पारेषण प्रणाली ... प्रचालन के अधीन घोषित किए जाते हैं, जो भी बाद में हो, भारतीय स्टेट बैंक की लघुकालिक प्राइम उधार दर के बराबर होगी ।

(4) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज इस बात के होते हुए भी मानकीय आधार पर संदेय होगा कि उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी अभिकरण से कार्यकरण के लिए पूंजी ऋण नहीं लिया है ।

19. **प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे** : मानकीय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :--

(क) खंड (ख) और (घ) मे निर्दिष्ट उत्पादन केंद्रों के भिन्न कोयला आधारित तथा लिग्नाइट-चालित (सीएफबीसी तकनीकी सहित) उत्पादन केंद्र

(रुपए लाख में/मेगावाट)

वर्ष	200/210/250 मेगावाट सेट	300/330/350 मेगावाट सेट	500 मेगावाट सेट	600 मेगावाट तथा उससे ऊपर के सेट
2009-10	18.20	16.00	13.00	11.70
2010-11	19.24	16.92	13.74	12.37
2011-12	20.34	17.88	14.53	13.08
2012-13	21.51	18.91	15.36	13.82
2013-14	22.74	19.99	16.24	14.62

परंतु यह और कि उसी केंद्र में ऊपर संनियमों को अपने-अपने यूनिट आकार आकारों मे अतिरिक्त ... के लिए, ऐसे यूनिटों के लिए जिनके वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.4.2009 ... पश्चात् घोषित हुई है, निम्नलिखित कारकों द्वारा गुणांकित किया जाएगा :

200/210/250 मेगावाट.	अतिरिक्त 5 तथा 6 यूनिटें	0.9
	अतिरिक्त 7 और उससे अधिक यूनिटें	0.85
300/330/350 मेगावाट	अतिरिक्त 4 तथा 5 यूनिटें	0.9
	अतिरिक्त 6 और उससे अधिक यूनिटें	0.85
500 मेगावाट और उससे ऊपर	अतिरिक्त 3 तथा 4 यूनिटें	0.9
	अतिरिक्त 5 तथा उससे ऊपर की यूनिटें	0.85

(ख) एनटीपीसी के तलचर थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस), टांडा टीपीएस, बदरपुर टीपीएस तथा डीवीसी के बोकारो टीपीएस, चंदरपुर टीपीएस तथा दुर्गापुर टीपीएस

(रुपए लाख में/मेगावाट)

वर्ष	तलचर टीपीएस	टांडा तथा चंदरपुर टीपीएस	बदरपुर तथा दुर्गापुर टीपीएस
2009-10	32.75	26.25	31.35
2010-11	36.64	27.75	32.25
2011-12	36.60	29.34	33.17
2012-13	38.70	31.02	34.12
2013-14	40.91	32.79	35.09

(ग) ओपन साइकल गैस टर्बाइन/संयुक्त साइकल उत्पादन केंद्र

(रुपए लाख में/मेगावाट)

वर्ष	लघु गैस टर्बाइन/ऊर्जा उत्पादन केंद्रों से भिन्न गैर टर्बाइन/संयुक्त साइकल उत्पादन केंद्र	लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादन केंद्र	अगरतला जीपीएस
(1)	(2)	(3)	(4)
2009-10	14.80	22.90	31.75
2010-11	15.65	24.21	33.57
2011-12	16.54	25.59	35.49
2012-13	19.49	27.06	37.52
2013-14	18.49	28.61	39.66

(घ) लिग्नाइट-चालित उत्पादन केंद्र

(रुपए लाख में/मेगावाट)

वर्ष	125 मेगावाट सेट	एनएलसी के टीपीएस-I
2009-10	24.00	27.00
2010-11	25.37	28.54
2011-12	26.82	30.18
2012-13	28.36	31.90
2013-14	29.98	33.73

(ङ) कोयला आधारित/लिग्नाइट चालित थर्मल उत्पादन केंद्र की दशा में, पूंजी प्रकृति जिसमे छोटी आस्तियों की प्रकृति भी सम्मिलित है, की नई आस्ति संबंधी खर्चो को पूरा करने के लिए यूनिट-वार पृथक् प्रतिकर, यथास्थिति, उपयोगी जीवनकाल के 10, 15 या 20 वर्ष पूरे होने वाले वर्ष के आगामी वर्ष से निम्नलिखित रीति से अनुज्ञेय होगा :-

प्रचालन का वर्ष	प्रतिकर भत्ता (रुपए लाख में/मेगावाट 1 वर्ष)
0-10	शून्य
11-15	0.15
16-20	0.35
21-25	0.65

(च) हाइड्रो उत्पादन केंद्र

(i) विद्यमान ऐसे उत्पादन केंद्रों, जो आधार वर्ष 2007-08 में 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष से प्रचालन में है, के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे, आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् संपरीक्षित तुलन पत्रों, प्रसामान्य प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को छोड़कर, के आधार पर वर्ष 2003-04 तथा 2007-08 के लिए वास्तविक प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के आधार पर व्युत्पन्न होंगे ।

(ii) प्रज्ञावान जांच के पश्चात् वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक के लिए, प्रसामान्य प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के क्रमशः, 2007-08 की कीमत स्तर पर प्रसामान्य प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों तक पहुंचने के लिए 5.17% प्रति वर्ष की दर पर वृद्धि की ज. .गी तथा 2007-08 के कीमत स्तर पर वर्ष 2003-04 से 2007-08 के लिए प्रसामान्यीकृत औसत प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों पर पहुंचने के लिए औसत निकाली जाएगी । 2007-08 कीमत स्तर पर औसत प्रसामान्य प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों में वर्ष 2009-10 के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों तक पहुंचने के लिए 5.72% की दर पर वृद्धि की जाएगी :

परंतु यह कि आधार वर्ष 2009-10 के लिए प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों क 2009-10 के लिए अनुज्ञेय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को तय करने के [illegible] ात्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के मद्दे कर्मचारी [illegible] की वृद्धि पर विचार करते हुए और सुव्यवस्थित किया जाएगा ।

(iii) वष 2009-10 के लिए आधार प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को टैरिफ अवधि के पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञेय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों पर 5.75% प्रति वर्ष की दर पर और वृद्धि की जाएगी ।

(iv) ऐसे हाइड्रो उत्पादन केंद्रों की दशा में, जो 1.4.2009 को पांच वर्ष की अवधि के लिए वाणिज्यिक प्रचालन में नहीं हैं, प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों को मूल परियोजना लागत के (पुर्नवास तथा पुर्नव्यवस्थापन संकर्मों की लागत को छोड़कर) 2% पर नियत किया जाएगा और ऐसे मामलों मे, वर्ष 2007-08 तक प्रति वर्ष 5.17% की वृद्धि की जाएगी तथा 2007-08 की कीमत स्तर पर ओएंडएम खर्चों पर तय करने के लिए औसत निकाला जाएगा । तत्पश्चात् उसमें टैरिफ अवधि के क्रमशः वर्षों में प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों तक पहुंचने के लिए प्रति वर्ष 5.72% की दर पर वृद्धि की जाएगी :

(v) 1.4.2009 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित हाइड्रो

उत्पादन केंद्रो की दशा मे, प्रचालन तथा रखरखाव खर्चो को मूल परियोजना लागत (पुनर्वास तथा पुर्नव्यवस्थापन संकर्मो को छोड़कर) के 2% पर नियत किया जाएगा तथा पश्चात्वर्ती के लिए 5.72% प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि के अध्यधीन होगी ।

(छ) पारेषण प्रणाली

(i) प्रचालन तथा रखरखाव खर्चो के लिए संनियम निम्नानुसार होगे :

पारेषण प्रणाली के लिए ओएंडएम व्यय हेतु संनियम

	2009-10	2009-11	2009-12	2009-13	2009-14
उपकेंद्र के लिए संनियम (रुपए लाख/प्रति बे में)					
765 केवी	73.36	77.56	81.99	86.68	91.64
400 केवी	52.40	55.40	58.57	61.92	65.46
220 केवी	36.68	38.78	40.00	43.34	45.82
132 केवी तथा उससे निम्न	26.20	27.70	29.28	30.96	32.73
एसी तथा एचवीडीसी के लिए संनियम (रुपए लाख प्रति केएम)					
एकल सर्किट (चार या उससे अधिक उप-कंडेक्टरो के साथ बंडल्ड कंडेक्टर)	0.525	0.555	0.586	0.620	0.671
एकल सर्किट (दो या तीन कंडेक्टर)	0.350	0.370	0.391	0.413	0.447
एकल सर्किट (एकल सर्किट)	0.175	0.185	0.195	0.207	0.224
दोहरा सर्किट (चार या उससे अधिक सब-कंडेक्टरो के साथ बंडल्ड कंडेक्टर)	0.940	0.994	1.051	1.111	1.174
दोहरा सर्किट (दो या तीन कंडेक्टर)	0.627	0.633	0.701	0.741	0.783
दोहरा सर्किट (एकल सर्किट)	0.269	0.284	0.301	0.318	0.336
एचवीडीसी स्टेशन के लिए संनियम (रुपए लाख प्रति 100 मेगावाट क्षमता)					
एचवीडीसी बैक-2 बैक स्टेशन (500 मेगावाट प्रति लाख रुपए)	443.00	468.00	495.00	523.00	553.00
रिहंद - दादरी एचवीडीसी बाई-पोल स्कीम (रुपए लाख)	1450.00	1533.00	1621.00	1713.00	1811.00
तलचर - कोलार एचवीडीसी बाई-पोल स्कीम (रुपए लाख)	1699.00	1796.00	1899.00	2008.00	2122.00

(ii) पारेषण प्रणाली के लिए कुल अनुज्ञेय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों की संगणना क्रमशः प्रति बे तथा प्रति केएम प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के लिए लागू संनियमों के साथ बेजों की संख्या तथा लाइन लंबाई के किलोमीटर से गुणांकित करके संगणित की जाएगी ।

20. **कोयला तथा लिग्नाइट आधारित उत्पादन केंद्रों के लिए गौण ईंधन तेल खपत संबंधी खर्चे**

(1) रुपयों में गौण ईंधन तेल संबंधी खर्चों की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार विनियम 26 के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट मानकीय गौण ईंधन तेल खपत (एसएफसी) की तत्स्थानी की जाएगी :

= एसएफ$_{n}$सी x एलपीएसएफ$_{i}$ x एनएपीएएफ x 24 x एनडीवाई x आईसी x 10

जहां,

एसएफसी$_{n}$ — एमएल/केडब्ल्यूएच में मानकीय विनिर्दिष्ट ईंधन तेल खपत

एलपीएसएफ$_{i}$ — प्रारंभिक रूप से विचार किए गए रुपए/एमएल में गौण ईंधन की भारित औसत उधार कीमत

एनएपीएएफ — प्रतिशतता में मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक

एनडीवाई — वर्ष में दिनों की संख्या

आईसी — मेगावाट में संस्थापित क्षमता

(2) आरंभिक रूप से गौण ईंधन तेल पर उत्पादन कंपनी द्वारा उपगत उधार कीमत लागत तीन पूर्ववर्ती मास की भारित, औसत कीमत की वास्तविकता के आधार पर तथा तीन पूर्ववर्ती मास की उधार लागत के अभाव में, वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, उत्पादन केंद्र के लिए नवीनतम अपर्याप्त कीमत के आधार पर की जाएगी ।

गौण ईंधन तेल खर्चे निम्नलिखित सूत्र के अनुसार टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ईंधन कीमत समायोजन के अधीन रहते हुए होंगे :

एसएफसी x एनएपीएएफ x 24 x एनडीवाई x आईसी x 10 x (एलपीएसएफवाई-एलपीएसएफ$_{i}$)

जहां,

एलपीएसएफ$_{वाई}$ = वर्ष के लिए गौण ईंधन तेल की भारित औसत उधार कीमत, रुपए/एमएल में

21. थर्मल उत्पादन केंद्रों के लिए क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभार की संगणना तथा संदाय

(1) थर्मल उत्पादन केंद्र की नियत लागत को इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट संनियमों के आधार पर वार्षिक आधार पर संगणित किया जाएगा तथा क्षमता प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूला जाएगा । उत्पादन केंद्र के लिए संदेय कुल क्षमता प्रभार को उत्पादन केंद्र की क्षमता में उनकी अपनी-अपनी प्रतिशतता अंश/आबंटन के अनुसार विभाजित किया जाएगा ।

(2) कलेंडर मास के लिए थर्मल उत्पादन केंद्र को संदेय क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को छोड़कर) की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :

(क) वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को दस (10) वर्षों से कम के लिए वाणिज्यिक प्रचालन में उत्पादन केंद्रों के लिए :

एएफसी x (एनडीएम/एनडीवाई) x (0.5+0.5 x पीएएफएम/एनपीएएफ) (रुपए में) ;

परंतु यह कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफवाई) 70% से कम है तो वित्तीय वर्ष के लिए कुल क्षमता प्रभार निम्नलिखित तक निर्बंधित होगा, –

एएफसी x (0.5+35/एनएपीएएफ) x (पीएएफवाई/70) (रुपए में) ;

(ख) वर्ष के 1 अप्रैल को, दस (10) वर्ष या उससे अधिक के लिए वाणिज्यिक प्रचालन में उत्पादन केंद्र के लिए :

एएफसी x (एनडीएम/एनडीवाई) x (पीएएफएम/एनपीएएफ) (रुपए में)

जहां,

एएफसी = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत, रुपए में

एनएपीएएफ = प्रतिशतता में मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक

एनडीएम = मास में दिनों की संख्या

एनडीवाई = वर्ष में दिनों की संख्या

पीएएफएम = मास के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

पीएएफवाई = वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, रुपए में

(3) पीएएफएम तथा पीएएफवाई की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :

एन

पीएएफएम और पीएएफवाई = 10000 x डीसी$_i$/ {एन x आईसी x (100-एयूएक्स)} %

i = 1

जहां,

एयूएक्स = प्रतिशतता में मानकीय अतिरिक्त ऊर्जा खपत

डीसी$_i$ = दिन के समाप्त होने पर संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा यथा प्रमाणित, यथास्थिति, अवधि के i दिन के लिए अर्थात् मास या वर्ष नीचे खंड (4) के अधीन रहते हुए, औसत घोषित क्षमता (एक्स बस मेगावाट में)

आईसी = उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

एन = अवधि के दौरान दिनों की संख्या, अर्थात्, यथास्थिति, मास या वर्ष

टिप्पण : डीसी i तथा आईसी को उन उत्पादन केंद्रों की क्षमता से अपवर्जित किया जाएगा जो वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित नहीं किए गए हैं । संबंधित अवधि के दौरान आईसी में परिवर्तन की दशा में, उसके औसत मूल्य को लिया जाएगा ।

(4) थर्मल उत्पादन केंद्र में ईंधन की कमी की दशा में, उत्पादन कंपनी आफ-पीक घंटो के दौरान ईंधन में बचत करके पीक-भार घंटो के दौरान उच्चतर मेगावाट देने का प्रस्ताव कर सकेगी । संबंधित भार प्रेषण केंद्र फायदाग्राहियों के साथ परामर्श करके अपनी मेगावाट तथा ऊर्जा क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने हेतु उत्पादन केंद्र के लिए व्यावहारिक डे-एहेड अनुसूची विनिर्दिष्ट कर सकेगा । ऐसी दशा में डीसी उस दिन के लिए संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम व्यस्ततम घंटा एक्स-ऊर्जा संयंत्र मेगावाट अनुसूची को बराबर किए जाने के लिए किया जाएगा ।

(5) ऊर्जा प्रभार में प्रारंभिक ईंधन लागत तथा चूना पत्थर खपत लागत (जहां लागू हों) सम्मिलित होगी तथा मास की ऊर्जा प्रभार दर (ईंधन तथा चूना पत्थर कीमत समायोजन के साथ) पर एक्स-ऊर्जा संयंत्र के आधार पर कलेंडर मास के दौरान ऐसे फायदाग्राही को प्रदाय किए जाने के लिए अनुसूचित कुल ऊर्जा के लिए प्रत्येक फायदाग्राही द्वारा संदेय होंगे । मास के लिए उत्पादन कंपनी को संदेय कुल ऊर्जा प्रभार निम्नलिखित होंगे :

(रुपए/केडब्ल्यूएच में ऊर्जा प्रभार दर) x [केडब्ल्यूएच में मास के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस)]

(6) एक्स-ऊर्जा संयंत्र के आधार पर रुपए प्रति केडब्ल्यूएच में ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर) निम्नलिखित सूत्र के अनुसार तीन दशमलव स्थानों को अवधारित करेगी :

(क) कोयला आधारित तथा लिग्नाइट आधारित केंद्रों के लिए

ईसीआर = [(जीएचआर-एसएफसी x सीवीएसएफ) x एलपीपीएफ/सीवीपीएफ + एलसी x एलपीएल] x 100/(100-एयूएक्स)

(ख) गैस तथा तरल ईंधन आधारित केंद्रों के लिए

ईसीआर = जीएचआर x एलपीपीएफ x 100/[सीवीपीएफ x (100-एयूएक्स)]

जहां,

एयूएक्स = प्रतिशतता में मानकीय सहायक ऊर्जा खपत ।

सीवीपीएफ = यथाचालित प्रारंभिक ईंधन का कुल कलोरिफिक मूल्य, केसीएल प्रति केजी में, प्रति लीटर या प्रतिमानक क्यूबिक मीटर, जो लागू हो ।

सीवीएसएफ = गौंण ईंधन का केलोरिफिक मूल्य, केसीएल प्रति एमएल में

ईसीआर = ऊर्जा प्रभार दर, रुपयों में भेजे गए प्रति केडब्ल्यूएच में

जीएचआर = कुल केंद्र हीट दर, प्रति केडब्ल्यूएच के सीएल में

एलसी = मानकीय चूना पत्थर खपत केजी प्रति केडब्ल्यूएच में

एलपीएल = चूना पत्थर में भारित औसत उधार कीमत रुपए प्रति केजी में

एलपीपीएफ = मास के दौरान प्रारंभिक ईंधन की उधार कीमत, रुपए प्रति केजी में, प्रति लीटर या प्रति मानक क्यूबिक मीटर, जो लागू हो

एसएफसी = विनिर्दिष्ट ईंधन तेल खपत, एमएल प्रति केडब्ल्यूएच में ।

(7) मास के लिए ईंधन की उधार लागत में यथा लागू स्वामित्व, कर तथा शुल्क को छोड़कर ईंधन की श्रेणी तथा क्वालिटी की तत्स्थानी कीमत, रेल/सड़क या किसी अन्य साधनों द्वारा परिवहन लागत सम्मिलित होगी तथा कोयला/लिग्नाइट की दशा में मास के दौरान कोयला लिग्नाइट प्रदाय कंपनी द्वारा भेजे गए कोयले लिग्नाइट की मात्रा की प्रतिशतता के रूप में मानकीय संक्रमण तथा उठाई-धराई हानियों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित रूप में तय की जाएगी :

पिट हैड उत्पादन केंद्र : 02%

गैर-पिट हैड उत्पादन केंद्र : 0.8%

(8) चूना पत्थर की उधार कीमत उत्पादन केंद्र के लिए चूना पत्थर की उपाप्त कीमत के आधार पर, स्वामित्व को छोड़कर,यथा लागू कर तथा शुल्क तथा परिवहन लागत के आधार पर ली जाएगी ।

(9) इस विनियम में यथा उपबंधित टैरिफ संरचना वार्षिक नियत लागत (एएफसी), मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ), संस्थापित क्षमता (आईसी), मानकीय सहायक ऊर्जा खपत (एयूएक्स) तथा ऐसे केंद्रों के लिए ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर) को विनिर्दिष्ट करके नाभिकीय उत्पादन केंद्रों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकार की जा सकेगी ।

22 हाइड्रो-उत्पादन केंद्रों के लिए क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की संगणना तथा संदाय

(1) हाइड्रो उत्पादन केंद्र की नियत लागत की संगणना इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट संनियमों के आधार पर, वार्षिक आधार पर की जाएगी, तथा उस क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को छोड़कर) तथा ऊर्जा प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूली जाएगी, जो उत्पादन केंद्र की बिक्री योग्य क्षमता में उनके अपने-अपने आबंटन के अनुपात में फायदाग्राहियों द्वारा संदेय होंगे अर्थात् गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा को छोड़कर क्षमता में :

परंतु यह कि उत्पादन केंद्र की पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा उत्पादन केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बीच की अवधि के दौरान वार्षिक नियत लागत को ऐसी अवधि के दौरान क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार संदाय का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उत्पादन केंद्र के लिए पूरा होने की लागत के नवीनतम प्राक्कलन के आधार पर निकाला जाएगा ।

(2) कलेंडर मास के लिए हाइड्रो-इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र को संदेय क्षमता प्रभार (प्रोत्साहन को छोड़कर) निम्नलिखित रूप मे होगे :

एएफसीx0.5x एनडीएम/एनडीवाई x (पीएएफएम/एनएपीएएफ) (रुपए में)

जहां,

एएफसी = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत, रुपए में

एनएपीएएफ = प्रतिशतता में मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक

एनडीएम = मास में दिनों की संख्या

एनडीवाई = वर्ष में दिनों की संख्या

पीएएफएम = मास के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशतता में

(3) पीएएफएम निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :

पीएएफएम = 1000 x $\sum$ डीसी$_i$/[एन x आईसी x (100-एयूएक्स)] %

$i = 1$

जहां,

एयूएस = प्रतिशतता में मानकीय सहायक ऊर्जा खपत

डीसी$_i$ = दिन की समाप्ति के पश्चात् नोडल भार प्रेषण केंद्र द्वारा यथा प्रमाणित उस मास के $_i$वें दिन के लिए घोषित क्षमता (एक्स-बस मेगावाट में) जिसमें केंद्र कम से कम तीन (3) घंटे के लिए परिदान कर सकता है ।

आईसी = संपूर्ण उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

एन = मास में दिनों की संख्या

(4) ऊर्जा प्रभार संगणित ऊर्जा प्रभार दर पर, एक्स-बस ऊर्जा संयंत्र आधार पर कलेंडर मास के दौरान फायदाग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली अनुसूचित कुल ऊर्जा, निःशुल्क ऊर्जा को छोड़कर,

यदि कोई हो, के लिए प्रत्येक फायदाग्राही द्वारा संदेय होगा । मास के लिए उत्पादन कंपनी को संदेय कुल ऊर्जा प्रभार निम्नलिखित होंगे :

(रुपए/केडब्ल्यूएच में ऊर्जा प्रभार दर) x [(केडब्ल्यूएच में मास के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) x (100-एफईएचएस)/100]

(5) हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए एक्स-ऊर्जा संयंत्र आधार पर रुपए प्रति केडब्ल्यूएच में ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर) को खंड (7) में उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सूत्र के आधार पर तीन दशमलव स्थानों तक अवधारित की जाएगी :–

ईसीआर = एएफसी x 0.5 x 10/[डीई x (100-एयूएक्स) x (100-एफईएचएस)]

जहां,

डीई = नीचे खंड (6) में उपबंध के अधीन रहते हुए, एमडब्ल्यूएच में हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक डिजाइन ऊर्जा

एफईएचएस = विनियम 32 में यथापरिभाषित, प्रतिशत में गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा

(6) यदि वर्ष के दौरान हाइड्रो उत्पादन केंद्र द्वारा वास्तविक उत्पादित कुल ऊर्जा, उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों से डिजाइन ऊर्जा से कम होती है तो रोलिंग आधार पर निम्नलिखित को लागू किया जाएगा :–

(i) यदि उत्पादन केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से दस वर्ष के भीतर ऊर्जा में कमी आती है, तो ऊर्जा में कमी आए वर्ष के आगामी वर्ष के लिए ईसीआर की संगणना खंड (5) में विनिर्दिष्ट सूत्र के आधार पर इस उपांतरण के अधीन रहते हुए की जाएगी कि वर्ष के लिए डीई को उस पूर्व वर्ष के ऊर्जा प्रभार में कमी होने तक जिसके पश्चात् सामान्य ईसीआर लागू होगा, कमी आए वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के बराबर माना जाएगा ;

(ii) यदि उत्पादन केंद्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 10 वर्ष के पश्चात् ऊर्जा में कमी आती है तो निम्नलिखित को लागू किया जाएगा :

माना केंद्र के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक ऊर्जा डीई, एमडब्ल्यूएच है और संबंधित (पहले) वर्ष तथा आगामी (दूसरे) वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा क्रमशः $ए^1$ तथा $ए^2$ एमडब्ल्यूएच है, $ए^1$ तथा $ए^2$ डीई से कम है, तब तीसरे वित्तीय वर्ष के लिए ईसीआर की संगणना करने हेतु इस विनियम के खंड (5) में दिए गए सूत्र में विचार की जाने वाली डिजाइन ऊर्जा को अधिकतम डीई एमडब्ल्यूएच तथा न्यूनतम एआई एमडब्ल्यूएच के अधीन रहते हुए, ($ए^1$ + $ए^2$ डीई) एमडब्ल्यूएच के रूप में संतुलित किया जाएगा ।

(iii) उत्पादित वास्तविक ऊर्जा (अर्थात् $ए^1$, $ए^2$) को 100/(100-एयूएक्स) द्वारा केंद्र से भेजी गई कुल मीटरित ऊर्जा को गुणांकित करके तय किया जाएगा ।

(7) यदि उपरोक्त खंड (5) में यथा संगणित, हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर), अस्सी पैसे प्रति केडब्ल्यूएच से अधिक होती है, तथा वर्ष में वास्तविक बिक्री योग्य ऊर्जा [डीई x (100-एयूएक्स) x (100-एफईएचएस)/1000] एडब्ल्यूएच से अधिक होती है, तो उपरोक्त से अधिक ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार को केवल अस्सी पैसे प्रति केडब्ल्यूएच पर बिल किया जाएगा ।

परंतु यह कि उस वर्ष के आगामी वर्ष में, जिसमें उत्पादन कंपनी के नियंत्रण के परे कारणों के लिए डिजाइन ऊर्जा उत्पादित कुल ऊर्जा से कम थी, ऊर्जा प्रभार दर को उस पूर्व वर्ष, जिसमें ऊर्जा में कमी आई है, के पश्चात् केवल अस्सी पैसे प्रति केडब्ल्यूएच तक की कमी की जाएगी ।

(8) उपलब्ध होने वाली घोषित सारी ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए संबंधित भार प्रेषण केंद्र, फायदाग्राहियों के परामर्श से, हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्रों के लिए अनुसूची को अंतिम रूप देगा जिसे सभी फायदाग्राहियों के लिए उत्पादन केंद्र में उनके अपने-अपने आबंटनों के अनुपात में अनुसूचित किया जाएगा ।

23. अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभारों की संगणना तथा संदाय

(1) पारेषण प्रणाली की नियत लागत की संगणना इन विनियमों में अंतर्विष्ट संनियमों के अनुसार यथा समुचित संकलित, वार्षिक आधार पर की जाएगी तथा प्रणाली के उन उपयोक्ताओं से पारेषण प्रभारों के रूप में मासिक आधार पर वसूली जाएगी जो विनियम 33 में विनिर्दिष्ट रीति से इन प्रभारों को आपस में बांटेंगे ।

(2) पारेषण प्रणाली या उसके भाग के लिए कलेंडर मास के लिए संदेय पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को छोड़कर) निम्नानुसार होगे :-

एएफसी x (एनडीएम/एनडीवाई) x (टीएएफएम/एनएटीएएफ)

जहां,

एएफसी = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत, रुपए में

एनएटीएफ = मानकीय वार्षिक पारेषण कुल उपलब्धता कारक, प्रतिशत मे

एनडीएम = मास में दिनों की संख्या

एनडीवाई = वर्ष में दिनों की संख्या

टीएएफएम = मास के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में, परिशिष्ट-4 के अनुसार संगणित ।

(3) उस पारेषण प्रणाली के भाग के लिए पारेषण प्रभारों का परिकलन फायदाग्राहियों द्वारा उनके अंश के अनुसार पृथक् रूप से किया जाएगा जिसके पास विभिन्न एनएटीएएफ है तथा उसके पश्चात् संकलित हो ।

(4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी टीएएफएम के अपने प्राक्कलन के आधार पर मास के लिए पारेषण प्रभारों (प्रोत्साहन के साथ) के लिए बिल करेगा । समायोजन, यदि कोई हो, सुसंगत मास के अंतिम दिन से 30 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्र के प्रादेशिक ऊर्जा समिति के सदस्य-सचिव द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले टीएएफएम के आधार पर किया जाएगा ।

24. **अननुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभार** (1) उत्पादन केंद्रों के लिए वास्तविक कुल अंतःक्षेपण तथा अनुसूचित कुल अंतःक्षेपण के बीच सभी अंतर, तथा फायदाग्राहियों के लिए वास्तविक कुल निकासी तथा अनुसूचित कुल निकासी के बीच होने वाले अंतरों को उनके अपने-अपने उन अननुसूचित विनिमय प्रभारों के रूप में माना जाएगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर, विनिर्दिष्ट सुसंगत विनियमों द्वारा शासित होंगे ।

(2) प्रत्येक अंतरराज्यिक इकाई के वास्तविक कुल अनुसूचित विनिमय को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटरों के माध्यम से उसकी सीमा पर मीटरित किया जाएगा तथा संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए एमडब्ल्यूएच में परिकलित किया जाएगा ।

अध्याय 4

प्रचालन संनियम

25. (1) उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्षमता प्रभार, ऊर्जा प्रभार, पारेषण प्रभार तथा प्रोत्साहन की वसूली इस अध्याय मे विनिर्दिष्ट प्रचालनात्मक संनियमों की उपलब्धि के आधार पर होगी ।

(2) आयोग उन किसी भी उत्पादन केंद्रों, जिसके लिए शिथिल संनियम बनाए गए हैं, के संबंध में इस अध्याय मे विनिर्दिष्ट स्टेशन हीट रेट के संनियमों को स्वयं पुनरीक्षित कर सकेगा ।

(3) संनियमों के संबंध में गौण ईंधन तेल खपत के कारण हुई बचत को वर्ष की समाप्ति पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 50:50 के अनुपात मे फायदाग्राहियों के साथ बांटा जाएगा :

$= (\text{एसएफएस} \times \text{एनएपीएएफ} \times 24 \times \text{एनडीवाई} \times \text{आईसी} \times 10 - \text{एसी}_{\text{एसएफओवाई}}) \times \text{एलपीएसएफ}_{\text{वाई}} \times 0.5$

जहां,

$\text{एसी}_{\text{एसएफओवाई}}$ = वर्ष के दौरान गौण ईंधन तेल की वास्तविक खपत एमएल में

थर्मल उत्पादन केंद्र के लिए प्रचालन संनियम

26. नीचे दिए गए प्रचालन संनियम थर्मल उत्पादन केंद्र को लागू होंगे ।

(i) मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ)

(क) खंड (ख), (ग), (घ), (ड) और (च) के सिवाय सभी थर्मल उत्पादन केंद्र - 85%

(ख) एनटीपीसी लि. के कोयला आधारित निम्नलिखित थर्मल उत्पादन केंद्र

तलचर टीपीएस	82%
बदरपुर टीपीएस	82%

(ग) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के निम्नलिखित लिग्नाइट चालित थर्मल उत्पादन केंद्र

टीपीएस-I	72%
टीपीएस-II स्टेज-I और II	75%
टीपीएस-I (विस्तारण)	80%

(घ) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के निम्नलिखित थर्मल उत्पादन केंद्र

मिझा टीपीएस यूनिट-I से IV	82%
बोकारो टीपीएस	75%
चंदरपुर टीपीएस	60%
दुर्गापुर टीपीएस	74%

(ङ) निपको के गैस आधारित निम्नलिखित थर्मल उत्पादन केंद्र

असम जीपीएस	72%

(च) सर्कुलेटरी फ्लयूडाइड बेड कंबस्टन (सीएफबीसी) तकनीकी का उपयोग करने वाले लिग्नाइट चालित उत्पादन केंद्र,--

1. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पहले तीन मास 75%
2. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के 3 वर्ष के पूरा होने के पश्चात् अगले वर्ष से 80%

(ii) <u>सकल स्टेशन हीट रेट</u>

अ. विद्यमान थर्मल उत्पादन केंद्र

(क) विद्यमान कोयला आधारित थर्मल उत्पादन केंद्र जो नीचे खंड (ख) तथा (ग) के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं

200/210/250 मेगावाट सेट	500 मेगावाट सेट (उप-जटिल)
2500 केसीएएल/केडब्ल्यूएच	2425 केसीएएल/केडब्ल्यूएच

टिप्पण 1

500 मेगावाट और उससे ऊपर की यूनिटों, जहां बायलर फीड पम्प विद्युत से प्रचालित किए जाते हैं, के संबंध में, सकल स्टेशन हीट रेट ऊपर विनिर्दिष्ट सकल स्टेशन हीट रेट से निम्न 40 केसीएएल/केडब्ल्यूएच होगा ।

टिप्पण 2

200/210/250 मेगावाट सेट तथा 500 मेगावाट और उससे ऊपर के सेटों के संमिश्रण वाले उत्पादन केंद्रों के लिए मानकीय सकल स्टेशन हीट दर भारित औसत सकल स्टेशन हीट रेट होगी ।

(ख) एनटीपीसी लि. के थर्मल उत्पादन केंद्र :

बदरपुर टीपीएस	2825 केसीएएल/केडब्ल्यूएच
तलचर टीपीएस	2950 केसीएएल/केडब्ल्यूएच
टांडा टीपीएस	2825 केसीएएल/केडब्ल्यूएच

(ग) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के थर्मल उत्पादन केंद्र :

बोकारो टीपीएस	2700 केसीएएल/केडब्ल्यूएच
चंदरपुर टीपीएस	3100 केसीएएल/केडब्ल्यूएच
दुर्गापुर टीपीएस	2820 केसीएएल/केडब्ल्यूएच

(घ) लिग्नाइट चालित थर्मल उत्पादन केंद्र

(1) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के टीपीएस-I तथा टीपीएस-II (प्रक्रम I तथा II) के सिवाय, लिग्नाइट चालित थर्मल उत्पादन केंद्रों के लिए कोयला आधारित थर्मल उत्पादन केंद्रों हेतु उपखंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट सकल स्टेशन हीट रेट निम्नानुसार गुणांकित

कारकों का उपयोग करते हुए, संशोधन के साथ लागू किए जाएंगे :

(i) 50% आर्द्रता वाले लिग्नाइट के लिए : 1.10

(ii) 40% आर्द्रता वाले लिग्नाइट के लिए : 1.07

(iii) 30% आर्द्रता वाले लिग्नाइट के लिए : 1.04

(iv) आर्द्रता अंतर्वस्तु के अन्य मूल्यों के लिए, गुणांकित कारक उपरोक्त उपखंड (i) से (iii) के अधीन दी गई अपनी-अपनी रेंज के लिए गुणांकित कारकों के रेटित मूल्यों पर निर्भर करते हुए, 30-40 तथा 40-50 के बीच आर्द्रता अंतर्वस्तु के लिए प्रो-रेटित होगी ।

(2) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के टीपीएस-I तथा टीपीएस-II (प्रक्रम I तथा II)

टीपीएस-I 4000 केसीएएल/केडब्ल्यूएच

टीपीएस-II 2900 केसीएएल/केडब्ल्यूएच

(ड) ओपन साइकल गैस टर्बाइन/संयुक्त साइकल उत्पादन केंद्र

(i) एनटीपीसी लि. तथा निपको के विद्यमान उत्पादन केंद्र

उत्पादन केंद्र का नाम	संयुक्त साइकल (केसीएएल/केडब्ल्यूएच)	ओपन साइकल (केसीएएल/केडब्ल्यूएच)
गंधार ज़ीपीएस	2040	2960
कवास जीपीएस	2075	3010
अंता जीपीएस	2075	3010
दादरी जीपीएस	2075	3010
औरैया जीपीएस	2100	3045
फरीदाबाद जीपीएस	2000	2900
कायमकुलम जीपीएस	2000	2900
असम जीपीएस	2400	3440
अगरतला जीपीएस		3500

आ. 1.4.2009 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्राप्त करने वाले नए थर्मल उत्पादन केंद्र

(ख) कोयला आधारित तथा लिग्नाइट चालित थर्मल उत्पादन केंद्र (केंद्रे) = 1.065 x डिजाइन हीट रेट (केसीएएल/केडब्ल्यूएच) :

जहां यूनिट की डिजाइन हीट दर से 100% एमसीआर, शून्य प्रतिशत मेकअप, डिजाइन कोयला तथा डिजाइन कूलिंग जल तापमान/बैक दबाव की शर्तो पर प्रदायकर्ता द्वारा गारंटीकृत यूनिट हीट रेट अभिप्रेत है :

परंतु यह कि डिजाइन हीट रेट यूनिटो के दबाव तथा तापमान रेटिंग पर निर्भर करते हुए, निम्नलिखित डिजाइन रेट से अधिक नहीं होगी :

दबाव रेटिंग (केजी/सीएम2)	50	170	170	247	247
एसएचटी/आरएचटी (ओसी)	535/535	537/537	537/565	537/565	565/593
बीएफपी का आकार	विद्युत चालन	टर्बाइन चालन	टर्बाइन चालन	टर्बाइन चालन	टर्बाइन चालन
मैक्स टर्बाइन साइकल हीट रेट	1955	1950	1935	1900	1850
न्यूनतम बायलर दक्षता					
उप-बिटूमिनस भारतीय कोयला	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
बिटूमिनस आयातित कोयला	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
डिजाइन हीट रेट					
उप-बिटूमिनस भारतीय कोयला	2300	2294	2276	2235	2176
बिटूमिनस आयातित कोयला	2197	2191	2174	2135	2079

परंतु यह और कि यदि दबाव तथा तापमान पैरामीटर उपरोक्त रेटिंग से अलग होती है तो निकटतम श्रेणी के उच्चतम डिजाइन हीट रेट को लिया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां यूनिट हीट दर गारंटीकृत नहीं है किंतु टर्बाइन साइकिल हीट रेट तथा बायलर दक्षता उसी प्रदायकर्ता या विभिन्न प्रदायकर्ताओं द्वारा पृथक् रूप से गारंटीकृत है वहां यूनिट डिजाइन हीट रेट को गारंटीकृत टर्बाइन साइकल हीट दर तथा बायलर दक्षता का उपयोग करके तय किया जाएगा :

परंतु यह कि यदि 1.4.2009 से पूर्व एक या अधिक यूनिटों को वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया जाता है तब 1.4.2009 को या उसके पश्चात् उन यूनिटों तथा वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किए गए यूनिटों के लिए हीट दर संनियम विनियम 26(ii) अ (क) के अनुसार उपरोक्त पद्धति तथा संनियमों द्वारा तय किए जाएंगे ।

परंतु यह भी कि लिग्नाइट चालित उत्पादन केंद्रों (सीएफबीसी तकनीकी आधारित केंद्रों सहित) की दशा में, उच्च डिजाइन हीट रेटों को इस विनियम के खंड (ii) अ (घ) के उपखंड (1) में दी गई आर्द्रता अंतर्वस्तु के लिए कारकों का उपयोग करते हुए बढ़ाया जाएगा ।

टिप्पण : ऐसे यूनिटों के संबंध में जहां बायलर फीड पम्प विद्युत रूप से चालित होते हैं, डिजाइन हीट दर टर्बाइन से चालित बीएफपी के साथ उपरोक्त डिजाइन हीट दर से निम्न 40 केसीएएल/केडब्ल्यूएच होगी ।

(ग) गैस आधारित/तरल ईंधन आधारित थर्मल उत्पादन यूनिट (यूनिटें)/ब्लाक (ब्लाकों)

= प्राकृतिक गैस तथा आरएलएनजी के लिए 1.05 X यूनिट/ब्लॉक की 1.05 X डिजाइन हीट रेट (केसीएएल/केडब्लूएच)

= तरल ईंधन के लिए 1.071 X यूनिट/ब्लॉक की 1.071 X डिजाइन हीट रेट

जहां यूनिट के डिजाइन हीट दर से 100% एमसीआर के लिए तथा स्थल संबंधित शर्तों पर गारंटीकृत हीट दर अभिप्रेत है, तथा ब्लॉक की डिजाइन हीट दर से 100% एमसीआर पर ब्लॉक के लिए, स्थल संबंधित शर्तों, शून्य प्रतिशत मेकअप, डिजाइन शीतलन जल तापमान/बैक दबाव के लिए गारंटीकृत हीट दर अभिप्रेत है ।

(iii) गौण ईंधन तेल खपत

(क) नीचे (ग) से भिन्न कोयला आधारित उत्पादन केंद्र : 1.0 एमएल/केडब्ल्यूएच

(ख) (i) सीएफबीसी तकनीकी पर आधारित तथा

टीपीएस-I के सिवाय लिग्नाइट चालित उत्पादन केंद्र : 2.0 एमएल/केडब्ल्यूएच

(ii) टीपीएस-I : 3.5 एमएल/केडब्ल्यूएच

(iii) सीएफबीसी तकनीकी आधारित लिग्नाइट

चालित उत्पादन केंद्र : 1.25 एमएल/केडब्ल्यूएच

(ग) डीवीसी के कोयला आधारित उत्पादन केंद्र :

मिझा टीपीएस यूनिट 1 से 4	2.0 एमएल/केडब्ल्यूएच
बोकारो टीपीएस	2.0 एमएल/केडब्ल्यूएच
चंदरपुर टीपीएस	3.0 एमएल/केडब्ल्यूएच
दुर्गापुर टीपीएस	2.4 एमएल/केडब्ल्यूएच

(iv) सहायक ऊर्जा खपत

(क) नीचे (ख) के सिवाय कोयला आधारित उत्पादन केंद्र :

		प्राकृतिक ड्राफ्ट शीतन टावर के साथ या शीतन टावर के बिना
(i)	200 एमडब्ल्यू सीरीज	8.5%
(ii)	500 एमडब्ल्यू सीरीज और उससे ऊपर	
	भाप चालित बायलर फीड पम्प	6.0%
	विद्युत चालित बायलर फीड पम्प	8.5%

परंतु यह और कि इंड्यूस्ड शीतल टावरों के साथ थर्मल उत्पादन केंद्रों के लिए, संनियमों में 0.5% तक की और वृद्धि की जाएगी ।

(ख) अन्य कोयला आधारित उत्पादन केंद्र :

(i)	तलचर थर्मल ऊर्जा केंद्र	10.5%
(ii)	टांडा थर्मल ऊर्जा केंद्र	12.0%
(iii)	बदरपुर थर्मल ऊर्जा केंद्र	9.5%
(iv)	बोकारो थर्मल ऊर्जा केंद्र	10.25%
(v)	चंदरपुर थर्मल ऊर्जा केंद्र	11.50%
(vi)	दुर्गापुर थर्मल ऊर्जा केंद्र	10.50%

(ग) गैस टर्बाइन/संयुक्त साइकल उत्पादन केंद्र :

(i) संयुक्त साइकल 3.0%

(ii) ओपन साइकल 1.0%

(घ) लिग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन केंद्र :

(i) 200 मेगावाट सेट तथा ऊपर वाले सभी उत्पादन केंद्र :

सहायक ऊर्जा खपत संनियम उपरोक्त (iv) (क) (i) (ii) पर कोयला आधारित उत्पादन केंद्रों के सहायक ऊर्जा खपत संनियमों से 0.5% प्रतिशत बिंदु अधिक होंगे:

परंतु यह कि सीएफबीसी तकनीकी का उपयोग करने वाले लिग्नाइट चालित केंद्रों के लिए सहायक ऊर्जा खपत संनियम उपरोक्त खंड (iv) (क) (i) तथा (ii) पर कोयला आधारित उत्पादन केंद्र के सहायक ऊर्जा खपत से अधिक 1.5% बिंदु होंगे ।

(ii) एनएलसी के सीएफबीसी तकनीकी का उपयोग करने वाले बरसीनगर उत्पादन केंद्र : 11.5%

(iii) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के टीपीएस-I, टीपीएस-I (विस्तारण) तथा टीपीएस-II प्रक्रम I और II :

टीपीएस-I	12.0%
टीपीएस-II	10.0%
टीपीएस-I (विस्तारण)	9.50%

(iv) सीएफबीसी तकनीकी का उपयोग करने वाले लिग्नाइट आधारित उत्पादन केंद्रों के लिए चूना पत्थर खपत

बरसीनगर	: 0.056 केजी/केडब्ल्यूएच
टीपीएस-I (विस्तारण)	: 0.046 केजी/केडब्ल्यूएच

हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के लिए प्रचालन संनियम

27. (i) नीचे दिए गए प्रचालन के संनियम हाइड्रो उत्पादन केंद्र को लागू होंगे :

(1) हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के लिए मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) आयोग द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार अवधारित किया जाएगा :

(i) 8% तक के पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) तथा मध्यम ड्राडाउन स्तर (एमडीडीएल) के बीच हेड फेरफार के साथ भंडारण तथा तालाब आकार के संयंत्र तथा जहां संयंत्र उपलब्धता सिल्ट द्वारा प्रभावित नहीं होती है : 90%

(ii) 8% से अधिक के एफआरएल तथा एमडीडीएल के बीच हेड फेरफार के साथ भंडारण तथा तालाब आकार के संयंत्रों, जहां संयंत्र उपलब्धता सिल्ट से प्रभावित नहीं होती है, संपूर्ण मास जलाशय स्तर में गिरावट के रूप में मेगावाट आउटपुट क्षमता में कटौती के लिए एनएपीएएफ में उपबंधित किए जाने वाले संयंत्र-विनिर्दिष्ट भत्ता । साधारण मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में, इस मद्दे छूट निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए, नेट हेड के प्रक्षेपण से निकाली जाएगी :

(औसत हेड / रेटेड हेड) +0.02

वैकल्पिक रूप से, ऐसे प्रक्षेपण करने में आई कठिनाई की दशा में, छूट को निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा :

[(एमडीडीएल पर हेड/रेटित हेड) x 0.5 + 0.52]

(iii) तालाब आकार के संयंत्र जहां संयंत्र उपलब्धता सिल्ट द्वारा प्रभावित होती है : 85%

(iv) नदी से चलने वाले संयंत्र : पिछले अनुभव द्वारा संतुलित, जहां लागू/सुसंगत हो, 10 दिन डिजाइन ऊर्जा डाटा के आधार पर संयंत्रवार अवधारित किया जाने वाला एनएपीएएफ

(2) विशेष परिस्थितियों, जैसे प्रसामान्य सिल्ट समस्या या अन्य प्रचालन हालात तथा अज्ञात संयंत्र परिसीमाओं के अधीन एनएपीएएफ अवधारण करने में आयोग द्वारा और छूट दी जा सकेगी ।

(3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कठिनाई के लिए 5% की और छूट दी जा सकेगी ।

(4) नई हाइड्रो विद्युत परियोजना की दशा में, विकासकर्ता के पास इस विनियम के उपखंड (1), (2) तथा (3) में प्रगणित सिद्धांतों के आधार पर एनएपीएएफ के नियतन के लिए अग्रिम में आयोग के पास आने का विकल्प होगा ।

(5) पहले ही प्रचालन में हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) निम्नलिखित रूप में होगा :–

केंद्र	**संयंत्र का प्रकार**	**संयंत्र क्षमता यूनिटों की संख्या x मेगावाट**	**एनएपीएएफ (%)**
एनएचपीसी			
चमेरा-I	तालाब	3 x 180	90
बैरासूल	तालाब	3 x 60	85
लोकटक	भंडारण	3 x 35	85
चमेरा-II	तालाब	3 x 100	90

रंजीत	तालाब	3 X 20	85
धौलीगंगा	तालाब	3 X 70	85
तिस्ता-V	तालाब	3 X 170	85
दुलहस्ती	तालाब	3 X 130	90
सलाल	आरओआर	3 X 115	60
उरी	आरओआर	3 X 120	60
टनकपुर	आरओआर	3 X 31.4	55
एनएचडीसी			
इंदिरा सागर	भंडारण	3 X 125	85
ओंकारेश्वर	तालाब	3 X 65	90
टीएचडीसी			
टिहरी प्रक्रम-I	भंडारण	3 X 250	77
एसजेवीएनएल			
नाथपा झाकरी	तालाब	3 X 250	82
निपको			
कोपली स्टेज-1	भंडारण	3 X 50	79
खांनडाग तथा कोपली स्टेज-2	भंडारण	3 X 25	69
डोयांग	भंडारण	3 X 25	73
रंगानदी	तालाब	3 X 135	85
डीवीसी			
पंचेट	भंडारण	3 X 40	80
तिलैया	भंडारण	3 X 2	80
मैथान	भंडारण	3 X 20	80

(II) <u>सहायक ऊर्जा खपत (एयूएक्स)</u> :

(क) भूतल हाइड्रो उत्पादन केंद्र

(i) उत्पादक शाफ्ट पर गठित रोटेरिंग एक्साइटरों के साथ - 0.7%

(ii) स्टेटिक अर्जन प्रणाली के साथ - 0.1%

(ख) भूमिगत हाइड्रो उत्पादन केंद्र

(i) उत्पादक शाफ्ट पर गठित उद्दीपक रोटेटिंग के साथ - 0.9%

(ii) स्टेटिक उद्दीपन प्रणाली के साथ - 1.2%

पारेषण प्रणाली के लिए प्रचालन संनियम

28. **मानकीय वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (एनएटीएसएफ)** निम्नानुसार होंगे :-

(1) एसी प्रणाली : 98%

(2) एचवीडीसी बाई-पोल लिंक्स : 92%

(3) तथा एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन : 95%

29. **उपकेंद्र में सहायक ऊर्जा खपत**

(क) एसी प्रणाली

वातानुकुलन, प्रकाश तथा अन्य उपस्कर में खपत के प्रयोजन के लिए एसी उपकेंद्र में सहायक ऊर्जा खपत के लिए प्रभारों का वहन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा तथा इसमें मानकीय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे सम्मिलित हैं ।

(ख) एचवीडीसी उप-केंद्र

एचवीडीसी उप-केंद्र में सहायक ऊर्जा खपत के लिए, केंद्रीय सरकार एक या अधिक आईएसजीएस से समुचित अंश का आबंटन कर सकेगी । एसी ऊर्जा के लिए प्रभारों का वहन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा तथा इसमें मानकीय प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे भी सम्मिलित हैं ।

अध्याय - 5

अनुसूचीकरण, लेखांकन और बिलिंग

30. **अनुसूचीकरण** उत्पादन केंद्र के लिए अनूसूचीकण और प्रेषण के लिए रीति समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगी ।

31. **मीटरिंग और लेखाकंन** समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के उपबंध लागू होंगे ।

32. **बिलिंग और प्रभार का संदाय** (1) क्षमता प्रभार और पारेषण प्रभार के लिए बिल मासिक आधार पर बिल इन विनियमों के अनुसार उत्पादन कंपनियों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्रमशः जारी किए जाएंगे और फायदाग्राहियों या पारेषण ग्राहकों द्वारा संदाय प्रत्यक्षतः, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को किया जाएगा ।

(2) थर्मल उत्पादन केंद्रों के मामले में, क्षमता प्रभार का संदाय, उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता में उत्पादन केंद्र के फायदाग्राहियों द्वारा उस मास के लिए (अनाबंटित क्षमता में से किसी आबंटन सहित) उनकी प्रतिशतता अंश के अनुसार बांटा जाएगा । हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार का संदाय विक्रय योग्य क्षमता में (टिप्पण 3 के अनुसार गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा की तत्स्थानी क्षमता के समायोजन के बाद अवधारित की जाने वाली) उनके अंश के अनुपात में (अनाबंटित क्षमता में से आबंटन सहित) उत्पादन केंद्र के फायदाग्राहियों द्वारा बांटा जाएगा ।

टिप्पण 1

केंद्रीय सेक्टर उत्पादन केंद्रों की पूर्ण क्षमता में प्रत्येक हिताधिकारी के अंश/आबंटन अनाबंटित क्षमता में से किए गए किसी आबंटन सहित ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं । अंशों को, केंद्र क्षमता की प्रतिशतता में उपयोजित किया जाएगा और मास के दौरान वे सामान्यतया नियत रहेंगे । केंद्रीय सरकार के विनिश्चय पर आधारित आबंटन में परिवर्तनों की सूचना सदस्य सचिव, प्रादेशिक विद्युत समिति द्वारा कलेंडर मास प्रारंभ होने के पूर्व कम से कम तीन दिन अग्रिम में सिवाय आपातकालीन मामले के जब अनाबंटित क्षमता में से आंबटन में तत्काल परिवर्तन हो जाए, दी जाएगी । किसी भी

फायदाग्राही के कुल क्षमता अंश, क्षमता अंश और अनाबंटित भाग में से आबंटन का योग होंगे । केंद्रीय सरकार द्वारा अनाबंटित विद्युत के किसी विशिष्ट आबंटन की अनुपस्थिति में, अनाबंटित विद्युत को आबंटित अंशों में उसी अनुपात में जोड़ा जाएगा जो कि आबंटित अंशों का है ।

टिप्पण 2

हिताधिकारी अपने आबंटित फर्म के अंश के एक भाग को क्षेत्र के भीतर या बाहर राज्यों को अभ्यर्पित करने का प्रस्ताव कर सकेंगे । ऐसे मामलों में, विद्युत अंतरण की तकनीकी व्यावहार्यता और उत्पादन कंपनी द्वारा क्षेत्र के भीतर या बाहर अन्य राज्यों से किए गए विशिष्ट करारों पर निर्भर करते हुए, फायदाग्राहियों के अंश केंद्रीय सरकार द्वारा कलेंडर मास के प्रारंभ होने पर भावी रूप में एक विनिर्दिष्ट अवधि (पूरे मास में) के लिए पुनः आबंटित किंए जा सकेंगे । जब इस प्रकार से पुनः आबंटन कर दिया जाए, अंश अभ्यर्पित करने वाले फायदाग्राही अभ्यर्पित अंशों के लिए क्षमता प्रभारों का संदाय करने के दायी नहीं होंगे । उपरोक्तानुसार अभ्यर्पित और पुनः आबंटित क्षमता के लिए क्षमता प्रभारों का संदाय उस राज्य या राज्यों द्वारा किया जाएगा जिन्हें अभ्यर्पित क्षमता आबंटित की गई है । उपरोक्तानुसार क्षमता के पुनः आंबटन की अवधि के सिवाय, उत्पादन केंद्र के हिताधिकारी, आबंटित क्षमता अंशों के अनुसार पूर्ण क्षमता प्रभारों का संदाय करते रहेंगे । ऐसे किसी भी पुनः आबंटन की सूचना सभी संबंधित व्यक्तियों को सदस्य-सचिव, क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा, ऐसा पुनः आबंटन प्रभावी होने के पूर्व कम से कम तीन दिन अग्रिम में दी जाएगी ।

टिप्पण 3

एफईएचएस = प्रतिशतता में गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा 12% के रूप में ली जाएगी :

परंतु यह कि उन मामलों में जहां हाइड्रो परियोजना का स्थल बोली की दो पारदर्शी प्रक्रिया प्रक्रम का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा विकासकर्ता (जो राज्य के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन कंपनी नहीं है) को दिए जाते हैं, वहां 13% "निःशुल्क ऊर्जा" की जाएगी तथा जिसमें उत्पादन केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 10 वर्ष की

अवधि के लिए प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को प्रत्येक मास निःशुल्क लागत पर प्रदान की जाने वाली विद्युत के 100 यूनिटों के तत्स्थानी ऊर्जा भी सम्मिलित हैं ।

(3) क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्य-सचिव द्वारा जारी मासिक ऊर्जा लेखा में उस अनुपात को विनिर्दिष्ट करने वाला विवरण भी सम्मिलित होगा जिसमें इस मास के लिए पारेषण प्रभारों को विनियम 33 के अनुसार पारेषण उपयोगकर्ताओं द्वारा बांटा जाना है ।

33. **पारेषण प्रभारों का विभाजन** (1) संबंधित क्षेत्रीय (सामान्य) पारेषण प्रणाली के प्रयोक्ताओं द्वारा किसी मास के लिए संदेय क्षेत्रीय प्रभार निकालने के लिए निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

(क) क्षेत्र में अंतरराज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के सभी घटकों के लिए उस मास हेतु संदेय रकम, जिसके लिए प्रभारों को सभी क्षेत्र फायदाग्राहियों द्वारा पूल किया जाना और साझा करना करार पाया है । इसमें अनिवार्य रूप से 1.4.2008 को वाणिज्यिक प्रचालन में आईएसटीएस के सभी संघटक तथा उत्पादन केंद्र, जिसकी उत्पादन यूनिट को 31.3.2008 को वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया गया था, से संबद्ध पारेषण प्रणाली के सभी संघटक भी सम्मिलित होंगे ।

(ख) सभी संपूर्ण नई पारेषण प्रणालियों या ऐसे भागों के लिए मास हेतु संदेय रकम, जिसके लिए क्षेत्रीय फायदाग्राहियों ने पूल आधार पर प्रभारों का संदाय करने का करार किया है या आयोग द्वारा ऐसा विनिश्चित किया गया है । इनमें, भावी उत्पादन परिवर्धन को पूरा करने के लिए उसमें निर्मित अतिरिक्त क्षमता के अनुपात के साथ किसी नई सहबद्ध पारेषण प्रणाली और/या सबंधित विद्युत संयंत्र के प्रत्यक्षतः विशेषता योग्य न होने को सशक्त बनाने वाली प्रणाली के लिए कुल प्रभारों के समुचित अंश सम्मिलित हो सकेंगे ।

(2) उपरोक्त क्षेत्रीय पारेषण प्रभार (कुल मिलाकर) निम्नलिखित में बांटे जाएंगे :

(i) उस क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों मे अंतर-राज्य उत्पादन केंद्रों में मास के दौरान सभी क्षेत्रीय फायदाग्राही अपने-अपने हकदारी (एमडब्ल्यू में) की राशि के अनुपात में, किंतु ऐसी उत्पादन क्षमता को अपवर्जित करते हुए जिसके लिए सहबद्ध पारेषण प्रणाली के प्रभार पूरी तरह पूल नहीं किए जा रहे हैं ।

(ii) संबंधित क्षेत्र में किसी उत्पादन केंद्र में हकदारी रखने वाले अन्य क्षेत्रों के फायदाग्राही, मास के दौरान ऐसी हकदारी (एमडब्ल्यू में) के अनुपात में, किंतु ऐसी उत्पादन क्षमता को अपवर्जित करते हुए जिसके लिए सहबद्ध पारेषण प्रणाली के प्रभार पूरी तरह पूल नहीं किए जा रहे हैं ।

(iii) क्षेत्र में अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध उत्पादन केंद्रों की स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनिया किंतु जिनके लिए किसी भी कारण से सहबद्ध पारेषण प्रणाली पूरी तरह कमीशन नहीं हुए है, मास की समाप्ति तक तक कमीशन की गई उत्पादन क्षमता और मास के प्रारंभ तक कमीशन की गई अभिहित सहबद्ध केंद्रीय पारेषण प्रणाली वाली क्षमता के बीच अंतर (एमडब्ल्यू में) के अनुपात में ।

(iv) क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली के मध्यम-अवधि प्रयोक्ता, एमडब्ल्यू के अनुपात में जिसके लिए उस मास हेतु मध्यम-अवधि उपयोग को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

(3) सिवाय ऐसे मामलों के जहां विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा करार किया गया है, अंतर-क्षेत्रीय लिंक के लिए पारेषण प्रभार निम्नलिखित रीति में बांटे जाएंगे :

(i) पूर्वी और उत्तरी/पश्चिमी/दक्षिणी क्षेत्रों के मध्य अंतर-क्षेत्रीय लिंकों के लिए उस मास हेतु संदेय रकम अंतर-राज्य उत्पादन केंद्रों में उनकी अपनी-अपनी हकदारियों (एमडब्ल्यू में) की राशि के अनुपात में उनके अपने क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में, पश्चात्वर्ती क्षेत्र (उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी) के हिताधिकारियों द्वारा वहन की जाएगी, किंतु ऐसी उत्पादन क्षमता को अपवर्जित करते हुए जिसके लिए सहबद्ध पारेषण प्रणाली के प्रभार पूरी तरह पूल नहीं किए जा रहे हैं ।

(ii) उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच और पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के बीच अंतर-क्षेत्रीय लिंकों के लिए उस मास हेतु संदेय रकम लिंक्ड क्षेत्रों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की जाएगी और संबंधित क्षेत्र में हिताधिकारियों द्वारा उनके अपने क्षेत्र में अंतर-राज्य उत्पादन केंद्रों में उनकी अपनी-अपनी हकदारियों (एमडब्ल्यू में) राशि के अनुपात में बांटी जाएगी, किंतु ऐसी उत्पादन क्षमता को अपवर्जित करते हुए जिसके लिए सहबद्ध पारेषण प्रणाली के प्रभार पूरी तरह पूल नहीं किए जा रहे हैं ;

परंतु यह कि 220 केवी बीरपारा-सलाकाटी पारेषण लाइन को पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली का भाग माना जाएगा और इसके प्रभार केवल पूर्वी क्षेत्र के फायदाग्राहियों द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(4) ऐसी सहबद्ध पारेषण प्रणालियों या उनके भाग के लिए जिनके वाणिज्यिक रूप से क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली के साथ पूल होने का करार नहीं किया गया है, लागू पारेषण प्रभार संबंधित उत्पादन केंद्र (केंद्रों) के फायदाग्राहियों द्वारा वहन किए जाएंगे और उन्हीं के मध्य बांटे जाएंगे जैसा कि आपस में करार पाया जाए या आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(5) 400/220 के.वी. अपचायी ट्रांसफार्मरों (आईसीटीएस) और अनुप्रवाह प्रणालियों के लिए पारेषण प्रभार, यदि सभी क्षेत्रीय फायदाग्राहियों द्वारा पहले से पूल किए जाने और बांटे जाने का करार न किया गया हो, अलग से अवधारित किए जाएंगे तथा केवल प्रत्यक्षतः सभी क्षेत्रीय हिताधिकारी द्वारा संदेय होंगे ।

(6) उपरोक्त खंड 2(i) और खंड 3(ii) के प्रयोजन के लिए, भूटान में चुखा, ताला और कुरिच्छू हाइड्रो-विद्युत उत्पादन केंद्रों में पूर्वी क्षेत्र फायदाग्राहियों की हकदारियां, उनके अपने क्षेत्र में आईएसजीएस में हकदारियां समझी जाएंगी ।

(7) किसी ऐसे संयंत्र की क्षमता के तत्स्थानी पारेषण प्रभार, जिसके लिए किसी फायदाग्राही की पहचान नहीं की गई है और संविदा नहीं की गई है, संबंधित उत्पादन कंपनी द्वारा संदत्त किए जाएंगे ।

34. <u>**छूट**</u> (1) उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बिलों का संदाय उनके प्रस्तुत होने पर प्रत्यय पत्र के माध्यम से करने पर 2% की छूट अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) जहां उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्ति द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने के एक मास भीतर प्रत्यय पत्र से भिन्न रीति में संदाय किया जाता है, वहां 1% की छूट अनुज्ञात की जाएगी ।

35. <u>**विलंब से संदाय पर अधिकार**</u> इन विनियमों के अधीन संदेय प्रभारों के लिए यदि किसी बिल के संदाय में किसी फायदाग्राही द्वारा, बिलिंग की तारीख से 60 से अधिक अवधि का विलंब किया जाता है, तो यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 1.25% की दर से विलंब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट संतुलित टैरिफ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, छूट देने वाले कारक को आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा ।

(2) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के विद्यमान उत्पादन केंद्रों अर्थात् टीपीएस-I और टीपीएस-II (प्रक्रम I और II) तथा टीपीएस-I (विस्तार) एवं एनटीपीसी लि. के बदरपुर टीपीएस के टैरिफ, जिनके टैरिफ, टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए शुद्ध नियत आस्ति प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए अवधारित किए गए थे, शुद्ध नियत आस्ति प्रस्ताव को अपनाते हुए ही अवधारित किए जाते रहेंगे ।

39. आय पर कर (1) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आय प्रवाहों पर कर, यथास्थिति, हिताधिकारियों या दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाएगा :

परंतु यह कि 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए आस्थगित कर दायित्व, सीमांत फायदा कर को छोड़कर, जब भी वह देय हो जाए, हिताधिकारियों से प्रत्यक्षतः वसूलनीय होगा ।

40. विदेशी मुद्रा दर में भिन्नता (1) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज या उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली के लिए भागतः या पूर्णतः अर्जित विदेशी उधार के प्रतिदेय के संबंध में, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के विवेकानुसार विदेशी मुद्रा अपावरण का बचाव कर सकेंगे ।

(2) प्रत्येक उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, सुसंगत वर्ष में वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर आदर्शी विदेशी ऋण के तत्समानी विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के बचाव की लागत उस अवधि में जब यह उत्पन्न हो, खर्च के रूप में वसूल करेंगे और ऐसी विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के तत्समानी अतिरिक्त रुपया दायित्व बचाव किए गए विदेशी ऋण के विरुद्ध अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3) उस सीमा तक जहां तक उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मुद्रा अपावरण का बचाव करने मे असमर्थ हैं, सुसंगत वर्ष में ब्याज के संदाय के लिए तथा आदर्शी विदेशी मुद्रा के तत्समानी उधार प्रतिदाय के प्रति अतिरिक्त रुपया दायित्व अनुज्ञेय होगा परंतु यह तब जब यह

उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या इसके प्रदायकर्ताओं या संविदाकारों को लक्षणीय न हो ।

(4) प्रत्येक उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी बचाव की लागत तथा विदेशी मुद्रा दर भिन्नता की वसूली वर्ष प्रति वर्ष आधार पर उस अवधि में जिनमें वे उत्पन्न हो, आय या खर्च के रूप में करेंगी ।

41. **विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के बचाव (हेजिंग) की लागत की वसूली** यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, बचाव और विदेशी मुद्रा दर भिन्नता की लागत की वसूली प्रत्यक्षतः यथास्थिति, फायदाग्राहियों या दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों से, आयोग के समक्ष बिना कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए करेगी :

परंतु यह कि विदेशी मुद्रा दर भिन्नता या बचाव की लागत के संबंध में दावा की गई रकम पर यदि फायदाग्राहियों द्वारा कोई आक्षेप किया जाता है तो, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष एक समुचित आवेदन-पत्र इसके विनिश्चय के लिए कर सकेंगे ।

42. **आवेदन-पत्र फीस और प्रकाशन खर्च** आवेदन फाइल करने की फीस और टैरिफ के अनुमोदन के लिए आवेदन में नोटिसों के प्रकाशन पर उपगत खर्च आयोग के विवेक पर, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्यक्षतः, यथास्थिति, फायदाग्राहियों या दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों से वसूल किए जाने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।

43. **दामोदर घाटी निगम के संबंध में विशेष उपबंध** (1) खंड (2) के अधीन रहते हुए, ये विनियम दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के स्वामित्वाधीन परियोजनाओं के टैरिफ के अवधारण के लिए लागू होंगे ।

(2) डीवीसी के स्वामित्वाधीन परियोजनाओं के टैरिफ अवधारण के लिए निम्नलिखित विशेष उपबंध लागू होंगे :

(i) पूंजी लागत : दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 और धारा 33 के अर्थ में "विद्युत" को आबंटित व्यय, उत्पादन और अंतर-राज्यिक पारेषण के

भाग - 1

प्ररुप- 1

सारांश शीट

कंपनी का नाम

ऊर्जा केन्द्र का नाम

क्षेत्र राज्य जिला

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	अवक्षयण						
1.2	ऋण पर ब्याज						
1.3	रिर्टन आन ईक्विटी[1]						
1.4	कामकाज पूंजी पर ब्याज						
1.5	प्रचालन और रख-रखाव व्यय						
1.6	गौण ईंधन तेल की लागत						
1.7	प्रतिकर भत्ता (यदि लागू हो)						
1.8	विशेष भत्ता (यदि लागू हो)						
	कुल						
2	ऊर्जा प्रभार दर एक्स-बस (रुपए/किलोवाट प्रति घंटा में)[2क,2ख,2ग,2घ]						

1 सगंणना के ब्यौरे विनियम के अनुसार विचार किए गए इक्विटी के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं ।

2क. यदि साथ-साथ बहु ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो व्यष्टिक रूप से व्यष्टिक ईंधन के संबंध में 2 दें

2ख. गैस/द्रव ईंधन चालित संयंत्रों की दशा में, ओपन साइकल प्रचालन और संयुक्त साइकल प्रचालन के लिए विद्युत प्रभार की दर पृथक् रूप से संगणित की जाएगी

2ग. भेजी जाने वाली अनुसूचित एक्स-बस के आधार पर कुल ऊर्जा प्रभार तय किया जाएगा ।

2घ. ऊर्जा प्रभार दर विनियम 21(6)(क) के अनुसार मास के लिए ईंधन लागत(लागतों) और जीसीवी(एस) के आधार पर होंगे ।

याचिकाकर्ता

अन्य जानकारी/दस्तावेज		
क्र.सं.	जानकारी/दस्तावेज	टिक
1.	समामेलन का प्रमाणपत्र, कारबार आरंभ करने का प्रमाणपत्र, संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद (के.वि.वि.आ. को पहली बार टैरिफ के लिए आवेदन करने वाली कंपनी द्वारा स्थापित नए केन्द्रों के लिए)	
2.	नए केन्द्रों और सुसंगत वर्षों के लिए केन्द्र के सीओडी पर सभी अनुसूचियों और परिशिष्टियों सहित केन्द्र वार और कारपोरेट संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे	
3.	सुसंगत ऋण करारों की प्रतियो	
4.	पूंजी लागत और वित्तीय पैकेज के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां	
5.	विदेशी ईक्विटी के लिए ईक्विटी भागीदारी करार और आवश्यक अनुमोदन की प्रतियां	
6.	फायदाग्रहियों, यदि कोई हों, के साथ बी.पी.एस.ए./पीपीए की प्रतियां	
7.	समय और अधिक लागत, यदि लागू हो को देने वाले कारणों का ब्यौरे-वार टिप्पण	
8.	कोई अन्य जानकारी (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

टिप्पण : याचिका की इलैक्ट्रानिक प्रति (फारमेट शब्दों में) तथा इन फारमेटों (एक्सेल फारमेट) के अनुसार संगणना के ब्यौरे तथा कोई अन्य जानकारी सी.डी/फ्लापी डिस्क के रूप में भी प्रस्तुत की जाएगी ।

भाग - 1

प्ररूप- 1

सारांश शीट

कंपनी का नाम

ऊर्जा केन्द्र का नाम

क्षेत्र राज्य जिला

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां		विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2		3	4	5	6	7	8
1.1	अवक्षयण							
1.2	ऋण पर ब्याज							
1.3	रिर्टन आन ईक्विटी[1]							
1.4	कामकाज पूंजी पर ब्याज							
1.5	प्रचालन और रख-रखाव व्यय							
1.6	गौण ईंधन तेल की लागत							
1.7	प्रतिकर भत्ता (यदि लागू हो)							
1.8	विशेष भत्ता (यदि लागू हो)							
	कुल							
2	ऊर्जा प्रभार दर एक्स-बस (रूपए/किलोवाट प्रति घंटा में)[2क,2ख,2ग,2घ]							

1 सगंणना के ब्यौरे विनियम के अनुसार विचार किए गए इक्विटी के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं ।

2क. यदि साथ-साथ बहु ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो व्यष्टिक रूप से व्यष्टिक ईंधन के संबंध में 2 दें

2ख. गैस/द्रव ईंधन चालित संयंत्रों की दशा में, ओपन साइकल प्रचालन और संयुक्त साइकल प्रचालन के लिए विद्युत प्रभार की दर पृथक् रूप से संगणित की जाएगी

2ग. भेजी जाने वाली अनुसूचित एक्स-बस के आधार पर कुल ऊर्जा प्रभार तय किया जाएगा ।

2घ. ऊर्जा प्रभार दर विनियम 21(6)(क) के अनुसार मास के लिए ईंधन लागत(लागतों) और जीसीवी(एस) के आधार पर होंगे ।

याचिकाकर्ता

अन्य जानकारी/दस्तावेज		
क्र.सं.	जानकारी/दस्तावेज	टिक
1.	समामेलन का प्रमाणपत्र, कारबार आरंभ करने का प्रमाणपत्र, संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद (के.वि.वि.आ. को पहली बार टैरिफ के लिए आवेदन करने वाली कंपनी द्वारा स्थापित नए केन्द्रों के लिए)	
2.	नए केन्द्रों और सुसंगत वर्षों के लिए केन्द्र के सीओडी पर सभी अनुसूचियों और परिशिष्टियों सहित केन्द्र वार और कारपोरेट संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे	
3.	सुसंगत ऋण करारों की प्रतियों	
4.	पूंजी लागत और वित्तीय पैकेज के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां	
5.	विदेशी ईक्विटी के लिए ईक्विटी भागीदारी करार और आवश्यक अनुमोदन की प्रतियां	
6.	फ़ायदाग्रहियों, यदि कोई हो, के साथ बी.पी.एस.ए./पीपीए की प्रतियां	
7.	समय और अधिक लागत, यदि लागू हो को देने वाले कारणों का ब्यौरे-वार टिप्पण	
8.	कोई अन्य जानकारी (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

टिप्पण : याचिका की इलैक्ट्रानिक प्रति (फारमेट शब्दों में) तथा इन फारमेटों (एक्सेल फारमेट) के अनुसार संगणना के ब्यौरे तथा कोई अन्य जानकारी सी.डी/फ्लापी डिस्क के रूप में भी प्रस्तुत की जाएगी ।

भाग - 1
प्ररूप - 3

टेरिफ की संगणना करने के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम

			मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष				
विशिष्टियां	यूनिट	यथा विद्यमान					
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गारंटीकृत डिजाइन हीट दर							
ईक्विटी पर रिटर्न की दर	%						
कर दर	%						
लक्ष्य उपलब्धता	%						
सहायक ऊर्जा खपत	%						
कुल केन्द्र ताप दर	केसीएएल/केडब्ल्यूएच						
विनिर्दिष्ट ईंधन तेल खपत	एमएल/केडब्ल्यूएच						
कामकाज पूंजी के लिए कोयला/लिग्नाइट की लागत[1]	मास मे						
कामकाज पूंजी के लिए मुख्य गौण ईंधन तेल की लागत[1]	मास मे						
कामकाज पूंजी के लिए ईंधन लागत[2]	मास मे						
कामकाज पूंजी के लिए द्रव ईंधन स्टाक लागत[2]	मास मे						
ओ एंड एम लागत	रूपए/एमडब्ल्यू						
कामकाज पूंजी के लिए रखरखाव पूर्जे	ओ और एम का %						
कामकाज पूंजी के लिए प्राप्य	मास मे						
..........[3] को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य उधार दर	%						

1 कोयला आधारित/लिग्नाइट आधारित उत्पादन केन्द्र के लिए
2 गैस ईंधन तथा तरल ईंधन पर प्रचालन पद्धति पर सम्यक रूप से विचार करते हुए गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र
3 उल्लिखित सुसंगत तारीख

आवेदक/याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररूप - 4

विदेशी ऋण के ब्यौरे

(याचिका के अधीन परियोजना को लागू ऋणों के संबंध में ब्यौरे)

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम
वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को विनिमय दर
31.3.2009 को विनिमय दर

(रकम लाखों में)

वित्तीय वर्ष (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रारंभ)	वर्ष 1				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)
मुद्रा1[1]												
निकासी की तारीख पर[2]												
मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
हेजिंग की दशा में[3]												
हेजिंग की दर पर												
हेजिंग की अवधि												
हेजिंग की लागत												
मुद्रा2[1]												
निकासी की तारीख पर[2]												
मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												

ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
हेजिंग की दशा में[3]												
हेजिंग की तारीख												
हेजिंग की अवधि												
हेजिंग की लागत												
मुद्रा3[1] और उससे आगे												
निकासी की तारीख पर[2]												
मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
हेजिंग की दशा में[3]												
हेजिंग की तारीख												
हेजिंग की अवधि												
हेजिंग की लागत												

1 मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस $ डी एम, आदि में उल्लिखित किया जाना है ।

2 वर्ष में एक से अधिक निकासी की दशा में, प्रत्येक निकासी की तारीख को मुद्रा की दर दी जानी है ।

3 वर्ष के दौरान एक से अधिक हेजिंग या भाग हेजिंग की दशा में, हेजिंग के ब्यौरे, प्रत्येक हेजिंग के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं ।

4 यथा लागू (जैसे रोका गया कर) के ब्यौरे, जिसमें कर में परिवर्तन भी सम्मिलित है, वह तारीख जिससे परिवर्तन हुआ है स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररूप - 4क

विदेशी ईक्विटी के ब्यौरे

(याचिका के अधीन परियोजना को लागू ऋणों के संबंध में ब्यौरे)

कंपनी का नाम
उर्जा केन्द्र का नाम
इफ्यूजन की तारीख को मुद्रा विनिमय दर

(रकम लाखों में)

	वित्तीय वर्ष	वर्ष 1				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)
क.1	मुद्रा1[1]												
2	इफ्यूजन की तारीख पर												
3													
4													
ख.1	मुद्रा2[1]												
1	इफ्यूजन की तारीख पर												
2													
3													
क.1	मुद्रा3[1]												
2	इफ्यूजन की तारीख पर												

3													
4													
ख	मुद्रा4[1] और उससे आगे												
1	इक्विटी इंफ्यूजन की तारीख पर												
2													
3[2]													

1 मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस $ डी एम, आदि में उल्लिखित किया जाना है ।

2 वर्ष के दौरान एक से अधिक बार ईक्विटी इंफ्यूजन की दशा में, प्रत्येक इंफ्यूजन की तारीख को मुद्रा की दर दी जानी है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररूप - 5

विद्यमान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूंजी लागत का सारांश

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम

के.वि.वि.आ. द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत	
.... को स्वीकृत पूंजी लागत	
(के.वि.वि.आ. के सुसंगत आदेश का याचिका सं. और तारीख सहित संदर्भ दें)	
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. $ या सुसंगत मुद्रा में)	
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए विचार किए गए विदेशी मुद्रा दर	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए हेजिंग लागत, यदि कोई हो,	
स्वीकृत कुल पूंजी लागत (रूपए करोड़ में)	
	याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररूप - 5क

नई परियोजनाओं के लिए प्राक्कलित पूंजी लागत तथा कमीशनिंग की अनुसूची का सारांश

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम
नई परियोजनाएं
प्राक्कलित पूंजी लागत

प्राक्कलित पूंजी लागत को अनुमोदित करने वाला निदेशक बोर्ड/अभिकरण		
प्राक्कलित पूंजी लागत के अनुमोदन की तारीख		
	वर्तमान दिन लागत	संपूर्ण लागत
अनुमोदित प्राक्कलन की कीमत स्तर	.... वर्ष ... तिमाही की समाप्ति के अनुसार	केन्द्र की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के अनुसार
पूंजी लागत प्राक्कलित के लिए विचार किए गए विदेशी मुद्रा दर		
पूंजी लागत आईडीसी और एफसी को छोड़कर		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		
पूंजी लागत, जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत भी है(रूपए करोड़ में)		
आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		
आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर पूंजी लागत (रूपए करोड़ में)		
विचार किए गए करों और शुल्कों की दर		

पूंजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत भी हैं		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ मे)		
पूंजी लागत, जिसमें आईडीसी तथा एफसी भी है(रूपए करोड़ में)		
लगाए जाने की अनुसूची		
यूनिट 1/ब्लाक 1 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख		
यूनिट 2/ब्लाक 2 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख		
....		
....		
अंतिम यूनिट/ब्लाक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख		

टिप्पण :

1. अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए ।
2. पूंजी लागत के ब्यौरे यथालागू प्ररूप 5ख या 5ग के अनुसार दिए जाने हैं ।
3. आईडीसी और वित्तीय प्रभारों के ब्यौरे प्ररूप 14 के अनुसार दिए जाने हैं ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररूप - 5ख

कोयला/लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत का ब्यौरा

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	ब्रेक डाउन	मूल प्राक्कलन के अनुसार	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को वास्तविक पूंजी	दायित्व/ उपबंध	परिवर्तन (3-4-5)	परिवर्तन के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.0	भूमि और स्थल विकास की लागत					
1.1	भूमि					
1.2	सुधार और पुनर्वास (आर एंड आर)					
1.3	प्रारंभिक निरीक्षण और स्थल विकास					
	कुल भूमि और स्थल विकास					
2.0	संयंत्र और उपस्कर					
2.1	स्टीम टर्बाइन जनरेटर आइलैंड					
2.2	टर्बाइन जनरेटर आइलैंड					
2.3	बीओपी यांत्रिक					
2.3.1	बाह्य जल प्रदाय प्रणाली					
2.3.2	सीडब्ल्यू प्रणाली					
2.3.3	डीएम जल संयंत्र					
2.3.4	विशुद्धीकरण संयंत्र					
2.3.5	क्लोरीनीकरण संयंत्र					
2.3.6	ईंधन ले जाने और भंडारण प्रणाली					
2.3.7	राख उठाने की प्रणाली					
2.3.8	कोयला उठाने की प्रणाली					
2.3.9	रोलिंग स्टाक और लोकोमोटिव					
2.3.10	एमजीआर					
2.3.11	वायु कम्प्रेसर प्रणाली					
2.3.12	वातानुकूलन और संवातन प्रणाली					
2.3.13	अग्निशामक प्रणाली					
2.3.14	एचपी/एल पी पाइपिंग					
	कुल बीओपी यांत्रिक					
2.4	बीओपी इलैक्ट्रिकल					
2.4.1	स्विचयार्ड पैकेज					
2.4.2	ट्रांसफार्मर पैकेज					
2.4.3	स्विच गियर पैकेज					
2.4.4	केबल, केबल प्रसुविधा और ग्राउंडिंग					
2.4.5	प्रकाश					

2.4.6	आपातकालीन डीजी सेट					
	कुल [illegible] इलेक्ट्रिकल					
2.5	सी एंड आई पैकेज					
	कुल संयंत्र और उपस्कर जिसमें कर और शुल्क भी सम्मिलित है					
2.6.0	कर और शुल्क					
2.6.1	सीमा-शुल्क					
2.6.2	अन्य कर और शुल्क					
	कुल कर और शुल्क					
	कुल संयंत्र और उपस्कर					
3.0	आरंभिक पुर्जे					
4.0	सिविल संकर्म					
4.1	मुख्य संयंत्र/प्रशासनिक भवन					
4.2	सीडब्ल्यू प्रणाली					
4.3	कूलिंग टावर					
4.4	डीएमजल संयंत्र					
4.5	विशुद्धीकरण संयंत्र					
4.6	क्लोरीनीकरण संयंत्र					
4.7	ईंधन उठाई-धराई और भंडारण प्रणाली					
4.8	कोयला उठाई-धराई संयंत्र					
4.9	एमजीआर और मार्शलिंग यार्ड					
4.10	राख उठाई-धराई प्रणाली					
4.11	राख व्ययन क्षेत्र विकास					
4.12	अग्निशामक प्रणाली					
4.13	नगर-क्षेत्र और कालोनी					
4.14	अस्थायी संनिर्माण और समर्थकारी संकर्म					
4.15	सड़क और जल निकासी					
	कुल सिविल संकर्म					
5.0	संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय					
5.1	निर्माण, परीक्षण और स्थापना					
5.2	स्थल पर्यवेक्षण					
5.3	प्रचालकों का प्रशिक्षण					
5.4	संनिर्माण बीमा					
5.5	औजार और संयंत्र					
5.6	आरंभ करने वाला ईंधन					
	कुल संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय					
6.0	मुख्य शीर्ष					
6.1	स्थापना					
6.2	डिजाइन और इंजीनियरिंग					
6.3	संवीक्षा और लेखा					

6.4	आकस्मिकता					
	कुल मुख्य शीर्ष					
7.0	पूंजी लागत आईडीसी और एफसी को छोड़कर					
8.0	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत					
8.1	संनिर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)					
8.2	वित्तीय प्रभार (एफसी)					
8.3	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर (एफईआरवी)					
8.4	हेजिंग लागत					
	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत का योग					
9.0	पूंजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत भी है					

टिप्पण :

1. अधिक समय और लागत लगने की दशा में, ऐसे अधिक समय और लागत के कारणों को देने वाला एक विस्तृत टिप्पण उत्तरदायी अभिकरण को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए और चाहे अधिक समय और लागत उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से परे हो ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररूप - 5ग

गैस/द्रव ईंधन आधारित परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत का ब्यौरा

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम

(रूपए करोड में)

क्रम सं.	ब्रेक डाउन	मूल प्राक्कलन के अनुसार	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को वास्तविक पूंजी	दायित्व/ उपबंध	परिवर्तन (3-4-5)	परिवर्तन के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.0	भूमि और स्थल विकास की लागत					
1.1	भूमि					
1.2	सुधार और पुनर्वास आर एंड आर					
1.3	प्रारंभिक निरीक्षण और स्थल विकास					
	कुल भूमि और स्थल विकास					
2.0	संयंत्र और उपस्कर					
2.1	स्टीम टर्बाइन जनरेटर आइलैंड					
2.2	टर्बाइन जनरेटर आइलैंड					
2.3	डब्ल्यू एचआरबी आइलैंड					
2.4	बीओपी यांत्रिक					
2.4.1	ईंधन उठाई-धराई और भंडारण प्रणाली					
2.4.2	बाह्य जल प्रदाय प्रणाली					
2.4.3	सीडब्ल्यू प्रणाली					
2.4.4	कूलिंग टावर					
2.4.5	डीएम जल संयंत्र					
2.4.6	विशुद्धीकरण संयंत्र					
2.4.7	क्लोरीनीकरण संयंत्र					
2.4.8	वातानुकूलन और संवातन प्रणाली					
2.4.9	अग्निशामक प्रणाली					
2.4.10	एचपी/एलपी पाइपिंग					
	कुल बीओपी यांत्रिक					
2.5	बीओपी इलैक्ट्रिकल					
2.5.1	स्विचयार्ड पैकेज					
2.5.2	ट्रांसफार्मर पैकेज					
2.5.3	स्विच गियर पैकेज					
2.5.4	केबल, केबल प्रसुविधा और ग्राउंडिंग					
2.5.5	प्रकाश					
[illegible]	आपातकालीन डीसी सेट					
	कुल बीओपी इलैक्ट्रिकल					

2.6	सी एंड आई पैकेज					
	कुल संयंत्र और उपस्कर जिसमें कर और शुल्क भी सम्मिलित हैं					
2.7	कर और शुल्क					
2.7.1	सीमाशुल्क					
2.7.2	अन्य कर और शुल्क					
	कुल कर और शुल्क					
	कुल संयंत्र और उपस्कर					
3.0	आरंभिक पुर्जे					
4.0	सिविल संकर्म					
4.1	मुख्य संयंत्र/प्रशासनिक भवन					
4.2	सीडब्ल्यू प्रणाली					
4.3	कूलिंग टावर					
4.4	डीएमजल संयंत्र					
4.5	विशुद्धीकरण संयंत्र					
4.6	क्लोरीनीकरण संयंत्र					
4.7	ईंधन उठाई-धराई और भंडारण प्रणाली					
4.8	नगरक्षेत्र और कालोनी					
4.9	अस्थायी संनिर्माण और समर्थकारी संकर्म					
4.10	सड़क और जल निकासी					
4.11	अग्निशामक प्रणाली					
	कुल सिविल संकर्म					
5.0	संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय					
5.1	निर्माण, परीक्षण और स्थापना					
5.2	स्थल पर्यवेक्षण					
5.3	प्रचालकों का प्रशिक्षण					
5.4	संनिर्माण बीमा					
5.5	औजार और संयंत्र					
5.6	आरंभ करने वाला ईंधन					
	कुल संनिर्माण और स्थापित किए जाने से पूर्व के व्यय					
6.0	मुख्य शीर्ष					
6.1	स्थापना					
6.2	डिजाइन और इंजीनियरिंग					
6.3	संपरीक्षा और लेखा					
6.4	आकस्मिकता					
	कुल मुख्य शीर्ष					
7.0	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत					

7.1	संनिर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)					
7.2	वित्तीय प्रभार (एफसी)					
7.3	विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर (एफईआरवी)					
7.4	हेजिंग लागत					
	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत का योग					
8.0	**पूंजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिंग लागत भी है**					

टिप्पण :

1. अधिक समय और लागत लगने की दशा मे, ऐसे अधिक समय और लागत के कारणों को देने वाला एक विस्तृत टिप्पण उत्तरदायी अभिकरण को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए और चाहे अधिक समय और लागत उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से परे हों ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1

प्ररूप - 5घ

संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेज का ब्यौरा

कंपनी का नाम

ऊर्जा केन्द्र का नाम

		1	2	3	4	5	6	...
1	नाम/संनिर्माण सं./प्रदाय/सेवा पैकेज							
2	कार्य की परिधि[1] (यथा लागू लागत के शीर्ष के आधार पर)							
3	क्या आईसीबी/डीसीबी/विभागीय/निक्षेप कार्य के माध्यम से प्रदान किया गया है							
4	प्राप्त बोली की संख्या							
5	प्रदान करने की तारीख							
6	कार्य आरंभ करने की तारीख							
7	कार्य पूरा करने की तारीख							
8	कार्य का मूल्य[2] (रूपए करोड़ मे)							
9	कीमत में फर्क या वृद्धि सहित							
10	पूरा होने या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख, जो भी पहले हो, तक वास्तविक व्यय (रूपए करोड़ मे)							
11	कर तथा शुल्क और आईईडीसी							
12	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी और हेजिग लागत							
13	उप-योग (10+ 11+ 12)							

1 किसी भी पैकेज में कार्य की परिधि संभावित सीमा तक प्ररूप 5ख में कोयला/लिग्नाइट आधारित संयंत्र के लिए पूंजी लागत ब्यौरों की पुष्टि में उपदर्शित की जानी चाहिए । गैस/द्रव ईंधन आधारित परियोजना की दशा में, सुसंगत शीर्षों में उसी रीति ब्रेक डाउन प्ररूप 5ग के अनुसार होगा ।

2 यदि यहां कोई ऐसा पैकेज हो, जिसे भारतीय रूपए और विदेशी मुद्रा में दर्शित किया जाना है, तो उसे पृथक रूप से : मुद्रा, विनिमय दर और तारीख, अर्थात् 4.1.2009 को यूएस $= 48 रूपए पर 80 करोड़ रूपए +यूएस $- 50एन = 320 करोड़ रुपए के साथ दर्शित किया जाना चाहिए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररूप - 6

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक वित्तीय पैकेज

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम
वा.प्र. की तारीख को परियोजना लागत[1]
केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख[2]

(रुपए लाखों में)

	यथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को वित्तीय पैकेज		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को यथास्वीकृत	
	मुद्रा और रकम[3]		मुद्रा और रकम[3]		मुद्रा और रकम[3]	
1	2	3	4	5	6	7
ऋण - 1	यूएस $	200एम				
ऋण - 2						
ऋण - 3						
और उससे आगे						
ईक्विटी						
विदेशी						
घरेलू						
कुल ईक्विटी						
उधार : ईक्विटी अनुपात						

1 अर्थात् यूएस $ 200मि.+ 400 करोड़ रुपए या 1यूएस $ = 48 रु. की विनिमय दर पर 1360 करोड़ रुपए जिसमें यूएस $ 200मि. भी है ।
2 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अंतिम यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन अभिप्रेत है ।
3 उदाहरणार्थ : यूएस $ 200मि. आदि ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररूप - 7

परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम

(रूपए लाखो मे)

विशिष्टियां	पैकेज1	पैकेज2	पैकेज 3	पैकेज4	पैकेज5	पैकेज6
1	2	3	4	5	6	7
ऋण का स्रोत[1]						
मुद्रा[2]						
स्वीकृत ऋण की रकम						
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम[3,4,5,13,15]						
ब्याज का प्रकार[6]						
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो						
आधारिक दर, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[7]						
मार्जिन, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[8]	हां/नही	हां/नही	हां/नही	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नही
क्या कोई कैपस/फ्लोर है[9]						
यदि उपरोक्त हां है तो कैपस/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें						
विलम्बन अवधि[10]						
.... से प्रभावी विलम्बन अवधि						
प्रतिसंदाय अवधि[11]						
.... से प्रभावी प्रतिसंदाय अवधि						
प्रतिसंदाय आवृत्ति[12]						
प्रतिसंदाय किस्त[13,14]						
आधारिक विनिमय दर[16]						
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है						
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें[17]						

1 ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण लिया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एफसीआई, पीएफसी आदि ।

2 ऋण की मुद्रा से निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस$ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि ।

3 विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे ।

4 क्या ऋण पुनर्वित किया गया है, पुनर्वित ऋण के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं । तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप में पृथक रूप से दिए जाने हैं ।

5 यदि विभिन्न यूनिटों में टैरिफ के लिए पृथक रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप में सभी यूनिटों के लिए पृथक रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं ।

6 ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या अल्पकालिक है, अभिप्रेत है ।

7 आधारिक दर से पीएलआर, एलआईबीओआर आदि के रूप में आधार अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है । निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों पर लागू आधारिक दर को भी संलग्न किया जाए ।

8 मार्जिन से अतिरिक्त अल्पकालिक दर अभिप्रेत है ।

9 समय पर कैप्स/फ्लोर उस पर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं हैं ।

10 विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं है ।

11 प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है ।

12 प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत हैं जिस पर ऋण मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप में दिया जाना है ।

13 जहां ऋण के लिए निकासी/प्रतिसंदाय अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक् रूप से भी दी जाए ।

14 यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकडों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक् रूप से दी जाए ।

15 विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए ।

16 आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है ।

17 हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें ।

18 ट्रयूंग अप के समय, सुसंगत पुनःनियत तारीख (यदि कोई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है ।

19 ट्रयूंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुर्नवित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें । उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसको पुर्नवित्त किया गया है, पुर्नवित्त ऋण की रकम, पुर्नवित्त ऋण के निबंधन तथा शर्तें, पुर्नवित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररूप - 8

परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम

(रूपए लाखों में)

विशिष्टियां	पैकेज1	पैकेज2	पैकेज 3	पैकेज4	पैकेज5	पैकेज6	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
ऋण का स्रोत[1]							
मुद्रा[2]							
स्वीकृत ऋण की रकम							
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम[3,4,5,13,15]							
ब्याज का प्रकार[6]							
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो							
आधारिक दर, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[7]							
मार्जिन, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[8]	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	
क्या कोई कैपस/फ्लोर है[9]							
यदि उपरोक्त हां है तो कैपस/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें							
विलम्बन अवधि[10]							
.... से प्रभावी विलम्बन अवधि							
प्रतिसंदाय अवधि[11]							
.... से प्रभावी प्रतिसंदाय अवधि							
प्रतिसंदाय आवृत्ति[12]							
प्रतिसंदाय किस्त[13,14]							
आधारिक विनिमय दर[16]							
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है							
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें[17]							

1 ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण लिया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी,

एसबीआई, आईसीआईसीआई, एफसीआई, पीएफसी आदि ।

2 ऋण की मुद्रा मे निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस$ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि ।

3 विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.09 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे ।

4 क्या ऋण पुनर्वित किया गया है, पुनर्वित ऋण के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने है । तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप मे पृथक रूप से दिए जाने हैं ।

5 यदि विभिन्न यूनिटों में टैरिफ के लिए पृथक् रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप में सभी यूनिटों के लिए पृथक रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं ।

6 ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या अल्पकालिक है, अभिप्रेत है ।

7 आधारिक दर से पीएलआर, एलआईबीओआर आदि के रूप में आधार अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है । निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों पर लागू आधारिक दर को भी संलग्न किया जाए ।

8 मार्जिन से अतिरिक्त अल्पकालिक दर अभिप्रेत है ।

9 समय पर कैप्स/फ्लोर उस पर प्रस्तुत किए जाने है जिसके दौरान ऋण की सहायता दायत्व अपेक्षित नहीं हैं ।

10 विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं हैं ।

11 प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है ।

12 प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत हैं जिस पर ऋण मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप मे दिया जाना है ।

13 जहां ऋण के लिए निकासी/प्रतिसंदाय अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक रूप से भी दी जाए ।

14 यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकडों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक रूप से दी जाए ।

15 विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए ।

16 आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है ।

17 हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें ।

18 ट्रयूंग अप के समय, सुसंगत पुनःनियत तारीख (यदि कोई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है ।

19 ट्रयूंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुर्नवित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें । उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसको पुर्नवित किया गया है, पुर्नवित्त ऋण की रकम, पुर्नवित्त ऋण के निबंधन तथा शर्ते, पुर्नवित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1

प्ररुप - 9

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण

...ी का नाम : ....

...ेंद्र का नाम : ....

...ज्यिक प्रचालन की तारीख : ....

...	कार्य/उपस्कर का शीर्ष	दावा किया गया वास्तविक/प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजी					विनियम जिसके अधीन दावा किया गया है - 10(1) (i), (ii), (iii), (iv) या (v) या 10(2) (i), (ii) या (iii)	न्यायोचित्य
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14		
1								
2								
3								
4								
5								

...:

प्ररुप को क्रमानुसार वर्षवार भरें जिसमें फायदाग्राहियों की आवश्यकता और प्रोद्भूत लाभ का विस्तृत ब्यौरा ... से दर्शित हो ।

यदि आरंभिक पुर्जे किसी भी उपस्कर के साथ क्रय किए जाते हैं तो ऐसे पुर्जों की लागत पृथक् रूप से ... की जानी चाहिए अर्थात् रोटर, 50 करोड़, आरंभिक पुर्जे - 5 करोड़ ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररुप - 9क

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

पूंजी लागत का विवरण

(सुसंगत तारीख तथा वर्षवार के लिए दिया जाना है)

		सुसंगत तारीख को[1]
अ	क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त अ(क) मे पूंजी दायित्वो की रकम	
	ग) उपरोक्त अ(क) मे सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त अ(क) मे सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
आ	क) अवधि के दौरान अतिरिक्त कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त आ(क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त आ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त आ(क) में सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
इ	क) बहियों के अनुसार अंतिम कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त इ(क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त इ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त इ(क) में सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	

1. सुसंगत तारीख/तारीखों से केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ तथा समाप्त् होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1

प्ररुप - 9ख

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

चालू पूंजी संकर्म का विवरण

(सुसंगत तारीख तथा वर्षवार के लिए दिया जाना है)

		सुसंगत तारीख को[1]
अ	**क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक सीडब्ल्यूआईपी रकम**	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
आ	**क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में जोड़/समायोजन**	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
इ	**क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी की नियत आस्ति का पूंजीकरण/अंतरण**	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
ई	**क) बहियों के अनुसार अंतिम सीडब्ल्यूआईपी रकम**	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	

1. सुसंगत तारीखों से यूनिट/यूनिटों की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ तथा समाप्त् होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररुप - 10

अतिरिक्त पूंजीकरण का वित पोषण

कंपनी का नाम : ....

ऊर्जा केंद्र का नाम : ....

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख : ....

(रुपए लाख मे)

	वास्तविक					स्वीकृत				
वित्तीय वर्ष (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से आरंभ)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संकर्म/उपस्कर मे पूंजीकृत रकम										
वित्तीय ब्यौरे										
ऋण-1										
ऋण-2										
ऋण-3 और उससे आगे										
कुल ऋण										
ईक्विटी										
आंतरिक संसाधन										
अन्य										
कुल										

1. वर्ष । वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करता है और वर्ष 2 तथा वर्ष 3 आदि क्रमशः पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष है ।

2. अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीकरण को पूरा करने वाले ऋण के ब्यौरे प्ररुप 7 या 8, जो भी सुसंगत हो, के अनुसार दिए जाने चाहिए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररुप - 11

अवक्षयण दर की संगणना

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	आस्तियो का नाम[1]	31.3.2009 को या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को जो भी बाद में हो तथा 31.3.2014 तक तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष के लिए पश्चात्वर्ती कुल ब्लॉक	के वि वि आ की अवक्षयण दर अनुसूची के अनुसार अवक्षयण दर	31.3.2014 तक प्रत्येक वर्ष के लिए अवक्षयण रकम
	1	2	3	4 = स्तंभ 2 x 3
1.	भूमि			
2.	भवन			
3.	और उससे आगे			
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
	कुल			
	अवक्षयण भारित औसत दर (%)			

1. आस्तियों के नाम अधिसूचना से संलग्न अवक्षयण अनुसूची में उल्लिखित आस्तियों के विवरण के अनुसार होने चाहिए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1

प्ररुप - 12

अवक्षयण का विवरण

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष	2000-01 तक[1]	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूंजी लागत का अवक्षयण									
अतिरिक्त पूंजीकरण पर अवक्षयण									
अतिरिक्त पूंजीकरण की रकम									
अवक्षयण रकम									
एफइआरवी के ब्यौरे									
एफईआरवी की वह रकम जिस पर अवक्षयण प्रभारित किया गया है									
अवक्षयण रकम									
वर्ष के दौरान प्राप्त अवक्षयण									
वर्ष के दौरान वसूले गए अवक्षयण के लिए अग्रिम									
वर्ष के दौरान वसूला गया अवक्षयण तथा अग्रिम के लिए अवक्षयण									
वर्ष तक वसूल किए गए संचयी अवक्षयण और अग्रिम के लिए अवक्षयण									

1. यदि 2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ का आयोग द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है तो 2004-09 तक टैरिफ में वसूले गए अवक्षयण को उसी प्ररुप में पृथक् रुप से समर्थक ब्यौरों सहित वर्षवार ब्यौरों के साथ दिया जाए।

2. एफइआरवी तथा एएडी के ब्यौरों की दशा में, लागू अवधि के लिए जानकारी दें।

याचिककर्ता

भाग - 1

प्ररुप - 13

वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना[1]

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
2	3	4	5	6	7	8
ऋण-1						
कुल ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - आरंभिक						
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - अंतिम						
औसत कुल ऋण						
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
ऋण पर ब्याज						
ऋण - 2						
कुल ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - आरंभिक						
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - अंतिम						
औसत कुल ऋण						
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
ऋण पर ब्याज						
ऋण 3 और उससे आगे						
कुल ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - आरंभिक						
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						

घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणो का प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - अंतिम						
औसत कुल ऋण						
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
ऋण पर ब्याज						
कुल ऋण						
कुल ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - आरंभिक						
जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणो का प्रतिसंदाय						
कुल ऋण - अंतिम						
औसत कुल ऋण						
ऋण पर ब्याज						
ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर						

1. विदेशी ऋण की दशा में, इसे भारतीय रुपए में संगणना करके प्रस्तुत किया जाना है । तथापि, मूल मुद्रा की संगणना इसी प्ररुप में पृथक् रूप से प्रस्तुत की जानी है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1
प्ररुप - 13क

ऋणों पर ब्याज की संगणना

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
कुल मानकीय ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक मानकीय ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल मानकीय ऋण - आरंभिक						
वर्ष के दौरान एसीई के कारण वृद्धि/कमी						
वर्ष के दौरान मानकीय ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल मानकीय ऋण - अंतिम						
औसत कुल मानकीय ऋण						
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर						
मानकीय ऋण पर ब्याज						

याचिककर्ता

भाग - 1

प्ररुप - 13ख

कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की संगणना

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कोयला/लिग्नाइट की लागत[1]						
2.	मुख्य गौण ईंधन तेल की लागत[1]						
3.	ईंधन लागत[2]						
4.	द्रव ईंधन स्टाक[2]						
5.	ओ एंड एम व्यय						
6.	रखरखाव पुर्जे						
7.	प्राप्य						
8.	कुल कार्यकरण पूंजी						
9.	ब्याज की दर						
10.	कार्यकरण पूंजी पर ब्याज						

1. कोयला/लिग्नाइट आधारित उत्पादन केंद्रों के लिए ।

2. गैस ईंधन और द्रव ईंधन पर प्रचालन की वार्षिक पद्धति को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, गैस टर्बाइन/संयुक्त आवर्तन उत्पादन केंद्र के लिए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1

प्ररुप -14

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

आईडीसी और वित्त प्रभारों की संगणना के लिए ड्रा डाउन अनुसूची

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	ड्रा डाउन	क्वार्टर 1			क्वार्टर 2			क्वार्टर 3		
	विशिष्टिया	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम
1	ऋण									
1.1	विदेशी ऋण									
1.1.1	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिग लागत									
1.1.2	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिग लागत									
1.1.3	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									

	ड्रा डाउन रकम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आईडीसी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	वित्त प्रभार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	कुल भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन रकम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आईडीसी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	वित्त प्रभार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	लिया गया कुल ऋण									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
2	ईक्विटी									
2.1	ली गई विदेशी ईक्विटी									
2.2	ली गई भारतीय ईक्विटी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	लगाई गई कुल ईक्विटी									

टिप्पण : 1. ऋण और ईक्विटी की निकासी अनुसूची को पूरा किए जाने के लिए समरूप आधार पर की जाएगी । शुरू में उच्चतर ईक्विटी की निकासी अनुज्ञेय है ।

2. उपरोक्त संगणना के लिए प्रयुक्त लागू ब्याज दर, जिसमें पुनः नियत तारीख भी है, को पृथक् रूप से दिया जाएगा ।

3. बहु-एकक परियोजना की दशा में, प्रयुक्त पूंजीकरण के ब्यौरों को दिया जाना है ।

याचिकाकर्ता

	ड्रा डाउन रकम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	आईडीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त प्रभार	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.2.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.2	कुल भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन रकम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	आईडीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त प्रभार	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	लिया गया कुल ऋण									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
2	ईक्विटी									
2.1	ली गई विदेशी ईक्विटी									
2.2	ली गई भारतीय ईक्विटी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	लगाई गई कुल ईक्विटी									

टिप्पण : 1. ऋण और ईक्विटी की निकासी अनुसूची को पूरा किए जाने के लिए समरूप आधार पर की जाएगी । शुरू में उच्चतर ईक्विटी की निकासी अनुज्ञेय है ।

2. उपरोक्त संगणना के लिए प्रयुक्त लागू ब्याज दर, जिसमें पुनः नियत तारीख भी है, को पृथक् रूप से दिया जाएगा ।

3. बहु-एकक परियोजना की दशा में, प्रयुक्त पूंजीकरण के ब्यौरों को दिया जाना है ।

भाग - 1

प्ररुप -14क

ऊर्जा प्रभारों की संगणना के लिए ईंधन की बाबत प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे/जानकारी

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

वास्तविक नकद व्यय

	क्वार्टर-1	क्वार्टर-2	क्वार्टर-3	क्वार्टर-एन (सीओई)
ठेकेदार/फायदाग्राहियों को संदाय				
नियोजित निधि का %				

टिप्पण : यदि संदाय तथा नियोजित निधि के बीच कोई अंतर होता है तो औचित्य प्रदान करें ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1

प्ररुप -15

ऊर्जा प्रभारों की संगणना के लिए ईंधन की बाबत प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे/जानकारी[1]

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

(रुपए लाख में)

मास	यूनिट	पूर्ववर्ती 3 मास के लिए	पूर्ववर्ती 2 मास के लिए	पूर्ववर्ती 1 मास के लिए
कोयला/लिग्नाइट कंपनी द्वारा प्रदाय की गई कोयला/लिग्नाइट, की मात्रा	(एमएमटी)			
कोयला/लिग्नाइट कंपनी द्वारा किए गए प्रदाय की मात्रा में समायोजन (+/-)	(एमएमटी)			
कोयला/लिग्नाइट कंपनी द्वारा प्रदाय किया गया कोयला (1+2)	(एमएमटी)			
मानकीय पारगमन और उठाई-धराई हानियां (कोयला/लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं के लिए)	(एमएमटी)			
प्रदाय किया गया कुल कोयला/लिग्नाइट (3-4)	(एमएमटी)			
कोयला/लिग्नाइट कंपनी द्वारा प्रभारित रकम	(रुपए)			
कोयला/लिग्नाइट कंपनी द्वारा प्रभारित की गई रकम में समायोजन (+/-)	(रुपए)			
प्रभारित कुल रकम (6+7)	(रुपए)			
रेल/पोत/सड़क परिवहन द्वारा परिवहन प्रभार	(रुपए)			
रेलवे/परिवहन कंपनी द्वारा प्रभारित की गई रकम में समायोजन (+/-)	(रुपए)			
विलंब शुल्क प्रभार, यदि कोई हो	(रुपए)			
एम जी आर प्रणाली के माध्यम से कोयला के परिवहन में डीजल की लागत	(रुपए)			
कुल परिवहन प्रभार (9+/-10-11+12)	(रुपए)			
प्रदाय किए गए कोयला/लिग्नाइट के लिए प्रभारित कुल रकम जिसमें परिवहन भी सम्मिलित है (8+13)	(रुपए)			
यथा चालित कोयला/लिग्नाइट की भारित औसत जीसीवी	(केसीएल/ किल			

टिप्पण :

1. सीसीजीटी केंद्रो के लिए प्राकृतिक/गैस/द्रव ईंधन और कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप संयंत्रो के लिए गौण ईंधन के लिए ऐसे ही ब्यौरे दिए जाएं ।

याचिकाकर्ता

भाग - 1

प्ररुप -16

ऊर्जा प्रभारों दर की संगणना के लिए चूना पत्थर के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे/जानकारी

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

क्रम सं.	मास	यूनिट	पूर्ववर्ती 3 मास के लिए	पूर्ववर्ती 2 मास के लिए	पूर्ववर्ती पहले मास के लिए
1.	चूना पत्थर प्रदाय करने वाली कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए चूना पत्थर की मात्रा	(एमएमटी)			
2.	चूना पत्थर प्रदाय करने वाली कंपनी द्वारा प्रदाय की गई मात्रा में समायोजन (+/-)	(एमएमटी)			
3.	चूना पत्थर प्रदाय करने वाली कंपनी द्वारा प्रदाय किया गया चूना पत्थर (1+2)	(एमएमटी)			
4.	प्रदाय किया कुल चूना पत्थर (3-4)	(एमएमटी)			
5.	चूना पत्थर प्रदाय करने वाली कंपनी द्वारा प्रभारित रकम	(रुपए)			
6.	चूना पत्थर प्रदाय करने वाली कंपनी द्वारा प्रभारित की गई रकम में समायोजन (+/-)	(रुपए)			
7.	कुल प्रभारित रकम (6+7)	(रुपए)			
8.	रेल/पोत/सड़क परिवहन द्वारा परिवहन प्रभार	(रुपए)			
9.	रेल/परिवहन कंपनी द्वारा प्रभारित की गई रकम में समायोजन (+/-)	(रुपए)			
10.	विलंबन प्रभार, यदि कोई हो	(रुपए)			
11.	परिवहन प्रभार (8+/-9-10)	(रुपए)			
12.	प्रदाय किए गए चूना पत्थर जिसमे परिवहन भी है, के लिए प्रभारित कुल रकम (7+11)	(रुपए)			

याचिकाकर्ता

परिशिष्ट - 2

भाग - 2

टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (हाइड्रो)

भाग-2

हाइड्रो केन्द्रों के लिए टैरिफ फाइल करने के वाले प्ररूप और

अन्य जानकारी/दस्तावेजों की जांच-सूची

प्ररूप सं.	टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (ताप) का शीर्षक	टिक
प्ररूप-1	सारांश शीट	
प्ररूप-2	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख, हाइड्रो केंद्र का प्रकार, मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ)	
प्ररूप-3	हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लक्षण	
प्ररूप-4	विदेशी ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप-4क	विदेशी ईक्विटी के ब्यौरे	
प्ररूप-5	विद्यमान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूंजी लागत का सारांश	
प्ररूप-5क	प्राक्कलित पूंजी लागत का सारांश और नई परियोजना को स्थापित करने की अनुसूची	
प्ररूप-5ख	पूंजी लागत के ब्यौरे	
प्ररूप-5ग	संयंत्र तथा उपस्कर के लिए पूंजी लागत के ब्यौरे	
प्ररूप-5घ	संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेजों के ब्यौरे	
प्ररूप-6	सीओडी तक वित्तीय पैकेज	
प्ररूप-7	परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप-8	विभिन्न परियोजनाओं को कारपोरेट ऋण के आबंटन के ब्यौरे	
प्ररूप-9	सीओडी के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण	
प्ररूप-9क	पूंजी लागत का विवरण	
प्ररूप-9ख	चालू पूंजी संकर्म का विवरण	
प्ररूप-10	अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्तपोषण	
प्ररूप-11	अवक्षयण दर की संगणना	
प्ररूप-12	अवक्षयण का विवरण	
प्ररूप-13	वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारत औसत दर की संगणना	
प्ररूप-13क	मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप-13ख	कामकाज पूंजी पर ब्याज की संगणना	

प्ररूप-14	आईडीसी और वित्तीय प्रभारों की संगणना के लिए ड्रा डाउन अनुसूची	
प्ररूप-14क	वास्तविक नकद व्यय	
प्ररुप-15क	प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों की संगणना	
प्ररुप-15ख	प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के ब्यौरे	
प्ररुप-16क	डिजाइन ऊर्जा तथा व्यस्ततम क्षमता (मासिक-वार) - तालाब/भंडारण आकार के नए केंद्रों के साथ आरओआर	
प्ररुप-16ख	डिजाइन ऊर्जा तथा मेगावाट निरंतर (मासिक-वार) - आरओआर प्रभार के नए केंद्र	
प्ररूप-17	ऊर्जा प्रभारों को संगणना के लिए ईंधन के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे/जानकारी	

अन्य जानकारी/दस्तावेज		
क्र.सं.	जानकारी/दस्तावेज	टिक
1.	समामेलन का प्रमाणपत्र, कारबार आरंभ करने का प्रमाणपत्र, संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद (के.वि.वि.आ. को पहली बार टैरिफ के लिए आवेदन करने वाली कंपनी द्वारा स्थापित नए केन्द्रों के लिए)	
2.	केन्द्रों और सुसंगत वर्षों के लिए सीओडी पर सभी अनुसूचियों और सहित केन्द्र वार और कारपोरेट संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे	
3.	सुसंगत ऋण करारों की प्रतियों	
4.	पूंजी लागत और वित्तीय पैकेज के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां	
5.	विदेशी ईक्विटी के लिए ईक्विटी भागीदारी करार और आवश्यक अनुमोदन की प्रतियां	
6.	फायदाग्रहियों, यदि कोई हों, के साथ बी.पी.एस.ए./पीपीए की प्रतियां	
7.	समय और अधिक लागत, यदि लागू हो को देने वाले कारणों का ब्यौरे-वार टिप्पण	
8.	कोई अन्य जानकारी (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

टिप्पण : याचिका की इलैक्ट्रानिक प्रति (फारमेट शब्दों में) तथा इन फारमेटों (एक्सेल फारमेट) के अनुसार संगणना के ब्यौरे तथा कोई अन्य जानकारी सी.डी/फ्लापी डिस्क के रूप में भी प्रस्तुत की जाएगी ।

भाग - 2

प्ररूप- 1

सारांश शीट

कंपनी का नाम

उर्जा केंद्र का नाम

क्षेत्र   राज्य

जिला

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	प्ररुप सं.	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2		3	4	5	6	7	8
1	अवक्षयण							
2	ऋण पर ब्याज							
3	रिर्टन आन ईक्विटी[1]							
4	कामकाज पूंजी पर ब्याज							
5	प्रचालन और रख-रखाव व्यय							
	कुल							

1 संगणना के ब्यौरे विनियम के अनुसार विचार किए गए इक्विटी के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2

प्ररूप-2

टैरिफ संगणना पर विचार किए गए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख, हाइड्रो केन्द्र का प्रकार, मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) तथा अन्य मानकीय पैरामीटर

कंपनी का नाम :

ऊर्जा केन्द्र का नाम :

		मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष					
		यथा विद्यमान					
क्रम सं.	विवरणी	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	संस्थापित क्षमता	एमडब्ल्यू					
2	गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा	%					
3	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख						
	यूनिट-1						
	यूनिट-2						
	यूनिट-3						
4	केन्द्र का प्रकार						
	क) समतल/भूतल						
	ख) पूर्णतः आरओआर/तालाब/भंडारण						
	ग) व्यस्ततम/गैर-व्यस्ततम						
	घ) व्यस्ततम घंटों की संख्या						
	ङ) अधिक भार क्षमता (मेगावाट) तथा अवधि						
5	एक्साइटर का प्रकार						
	क) उत्पादक संबंधी रोटेटिंग एक्साइटर						
	ख) स्टेटिक एक्साइटेशन						
6	डिजाइन ऊर्जा (वार्षिक)[1]	जीडब्ल्यूएच					

7	सहायक खपत जिसमें पारेषण हानियां भी हैं ।	%						
8	मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ)							
9.1	कामकाज पूंजी के लिए रखरखाव पुर्जे	ओएंडएम का %						
9.2	कामकाज पूंजी के लिए प्राप्य	मास में						
9.3	रिटर्न आन ईक्विटी के आधार दर	%						
9.4	कर दर[2]	%						
9.5	को एसबीआई की उधार दर[3]	%						

1 याचिका के साथ मासिक-वार 10 दिन डिजाइन ऊर्जा आंकड़े पृथक रूप से दिए जाएं ।

2. वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए कंपनी को लागू कर दर भी प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

3 उल्लिखित सुसंगत तारीख ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररूप-3

हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के मुख्य लक्षण

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम

1. अवस्थान	
राज्य/जिला	
नदी	
2. दिक्परिवर्तन टयूनल	
आकार, रूप	
लंबाई (एम)	
3. डाम	
आकार	
डाम की अधिकतम लंबाई (एम)	
4. अधिप्लवन मार्ग	
प्रकार	
अधिप्लावन मार्ग का शीर्ष स्तर (एम)	
5. जलाशय	
पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल)(एम)	
न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (एमडीडीएल)(एम)	
न्यूनतम भंडारण (एमसीएम)	
6. डिस्टलर्टिंग इंतजाम	
प्रकार	
संख्या और आकार	
हटाए जाने वाले कणिका आकार (एमएम)	
7. हेड रेस टयूनल	
आकार और प्रकार	
लंबाई(एम)	
डिजाइन डिस्चार्ज (क्यूमेक्स)	

8. प्रवास निकास	
प्रकार	
गोलाई (एम)	
ऊंचाई (एम)	
9. पेनस्टाफ/दबाव निकास	
आकार	
गोलाई और लंबाई	
10. ऊर्जा गृह	
संस्थापित क्षमता (यूनिटों की संख्या X एमडब्ल्यू)	
टर्बाइन का आकार	
रेटेड हीट (एम)	
रेटेड डिस्चार्ज (क्यूमेक्स)	
पूर्ण जलाशय स्तर पर हेड (एम)	
न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर पर हेड (एम	
एफआरएल पर मेगावाट क्षमता	
एमडीडीएल पर मेगावाट क्षमता	
11. टेल रेस टयूनल/चैनल	
गोलाई (एम) आकार	
लंबाई (एम)	
न्यूनतम टेल जल स्तर (एम)	
12. स्विचगार्ड	
स्विचगियर का आकार	
जनरेटर बेस की संख्या	
बस कूपलर बेज की संख्या	
लाइन बेज की संख्या	

टिप्पण : सिंचाई, पेय जल, औद्योगिक, पर्यावरणीय प्रतिफलों आदि के कारण जल उपयोग पर निर्बंधन लगाने के मद्दे विनिर्दिष्ट समय अवधि के दौरान उत्पादन संबंधी परिसीमा विनिर्दिष्ट करें ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररूप - 4

विदेशी ऋण के ब्यौरे

(याचिका के अधीन परियोजना को लागू ऋणों के संबंध में ब्यौरे)

कंपनी का नाम ....
ऊर्जा केन्द्र का नाम ....
वाणिज्यिक प्रचलन की तारीख को विनिमय दर ....
31.3.2009 को विनिमय दर ....

(रकम लाखों में)

	वित्तीय वर्ष (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रारंभ)	वर्ष 1				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)
	मुद्रा1[1]												
क1	निकासी की तारीख पर[2]												
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख	हेजिंग की दशा में[3]												
1	हेजिंग की दर पर												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												

	मुद्रा2[1]												
क1	निकासी की तारीख पर[2]												
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख	हेजिंग की दशा में[3]												
1	हेजिंग की तारीख												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												
	मुद्रा3[1] **और उससे आगे**												
क1	निकासी की तारीख पर[2]												
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख	हेजिंग की दशा में[3]												
1	हेजिंग की तारीख												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												

1 मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस $, डी एम, आदि में उल्लिखित किया जाना है ।

2 वर्ष में एक से अधिक निकासी की दशा में, प्रत्येक निकासी की तारीख को मुद्रा की दर दी जानी है ।

3 वर्ष के दौरान एक से अधिक हेजिंग या भाग हेजिंग की दशा में, हेजिंग के ब्यौरे, प्रत्येक हेजिंग के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं ।

4 यथा लागू (जैसे रोका गया कर) के ब्यौरे, जिसमें कर में परिवर्तन भी सम्मिलित है, वह तारीख जिससे परिवर्तन हुआ है स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाए।

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररूप - 4क

विदेशी ईक्विटी के ब्यौरे

(याचिका के अधीन परियोजना को लागू ईक्विटी इंफ्यूजन, यदि कोई हों, के संबंध में ब्यौरे)

कंपनी का नाम ....
ऊर्जा केन्द्र का नाम ....
इंफ्यूजन की तारीख को मुद्रा विनिमय दर ....

(रकम लाखों में)

	वित्तीय वर्ष	वर्ष 1				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)
	मुद्रा1[1]												
क.1	इंफ्यूजन की तारीख पर[2]												
2													
3													
4													
	मुद्रा2[1]												
ख.1	इंफ्यूजन की तारीख पर[2]												
1													
2													
3													

	मुद्रा3[1]												
क.1	इंफ्यूजन की तारीख पर[2]												
2													
3													
4													
ख	**मुद्रा4[1] और उससे आगे**												
1	इंफ्यूजन की तारीख पर[2]												
2													
3ज													

1 मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस $, डी एम, आदि में उल्लिखित किया जाना है ।

2 वर्ष के दौरान एक से अधिक कर ईक्विटी इंफ्यूजन की दशा में, प्रत्येक इंफ्यूजन की तारीख को मुद्रा की दर दी जानी है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररूप - 5

विद्यमान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूंजी लागत का सारांश

कंपनी का नाम ....
ऊर्जा केन्द्र का नाम ....

के.वि.वि.आ. द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत	
.... को स्वीकृत पूंजी लागत	
(के.वि.वि.आ. के सुसंगत आदेश का याचिका सं. और तारीख सहित संदर्भ दें)	
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस $ या सुसंगत मुद्रा में)	
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए विचार किए गए विदेशी मुद्रा दर	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए हेजिंग लागत, यदि कोई हो,	
स्वीकृत कुल पूंजी लागत (रूपए करोड़ में)	

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्रपत्र 5क

नई परियोजनाओं के लिए प्राक्कलित पूंजी लागत तथा कमीशनिंग की अनुसूची का सारांश

कंपनी का नाम ....
ऊर्जा केन्द्र का नाम ....
नई परियोजनाएं
प्राक्कलित पूंजी लागत

प्राक्कलित पूंजी लागत को अनुमोदित करने वाला, निदेशक बोर्ड/अभिकरण		
प्राक्कलित पूंजी लागत के अनुमोदन की तारीख		
	वर्तमान दिन लागत	संपूर्ण लागत
अनुमोदित प्राक्कलन की कीमत स्तर	.... वर्ष ... तिमाही की समाप्ति के अनुसार	केन्द्र की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के अनुसार
पूंजी लागत प्राक्कलित के लिए विचार किए गए विदेशी मुद्रा दर		
पूंजी लागत आईडीसी और एफसी को छोड़कर		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		
पूंजी लागत, जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत भी है(रूपए करोड़ में)		
आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		
आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर पूंजी लागत (रूपए करोड़ में)		
विचार किए गए करो और शुल्को की दर		
पूंजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत भी है		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		

पूंजी लागत, जिसमें आईडीसी तथा एफसी भी है (रुपए करोड़ में)		
कमीशनिंग की अनुसूची		
यूनिट 1/ब्लाक 1 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख		
यूनिट 2/ब्लाक 2 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख		
अंतिम यूनिट/ब्लाक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख		

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररूप - 5ख

हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन केंद्र के लिए पूंजी लागत का ब्यौरा

कंपनी का नाम ....
ऊर्जा केन्द्र का नाम ....

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	संकर्म शीर्ष	प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित मूल लागत	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को वास्तविक लागत	दायित्व/ उपदय	परिवर्तन (3-4=5	परिवर्तन के लिए कारण	स्वीकृत लागत
1	2	3	4		5	6	7
1.0	**अवसंरचना संकर्म**						
1.1	प्रारंभिक, जिसमें विकास भी है						
1.2	भूमि						
1.3	भवन						
1.4	नगरीकरण						
1.5	रखरखाव						
1.6	[illegible] और [illegible]						
1.7	संचार						
1.8	पर्यावरण और पारिस्थितिकी						
[illegible]	[illegible]						

1.10	प्राप्तियां और पहुंच						
1.11	कुल (अवसंरचना संकर्म)						
2.0	प्रमुख सिविल संकर्म						
2.1	डाम, स्टैक और डिस्टलटिंग चैंबर्स						
2.2	एचआरटी, टीआरटी, सर्ज शाफ्ट और दाब शाफ्ट						
2.3	ऊर्जा संयंत्र सिविल संकर्म						
2.4	अन्य सिविल संकर्म (विनिर्दिष्ट करें)						
2.5	कुल (प्रमुख सिविल संकर्म)						
3.0	हाइड्रो यांत्रिकी उपस्कर						
4.0	संयंत्र और उपस्कर						
4.1	संयंत्र और उपस्कर के आरंभिक पुर्जे						
4.2	कुल (संयंत्र और उपस्कर)						
5.0	कर और शुल्क						
5.1	सीमा-शुल्क						
5.2	अन्य कर और शुल्क						
5.3	कुल कर और शुल्क						
6.0	संनिर्माण और संस्थापित किए जाने के पूर्व के व्यय						
6.1	निर्माण, जांच और लगाया जाना						
6.2	संनिर्माण बीमा						
6.3	स्थल पर्यवेक्षण						

[illegible]	कुल (निर्माण और संस्थापित किए जाने के पूर्व)						
7.0	पुरुत्र शीर्ष						
7.1	स्थापन						
7.2	अभिकल्प और इंजीनियरिंग						
7.3	परीक्षा और लेखे						
7.4	आकस्मिकता						
7.5	पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन						
7.6	कुल (मुख्य शीर्ष)						
8.0	आईडीसी, एफसी एफईआरवी तथा हेजिंग के बिना पूंजी लागत						
9.0	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत						
9.1	निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)						
9.2	वित्तीय प्रभार (एफ सी)						
9.3	विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन (एफईआरवी)						
9.4	हेजिंग लागत						
9.5	कुल आईडीसी,एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत						
10.0	आईडीसी, एफसी,एफईआरवी तथा हेजिंग लागत						

[illegible] लागत की दशा में, ऐसे और समय तथा लागत के कारणों को देने वाला एक विस्तृत टिप्पण उत्तरदायी [illegible] प्रस्तुत करना चाहिए चाहे ऐसा समय और लागत उत्पादन कंपनी के नियंत्रण के परे हो ।

[illegible]

भाग 2
प्ररूप - 5ग

[illegible] और [illegible] के लिए पूंजी लागत का ब्यौरा

[illegible]
[illegible]

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	मद का ब्यौरा	प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित मूल लागत	[illegible]	परिवर्तन	परिवर्तन के लिए कारण	स्वीकृत लागत
1	2	3	4	5	6	7
1.0	जनरेटर, टर्बाइन और गौण					
1.1	जनरेटर पैकेज					
1.2	टर्बाइन पैकेज					
1.3	यूनिट नियंत्रण बोर्ड					
1.4	सी एंड आई पैकेज					
1.5	जी टी कनेक्शन पर बस डक्ट					
1.6	कुल (जनरेटर, टर्बाइन और गौण उपकरण)					
2.0	सहायक इलेक्ट्रिकल उपकरण					
2.1	स्टेशन ट्रांसफार्मर					
2.2	गौण यूनिट ट्रांसफार्मर					
2.3	स्थानीय प्रदाय ट्रांसफार्मर					
2.4	[illegible] ट्रांसफार्मर					
2.5	[illegible]					
2.6	रिक्टिफायर, डीसी, डी सी वितरण बोर्ड					
2.7	[illegible]					
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]					

	सुविधाएं, ग्राउंडिंग					
2.10	डीजल जनर... सेट					
2.11	कुल (गौण इलेक्ट्रिकल उपकरण)					
3.0	ऊर्जा केंद्र के लिए सहायक उपकरण और सेवाएं					
3.1	ईओटी क्रेन					
3.2	अन्य क्रेन					
3.3	इलेक्ट्रिक लिफ्ट और एलीवेटर					
3.4	कूलिंग जल प्रणाली					
3.5	जल निकास और जल परिशोधित प्रणाली					
3.6	अग्निशमन प्रणाली					
3.7	वातानुकूलित, संवातन और ताप					
3.8	जल प्रदाय प्रणाली					
3.9	तेल उठाई-धराई उपस्कर					
3.10	कार्यशाला मशीन और उपकरण					
3.11	कुल (पीएस के लिए सहायक उपकरण और सेवाएं)					
4.0	स्विचगार्ड पैकेज					
5.0	सभी उपरोक्त उपस्करों के लिए आरंभिक पुर्जे					
6.0	कुल (संयंत्र और उपस्कर) आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर					
7.0	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत					
7.1	सकर्म के दौरान ब्याज (आईडीसी)					

7.2	वित्तीय प्रभार (एफसी)					
7.3	विदेशी मुद्रा फेरफार दर (एफईआरवी)					
7.4	हेजिंग लागत					
7.5	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत का योग					
8.0	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत सहित कुल लागत (संयंत्र और उपस्कर)					

याचिकाकर्ता

भाग - 2

प्ररूप - 5घ

संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेज का ब्यौरा (ब्रेक अप)

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केन्द्र का नाम ....

क्रम सं.	नाम/संनिर्माण सं./प्रदाय सेवा पैकेज	कार्य की परिधि (यथा लागू लागत के शीर्ष के आधार पर)	क्या आईसीबी/डीसीबी/विभागीय/निक्षेप कार्य के माध्यम से प्रदान किया गया है	प्राप्त बोली की संख्या	प्रदान करने की तारीख	कार्य आरंभ करने की तारीख	कार्य पूरा करने की तारीख	कार्य का मूल्य' (रुपए करोड़ मे)	फर्म या कीमत में वृद्धि सहित	पूरा होने या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख जो भी पहले हो, तक वास्तविक व्यय (रुपए करोड़ मे)	कर तथा शुल्क तथा आईईडीसी	आईडीसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत	कुल (11+12-13).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			

1 यदि ऐसा कोई पैकेज हो [illegible]
[illegible]
+ यूएस $ 50 मि = 150 करोड़ रुपए

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक वित्तीय पैकेज

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम
वा.प्र. की तारीख को परियोजना लागत[1]
केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख[2]

	यथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को वित्तीय पैकेज		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को यथा नियुक्त	
	मुद्रा और रकम[3]		मुद्रा और रकम[3]		मुद्रा और रकम[3]	
1	2	3	4	5	6	7
ऋण - 1	यूएस $	200एम				
ऋण - 2						
ऋण - 3						
और उससे आगे						
इक्विटी						
विदेशी						
घरेलू						
कुल इक्विटी						
उधार : इक्विटी अनुपात						

1 अर्थात्, यूएस $ 200मि + 400 करोड़ रुपए या 1 यूएस $ = 43 रु. की विनिमय दर पर [illegible]
200मि. भी है।
2 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अंतिम यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन अभिप्रेत है।
3 उदाहरणार्थ, यूएस $ 200मि आदि।

भाग - 2
प्ररूप - 7

विभिन्न परियोजनाओं को कारपोरेट ऋणों के आबंटन के ब्यौरे

कंपनी का नाम ....
ऊर्जा केन्द्र का नाम ....

(रूपए लाखो में)

विशिष्टियां	पैकेज1	पैकेज2	पैकेज 3	पैकेज4	पैकेज5	पैकेज6
1	2	3	4	5	6	7
ऋण का स्रोत[1]						
मुद्रा[2]						
स्वीकृत ऋण की रकम						
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम[3,4,5,13,15]						
ब्याज का प्रकार[6]						
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो						
आधारिक दर, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[7]						
मार्जिन, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[8]	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं
क्या कोई कैपस/फ्लोर है[9]						
यदि उपरोक्त हां है तो कैपस/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें						
विलम्बन अवधि[10]						
.... से प्रभावी विलम्बन अवधि						
प्रतिसंदाय अवधि[11]						
.... से प्रभावी प्रतिसंदाय अवधि						
प्रतिसंदाय आवृत्ति[12]						
प्रतिसंदाय किस्त[13,14]						
आधारिक विनिमय दर[16]						
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है						
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें[17]						

1 ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण लिया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एफसीआई, पीएफसी आदि ।

2 ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस$ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि ।

3 विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे ।

4 क्या ऋण पुनर्वित किया गया है, पुनर्वित ऋण के लिए प्ररूप मे ब्यौरे दिए जाने है । तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप मे पृथक रूप से दिए जाने है ।

5 यदि विभिन्न यूनिटों में टैरिफ के लिए पृथक रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप मे सभी यूनिटों के लिए पृथक रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं ।

6 ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या अल्पकालिक है, अभिप्रेत है ।

7 आधारिक दर से पीएलआर, एलआईबीओआर आदि के रूप में आधार अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है । निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों पर लागू आधारिक दर को भी संलग्न किया जाए ।

8 मार्जिन से अतिरिक्त अल्पकालिक दर अभिप्रेत है ।

9 समय पर कैप्स/फ्लोर उस पर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं है ।

10 विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं है ।

11 प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है ।

12 प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत हैं जिस पर ऋण मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप में दिया जाना है ।

13 जहां ऋण के लिए निकासी/प्रतिसंदाय अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक् रूप से भी दी जाए ।

14 यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकडों से नहीं दी जा सकती है वहा प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक् रूप से दी जाए ।

15 विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए ।

16 आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है ।

17 हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करे ।

18 ट्रयूंग अप के समय, सुसंगत पुनःनियत तारीख (यदि कोई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है ।

19 ट्रयूंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुर्नवित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें । उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसको पुर्नवित्त किया गया है, पुर्नवित्त ऋण की रकम, पुर्नवित्त ऋण के निबंधन तथा शर्तें, पुर्नवित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररूप - 8

परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम

(रूपए लाखों में)

विशिष्टियां	पैकेज1	पैकेज2	पैकेज 3	पैकेज4	पैकेज5	पैकेज6	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
ऋण का स्रोत[1]							
मुद्रा[2]							
स्वीकृत ऋण की रकम							
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम[3,4,5,13,15]							
ब्याज का प्रकार[6]							
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो							
आधारिक दर, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[7]							
मार्जिन, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[8]	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	
क्या कोई कैपस/फ्लोर है[9]							
यदि उपरोक्त हां है तो कैपस/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें							
विलम्बन अवधि[10]							
.... से प्रभावी विलम्बन अवधि							
प्रतिसंदाय अवधि[11]							
.... से प्रभावी प्रतिसंदाय अवधि							
प्रतिसंदाय आवृत्ति[12]							
प्रतिसंदाय किस्त[13,14]							
आधारिक विनिमय दर[16]							
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है							
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें[17]							
	विभिन्न परियोजनाओं को ऋण पैकेजों का विवरण						
परियोजना का नाम						कुल	

परियोजना 1							
परियोजना 2							
परियोजना 3 और उससे आगे							

1 ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण किया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एफसीआई, पीएफसी आदि ।

2 ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस$ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि ।

3 विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.09 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे ।

4 क्या ऋण पुनर्वित किया गया है, पुनर्वित ऋणं के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने है । तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप मे पृथक रूप से दिए जाने है ।

5 यदि विभिन्न यूनिटो मे टैरिफ के लिए पृथक् रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप मे सभी यूनिटो के लिए पृथक रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने है ।

6 ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या अल्पकालिक है, अभिप्रेत है ।

7 आधारिक दर से पीएलआर, एलआईबीओआर आदि के रूप मे आधार अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है । निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखो पर लागू आधारिक दर को भी संलग्न किया जाए ।

8 मार्जिन से अतिरिक्त अल्पकालिक दर अभिप्रेत है ।

9 समय पर कैप्स/फ्लोर उस पर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं हैं ।

10 विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं है ।

11 प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है ।

12 प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत हैं जिस पर ऋण मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप में दिया जाना है ।

13 जहां ऋण के लिए निकासी/प्रतिसंदाय अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक रूप से भी दी जाए ।

14 यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकड़ो से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक रूप से दी जाए ।

15 विदेशी ऋण की दशा मे प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए ।

16 आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को शेष आस्तियो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है ।

17 हेजिंग की दशा मे, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करे ।

18 ट्रयूंग अप के समय, सुसंगत पुनःनियत तारीख (यदि कोई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है ।

19 ट्रयूंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुर्नवित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करे । उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसको पुर्नवित्त किया गया है, पुर्नवित्त ऋण की रकम, पुर्नवित्त ऋण के निबंधन तथा शर्ते, पुर्नवित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररूप-9

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का ब्यौरा

कंपनी का नाम
ऊर्जा केन्द्र का नाम
वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

क्रम सं	वर्ष	अंतिम तारीख/अंतिम तारीख के बाद वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् जोड़े गए संकर्म/उपस्कर	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् जोड़े गए संकर्म/उपस्कर	पूंजीकृत/पूंजीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित रकम	क्या उपस्कर का बीमा किया गया है तथा बीमा आगमों से दावा की गई रकम	वह विनियम जिसके अधीन दावा किया गया है	न्यायोचित	स्वीकृत लागत[1]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुल							

1 यदि परियोजना पूरा कर ली गई है और भारत सरकार द्वारा कोई टैरिफ अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है, तो (प्राधिकरण का नाम) द्वारा पहले ही जारी की गई टैरिफ अधिसूचना के प्रयोजन के लिए यथा स्वीकृत लागत देते हुए स्तंभ 9 को भरे (टैरिफ आदेश की प्रति संलग्न करे) ।

टिप्पण :

1. प्ररूप को क्रमानुसार वर्ष-वार भरे जिसमे फायदाग्राहियो की आवश्यकता और प्रोद्भूत लाभ का ब्यौरा स्पष्ट रूप से दर्शित करें ।
2. यदि आरंभिक पुर्जे किसी भी उपस्कर के साथ क्रय किए जाते है तो ऐसे पुर्जो की लागत पृथक् रूप से उपदर्शित की जानी चाहिए अर्थात् रोटर, 50 करोड़, आरंभिक पुर्जे - 5 करोड़ ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररुप - 9क

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

पूंजी लागत का विवरण

(सुसंगत तारीख तथा वर्षवार के लिए दिया जाना है)

		सुसंगत तारीख को[1]
अ	क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त अ(क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त अ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त अ(क) में सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
आ	क) अवधि के दौरान अतिरिक्त कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त आ(क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त आ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त आ(क) में सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
इ	क) बहियों के अनुसार अंतिम कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त इ(क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त इ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त इ(क) में सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	

1. सुसंगत तारीख/तारीखों से केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ तथा समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2

प्ररुप - 9ख

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

चालू पूंजी संकर्म का विवरण

(सुसंगत तारीख तथा वर्षवार के लिए दिया जाना है)

		सुसंगत तारीख को[1]
अ	**क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक सीडब्ल्यूआईपी रकम**	
	ख) उपरोक्त मे पूंजी दायित्वो की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
आ	**क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में जोड/समायोजन**	
	ख) उपरोक्त मे पूंजी दायित्वो की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
इ	**क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी की नियत आस्ति का पूंजीकरण/अंतरण**	
	ख) उपरोक्त मे पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
ई	**क) बहियों के अनुसार अंतिम सीडब्ल्यूआईपी रकम**	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वो की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	

1. सुसंगत तारीखों से यूनिट/यूनिटों की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ तथा समाप्त् होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2

प्ररुप - 10

अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्त पोषण

कंपनी का नाम : ....

ऊर्जा केंद्र का नाम : ....

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख : ....

(रुपए लाख में)

	वास्तविक					स्वीकृत				
वित्तीय वर्ष (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से आरंभ)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संकर्म/उपस्कर मे पूंजीकृत रकम										
वित्तीय ब्यौरे										
ऋण-1										
ऋण-2										
ऋण-3 और उससे आगे										
कुल ऋण[2]										
ईक्विटी										
आंतरिक संसाधन										
अन्य										
कुल										

1. वर्ष 1 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करता है और वर्ष 2 तथा वर्ष 3 आदि क्रमशः पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष है ।

2. अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीकरण को पूरा करने वाले ऋण के ब्यौरे प्ररुप 7 या 8, जो भी सुसंगत हो, के अनुसार दिए जाने चाहिए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररूप - 11

अवक्षयण दर की संगणना

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	आस्तियों का नाम	31.3.2009 को या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को, जो भी बाद में हो, तथा 31.3.2013 तक तत्पश्चात् 31.3.2013 तक प्रत्येक वर्ष के लिए पश्चात्वर्ती कुल ब्लॉक	के वि वि आ की अवक्षयण दर अनुसूची के अनुसार अवक्षयण दर	31.3.2014 तक प्रत्येक वर्ष के लिए अवक्षयण रकम
	1	2	3	4 = स्तंभ 2 x 3
33.	भूमि			
34.	भवन			
35.	और उससे आगे			
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				

भाग - 1

प्ररुप - 12

अवक्षयण का विवरण

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष	2000-01 तक[1]	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पूंजी लागत का अवक्षयण														
अतिरिक्त पूंजीकरण पर अवक्षयण														
अतिरिक्त पूंजीकरण की रकम														
अवक्षयण रकम														
एफईआरवी के ब्यौरे														
एफईआरवी की वह रकम जिस पर अवक्षयण प्रभारित किया गया है														
अवक्षयण रकम														

वर्ष के दौरान प्राप्त अवक्षयण															
वर्ष के दौरान वसूले गए अवक्षयण के लिए अग्रिम															
वर्ष के दौरान वसूला गया अवक्षयण तथा अग्रिम के लिए अवक्षयण															
वर्ष तक वसूल किए गए संचयी अवक्षयण और अग्रिम के लिए अवक्षयण															

1. यदि 2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ का आयोग द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है तो 2004-09 तक टैरिफ में वसूले गए अवक्षयण को उसी प्ररुप में पृथक् रूप से समर्थक ब्यौरों सहित वर्ष-वार ब्यौरों के साथ दिया जाए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररूप - 13

वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना'

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
	ऋण-1						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - अंतिम						
	औसत कुल ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋण - 2						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - अंतिम						
	औसत कुल ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋण 3 और उससे आगे						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - अंतिम						
	औसत कुल ऋण						

	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	कुल ऋण						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - अंतिम						
	औसत कुल ऋण						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर						

1. विदेशी ऋण की दशा में, इसे भारतीय रुपए में संगणना करके प्रस्तुत किया जाना है । तथापि, मूल मुद्रा की संगणना इसी प्ररुप में पृथक् रूप से प्रस्तुत की जानी है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररुप - 13क

मानकीय ऋणों पर ब्याज की संगणना

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
कुल मानकीय ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक मानकीय ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
कुल मानकीय ऋण - आरंभिक						
वर्ष के दौरान एसीई के कारण वृद्धि/कमी						
वर्ष के दौरान मानकीय ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल मानकीय ऋण - अंतिम						
औसत कुल मानकीय ऋण						
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर						
मानकीय ऋण पर ब्याज						

भाग - 2

प्ररुप - 13ख

कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की संगणना

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	रखरखाव पुर्जे						
12.	प्राप्य						
13.	ओ एंड एम व्यय						
14.	कुल कार्यकरण पूंजी						
15.	ब्याज की दर						
16.	कार्यकरण पूंजी पर ब्याज						

याचिकाकर्ता

भाग - 2

प्ररुप -14

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

आईडीसी और वित्त प्रभारों की संगणना के लिए ड्रा डाउन अनुसूची

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	ड्रा डाउन	क्वार्टर 1			क्वार्टर 2			क्वार्टर 3		
	विशिष्टियां	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम
1	ऋण									
1.1	विदेशी ऋण									
1.1.1	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									

	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.2	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.3	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.4	--									
	--									
	--									
1.1	कुल विदेशी ऋण									
	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.2	भारतीय ऋण									
1.2.1	भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन रकम	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	आईडीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त प्रभार	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.2.2	भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन रकम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	आईडीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त प्रभार	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.2.3	भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन रकम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	आईडीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त प्रभार	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.2.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.2	कुल भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन रकम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	आईडीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त प्रभार	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	लिया गया कुल ऋण									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
2	ईक्विटी									
2.1	ली गई विदेशी ईक्विटी									

2.2	ली गई भारतीय ईक्विटी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	लगाई गई कुल ईक्विटी									

टिप्पण : 1. ऋण और ईक्विटी की निकासी अनुसूची को पूरा किए जाने के लिए समरूप आधार पर की जाएगी । शुरू में उच्चतर ईक्विटी की निकासी अनुज्ञेय है ।

2. उपरोक्त संगणना के लिए प्रयुक्त लागू ब्याज दर, जिसमे पुनः नियत तारीख भी है, को पृथक् रूप से दिया जाएगा ।

3. बहु-एकक परियोजना की दशा में, प्रयुक्त पूंजीकरण के ब्यौरों को दिया जाना है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2

प्ररुप -14क

ऊर्जा प्रभारों की संगणना के लिए ईंधन की बाबत प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे/जानकारी'

कंपनी का नाम ....

ऊर्जा केंद्र का नाम ....

वास्तविक नकद व्यय

	क्वार्टर-1	क्वार्टर-2	क्वार्टर-3	क्वार्टर-एन (सीओई)
ठेकेदार/फायदाग्राहियों को संदाय				
नियोजित निधि का %				

टिप्पण : यदि संदाय तथा नियोजित निधि के बीच कोई अंतर होता है तो औचित्य प्रदान करें ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2

प्ररूप-15क

प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों की संगणना

कंपनी का नाम

ऊर्जा केन्द्र का नाम

(लाख रुपए में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2003-04 से 2007-08	2008-09	2009-10	वेतन वृद्धि के साथ 2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केस 1: 2003-04 से 2007-08 के लिए उपलब्ध ओएंडएम आकंड़े													
(वास्तविक आंकड़े के आधार पर ओएंडएम आधार)													
(क) कुल ओएंडएम खर्चे													
(ख) प्रसामान्य ओएंडएम खर्चे													
- अतिरिक्त सुरक्षा खर्चे													
- सिलिटेशन													
- अतिरिक्त कर्मचारिवृंद													
- कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)													
(ग) (क-ख)	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	क	पी6	पी7	पी8	पी9	पी10	पी11	पी12
2007-08 की कीमत स्तर पर औसत सामान्यीकृत ओएंडएम की संगणना	(पी1) x (ईएस सी)	(पी2) x (ईएस सी)	(पी3) x (ईएस सी)	(पी1) x (ईएस सी)	(पी5)	औसत(पी1-पी5)	क x (ईएस सी)	क x (ईएस सी)	पी7x .35x.5 पी7	(पी8) x (ईएस सी)	(पी8) x (ईएस सी)	(पी8) x (ईएस सी)	(पी8) x (ईएस सी)
वृद्धि दर (ईएससी) %	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17		5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	
केस 2 : ऐसे नए केन्द्र जिनके लिए 2003-04 से 2007-08 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं													
कमीशनिंग का वर्ष													
ओएंडएम आधार की संगणना XX		एन1	एन2	एन3	एन4	एन	एन5	एन6		एन7	एन8	एन9	एन10

कमीशनिंग 2004-05 का माना गया वर्ष		परियोजना लागत x 02 x दिनों की संख्या/365	एनx (ईएससी)	एनx (ईएससी)	एन4	औसत (एन1-एन4)	एनx (ईएससी)	एनx (ईएससी)		एनx (ईएससी)	एनx (ईएससी)	एनx (ईएससी)	एनx (ईएससी)

केस 1

* प्रसामान्य ओएंडएम खर्चे जैसे

-घुसपैठ के कारण सुरक्षा खर्चे (सामान्य सुरक्षा से भिन्न)

केस-2

** वर्ष 2005-06 के दौरान नए केंद्र के लिए वृद्धि अनुपातिक आधार पर होगी

-पी1.पी2.........पी5 वर्ष 2003-04, 2004-05 .... 2007-08 में दावा किए गए वास्तविक ओएंडएम खर्चे हैं ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2

प्ररूप-15ख

प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों के ब्यौरे

कंपनी का नाम

ऊर्जा केन्द्र का नाम

	मद	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
	1	2	3	4	5	6
(अ)	**ओएंडएम खर्चों का ब्यौरा**					
1	भंडार तथा पुर्जों की खपत					
2	मरम्मत तथा रखरखाव					
3	बीमा					
4	सुरक्षा					
5	प्रशासनिक खर्चे					
क	किराया					
ख	विद्युत प्रभार					
ग	यात्रा तथा वाहन					
घ	संचार खर्चे					
ङ	विज्ञापन					
च	नींव रखने तथा उदघाटन					
छ	संदाय					
ज	मनोरंजन					
	उप-योग (प्रशासनिक खर्चे)					
6	**कर्मचारी लागत**					
क	वेतन मजदूरी तथा भत्ता					
ख	कर्मचारी कल्याण खर्चे					
ग	उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन					
घ	बीआरएस संबंधी खर्चे					
ङ	एक्स-ग्रेसिया					
	उप-योग कर्मचारी लागत					
7	भंडार की हानि					

8	प्रावधान					
9	कारपोरेट कार्यालय व्यय आबंटन					
10	अन्य विनिर्दिष्ट मदें					
11	(कुल 1 से 10)					
12	राजस्व/वसूलियां, यदि कोई हो					
13	अन्य खर्चे					
(आ)	कर्मचारियों की संख्या के ब्यौरे					
	i) कार्यपालक					
	ii) गैर कार्यपालक					
	iii) कुशल					
	iv) अकुशल					
	कुल					

टिप्पण

i) विभिन्न कृत्यकारी गतिविधियों के कारपोरेट खर्चों के आबंटन तथा संनिर्माण के दौरान प्रत्येक प्रचालित केंद्र और केंद्रों की ऊर्जा उत्पादन से संबंधित कारपोरेट खर्चों के आबंटन को स्पष्ट विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

ii) दिए गए शीर्षों के अधीन ओएंडएम में 2% से अधिक की वार्षिक वृद्धि को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए ।

iii) आंकड़े संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर होने चाहिए ।

iv) वर्ष 2003-04 के पूर्व अवधि से संबंधित बकाया के ब्यौरों को, पृथक् रूप से दर्शित करना चाहिए

v) प्रत्येक वर्ष वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की संख्या उपदर्शित की जानी चाहिए

vi) प्रसामान्य खर्चों, यदि कोई हो, के ब्यौरे पृथक् रूप से दिए जाएंगे

vii) वे पुनरीक्षित/बकायों के लिए वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान कर्मचारी लागत में किए गए मासिकवार उपबंध पृथक रूप से दिए जाएंगे ।

याचिकाकर्ता

चालू खर्चों का ब्यौरा (कारपोरेट स्तर पर)

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	मदें	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
(अ)	कारपोरेट खर्चे का ब्यौरा (कंपनी स्तर पर योग)					
1	कर्मचारी खर्चे					
क	वेतन मजदूरी तथा भत्ता					
ख	कर्मचारी कल्याण खर्चे					
ग	उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन					
घ	वीआरएस संबंधी खर्चे					
ङ	एक्स-ग्रेसिया					
2	प्रशासनिक खर्चे					
क	मरम्मत तथा रखरखाव					
ख	प्रशिक्षण तथा भर्ती					
ग	संचार					
घ	यात्रा तथा वाहन					
ङ	किराया					
च	अन्य (मद विनिर्दिष्ट करें)					
	उप-योग (प्रशासनिक खर्चे)					
3	सुरक्षा					

4	संदान					
5	उपबंध					
6	अन्य (मद विनिर्दिष्ट करें)					
7	योग (1 से 6)					
8	कम वसूलियां, यदि कोई हो					
9	कुल कारपोरेट खर्चे (योग)					
(आ)	विभिन्न कृत्यकारी गतिविधियों जैसे कारपोरेट खर्चों का आबंटन					
1	ऊर्जा केन्द्र					
2	परियोजना प्रबंधन/निर्माणाधीन परियोजनाएं					
3	परामर्शी कारबार					
4	कोई अन्य					
	टिप्पण : उपरोक्त उपदर्शित शीर्ष दृष्टांकित है । उत्पादन कंपनी अपनी कंपनी की विभिन्न कृत्यकारी गतिविधियों में आबंटन को प्रस्तुत करे					
(इ)	विभिन्न उत्पादन केन्द्रों के ऊर्जा उत्पादन की कृत्यकारी गतिविधियों से संबंधित कारपोरेट खर्चों का आबंटन					
1	उत्पादन केन्द्र 1					
2	उत्पादन केन्द्र 2					
3	उत्पादन केन्द्र 3					
	कुल					
(ई)	**कर्मचारियों की संख्या के ब्यौरे**					
	i) कार्यपालक					
	ii) गैर कार्यपालक					
	iii) कुशल					
	iv) अकुशल					
	कुल					

i) दिए गए शीर्षों के अधीन ओएंडएम खर्चों में 20% से अधिक की वार्षिक वृद्धि को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए

ii) आंकड़े संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर होने चाहिए

iii) वर्ष 2003-04 के पूर्व अवधि से संबंधित बकाया के ब्यौरों को पृथक रूप से दर्शित करना चाहिए

iv) प्रत्येक वर्ष वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की संख्या उपदर्शित की जानी चाहिए

v) प्रसामान्य खर्चों, यदि कोई हो, के ब्यौरे पृथक् रूप से दिए जाएंगे

vi) वे पुनरीक्षित/बकायों के लिए वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान कर्मचारी लागत में किए गए मासिक-वार उपबंध पृथक रूप से दिए जाएंगे ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2
प्ररूप-16क

डिजाइन ऊर्जा और व्यस्ततम क्षमता (मासिक-वार)-तालाब/भंडारण आकार के नए केन्द्रों के साथ आरओआर

उत्पादन कंपनी ....
हाउड्रो उत्पादन केन्द्र का नाम ....
संस्थापित क्षमता : यूनिटों की संख्या x मेगावाट =

मास		डिजाइन ऊर्जा** (एमयूएस)	डिजाइन व्यस्ततम क्षमता (मेगावाट)*
अप्रैल	I		
	II		
	III		
मई	I		
	II		
	III		
जून	I		
	II		
	III		
जुलाई	I		
	II		
	III		
अगस्त	I		
	II		
	III		
सितम्बर	I		
	II		
	III		
अक्तूबर	I		
	II		
	III		
नवम्बर	I		
	II		
	III		
दिसम्बर	I		
	II		
	III		
जनवरी	I		
	II		
	III		
फरवरी	I		
	II		
	III		
मार्च	I		
	II		
	III		
कुल			

* डीपीआर/सीईए के टीईसी के अनुसार, तारीख ....

टिप्पण :
उन व्यस्ततम घंटो को विनिर्दिष्ट करें जिनके लिए केन्द्र की डिजाइन की गई है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 2

प्ररूप-16ख

डिजाइन ऊर्जा तथा मेगावाट निरंतर (मासिक-वार)-आरओआर आकार के केन्द्र

उत्पादन कंपनी ....

हाउड्रो उत्पादन केन्द्र का नाम ....

संस्थापित क्षमता : यूनिटों की संख्या x मेगावाट =

मास		डिजाइन ऊर्जा* (एमयू)	मेगावाट निरंतर*
अप्रैल	I		
	II		
	III		
मई	I		
	II		
	III		
जून	I		
	II		
	III		
जुलाई	I		
	II		
	III		
अगस्त	I		
	II		
	III		
सितम्बर	I		
	II		
	III		
अक्तूबर	I		
	II		
	III		
नवम्बर	I		
	II		
	III		
दिसम्बर	I		
	II		
	III		
जनवरी	I		
	II		
	III		
फरवरी	I		
	II		
	III		
मार्च	I		
	II		
	III		
कुल			

* डीपीआर/सीईए के टीईसी के अनुसार, तारीख ....

याचिकाकर्ता

परिशिष्ट - 3

भाग - 3

टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (पारेषण)

भाग-3

पारेषण प्रणाली केन्द्रों के लिए टैरिफ फाइल करने के वाले प्ररूप और

अन्य जानकारी/दस्तावेजों की जांच-सूची

प्ररूप सं.	टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (ताप) का शीर्षक	टिक
प्ररूप-1	सारांश शीट	
प्ररूप-2	पारेषण लाइनों तथा उप-केंद्रों के ब्यौरे	
प्ररूप-3	टैरिफ की संगणना के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर	
प्ररूप-4	विदेशी ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप-4क	विदेशी ईक्विटी के ब्यौरे	
प्ररूप-5	विद्यमान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूंजी लागत का सारांश	
प्ररूप-5क	प्राक्कलित पूंजी लागत का सारांश और नई परियोजना को स्थापित करने की अनुसूची	
प्ररूप-5ख	पारेषण प्रणाली के लिए परियोजना लागत का घटक-वार ब्यौरे	
प्ररूप-5ग	संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेजों के ब्यौरे	
प्ररूप-5घ	घटक-वार लागत के ब्यौरे	
प्ररूप-6	सीओडी तक वित्तीय पैकेज	
प्ररूप-7	परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे	
प्ररूप-8	विभिन्न पारेषण घटकों को कारपोरेट ऋण के आबंटन के ब्यौरे	
प्ररूप-9	सीओडी के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण	
प्ररूप-9क	पूंजी लागत का विवरण	
प्ररूप-9ख	सीडब्ल्यूआईपी का विवरण	
प्ररूप-10	अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्तपोषण	
प्ररूप-11	अवक्षयण दर की संगणना	
प्ररूप-12	अवक्षयण का विवरण	
प्ररूप-13	वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना	
प्ररूप-13क	मानकीय ऋण पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप-13ख	कामकाज पूंजी पर ब्याज की संगणना	
प्ररूप-14	आईडीसी और वित्तीय प्रभारों की संगणना के लिए ड्रा-डाउन अनुसूची	

अन्य जानकारी/दस्तावेज		
क्र.सं.	जानकारी/दस्तावेज	टिक
1.	समामेलन का प्रमाणपत्र, कारबार आरंभ करने का प्रमाणपत्र, संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद (के.वि.वि.आ. को पहली बार टैरिफ के लिए आवेदन करने वाली कंपनी द्वारा स्थापित नए केन्द्रों के लिए)	
2.	नए केन्द्रों और सुसंगत वर्षों के लिए केन्द्र के सीओडी पर सभी अनुसूचियों और परिशिष्टियों सहित केन्द्र वार और कारपोरेट संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखे	
3.	सुसंगत ऋण करारों की प्रतियों	
4.	पूंजी लागत और वित्तीय पैकेज के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतियां	
5.	विदेशी ईक्विटी के लिए ईक्विटी भागीदारी करार और आवश्यक अनुमोदन की प्रतियां	
6.	फायदाग्रहियों, यदि कोई हों, के साथ बी.पी.टी.ए./टीएसए की प्रतियां	
7.	समय और अधिक लागत, यदि लागू हो को देने वाले कारणों का ब्यौरे-वार टिप्पण	
8.	कोई अन्य सुसंगत जानकारी (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

टिप्पण : याचिका की इलैक्ट्रानिक प्रति (फारमेट शब्दों में) तथा इन फारमेटों (एक्सेल फारमेट) के अनुसार संगणना के ब्यौरे तथा कोई अन्य जानकारी सी.डी/फ्लापी डिस्क के रूप में भी प्रस्तुत की जाएगी ।

भाग - 3

प्ररूप- 1

सारांश शीट

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

क्षेत्र का नाम :

परियोजना का नाम :

पारेषण घटकों का नाम :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां		विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2		3	4	5	6	7	8
1	अवक्षयण							
2	ऋण पर ब्याज							
3	रिर्टन आन ईक्विटी[1]							
4	कामकाज पूंजी पर ब्याज							
5	प्रवालन और रख-रखाव व्यय							
	कुल							

1 संगणना के ब्यौरे विनियम के अनुसार विचार किए गए इक्विटी के साथ प्रस्तुत किए जाने है ।

याचिकाकर्ता

पारेषण लाइनों और उप-केन्द्रों के ब्यौरे

भाग - 3
प्ररूप - 2

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम ______________________

क्षेत्र का नाम ______________________

परियोजना का नाम ______________________

पारेषण घटकों का नाम ______________________

पारेषण लाइन

क्रम स0	लाइन का नाम	लाइन का प्रकार एसी / एचवीडीसी	एस/सी या डी/सी	सब-कंडेक्टरो की संख्या	वोल्टता स्तर कि.वा.	लाइन की लबाई सीकेटी कि.मी.	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	वर्तमान याचिका में सम्मिलित	
								हा/नही	यदि नहो, तो याचिका स0
1									
2									
3									
4									

उपकेन्द्र

क्रम स0	उप-केन्द्र का नाम	उप-केन्द्र का प्रकार पारम्परिक/जीआईएस /एचवीडीसी टर्मिनल /एचवीडीसी बैक-टू-बैक	वोल्टता स्तर कि.वा.	ट्रासफार्मर रिएक्टरो / एसवीसी आदि (क्षमता सहित) की स0	बेजो की स0				वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	वर्तमान याचिका में सम्मिलित	
					765 के.वी	400 के.वी	220 केवी	132 केवी और उससे निम्न		हा/नहीं	यदि नहीं, तो याचिका स0
1											
2											
3											
4											

याचिकाकर्ता

भाग - 3

प्ररूप - 3

टैरिफ संगणना के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम ______________________

क्षेत्र का नाम ______________________

परियोजना का नाम ______________________

पारेषण संघटकों का नाम ______________________

मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष

	यूनिट	यथाविद्यमान					
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
रिटर्न ईक्विटी की आधार दर	%						
कर दर	%						
लक्ष उपलब्धता	%						
मानकीय ओएंडएम प्रति सीकेटी.केएम	रु0 लाख						
मानकीय ओएंड एम प्रति बे	रु0 लाख						
ओएंड एम के % के रूप में डब्ल्यू सी के लिए पुर्जे	%						
डब्ल्यूसी के लिए मास में प्राप्य	मास						
—— को एस्बीआई की मुख्य उधार दर	%						

1. कृपया सुसंगत तारीख लिखें ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3
प्ररूप - 4

विदेशी ऋण के ब्यौरे

(याचिका के अधीन परियोजना को लागू ऋणों के संबंध में ब्यौरे)

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :
वाणिज्यिक प्रचलन की तारीख को विनिमय दर :
31.3.2009 को विनिमय दर :

(रकम लाखों में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रारंभ)	वर्ष 1				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)
	मुद्रा1[1]												
क.1	निकासी की तारीख पर[2]												
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख	हेजिंग की दशा में[3]												
1	हेजिंग की दर पर												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												
	मुद्रा2[1]												
क.1	निकासी की तारीख पर[2]												
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसदाय तारीख												

3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख	हेजिंग की दशा में[3]												
1	हेजिंग की तारीख												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												
	मुद्रा[1] और उससे आगे												
क.1	निकासी की तारीख पर[2]												
2	मूल की अनुसूचित प्रतिसंदाय तारीख												
3	ब्याज की अनुसूचित संदाय तारीख												
4	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर												
ख	हेजिंग की दशा में[3]												
1	हेजिंग की तारीख												
2	हेजिंग की अवधि												
3	हेजिंग की लागत												

1 मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस $ डी एम, आदि में उल्लिखित किया जाना है ।
2 वर्ष में एक से अधिक निकासी की दशा में, प्रत्येक निकासी की तारीख को मुद्रा की दर दी जानी है ।
3 वर्ष के दौरान एक से अधिक हेजिंग या भाग हेजिंग की दशा में, हेजिंग के ब्यौरे, प्रत्येक हेजिंग के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं ।
4 यथा लागू (जैसे रोका गया कर) के ब्यौरे, जिसमें कर में परिवर्तन भी सम्मिलित है, वह तारीख जिससे परिवर्तन हुआ है स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3
प्ररूप - 4क

विदेशी ईक्विटी के ब्यौरे

(याचिका के अधीन परियोजना को लागू ऋणों के संबंध में ब्यौरे)

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :
इंफ्यूजन की तारीख को मुद्रा विनिमय दर :

(रकम लाखों में)

	वित्तीय वर्ष	वर्ष 1				वर्ष 2				वर्ष 3 और उससे आगे			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)	तारीख	रकम (विदेशी मुद्रा)	विनिमय दर	रकम (रू)
क. 1	मुद्रा1[1]												
2	इंफ्यूजन की तारीख पर												
3													
4													
ख.	मुद्रा2[1]												
1	इंफ्यूजन की तारीख पर												
2													
3													
क.1	मुद्रा3[1]												
2	इंफ्यूजन की												

	तारीख पर												
3													
4													
ख	मुद्रा4 और उससे आगे												
1	इन्फ्यूजन की तारीख पर												
2													
3													

1 मुद्रा का नाम, अर्थात् यूएस $ डी एम, आदि में उल्लिखित किया जाना है ।

2 वर्ष के दौरान एक से अधिक कर ईक्विटी इंफ्यूजन की दशा में, प्रत्येक इंफ्यूजन की तारीख को मुद्रा की दर दी जानी है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3
प्ररूप - 5

विद्यमान परियोजनाओं के लिए स्वीकृत पूंजी लागत का सारांश

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

के.वि.वि.आ. द्वारा यथास्वीकृत पूंजी लागत	
.... को स्वीकृत पूंजी लागत	
(के.वि.वि.आ. के सुसंगत आदेश का याचिका सं. और तारीख सहित संदर्भ दें)	
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस $ या सुसंगत मुद्रा में)	
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए विचार किए गए विदेशी मुद्रा दर	
स्वीकृत पूंजी लागत के लिए हेजिंग लागत, यदि कोई हो,	
स्वीकृत कुल पूंजी लागत (रूपए करोड़ में)	

याचिकाकर्ता

भाग - 3
प्ररूप - 5क

नई परियोजनाओं के लिए प्राक्कलित्र पूंजी लागत तथा कमीशनिंग की अनुसूची का सारांश

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

नई परियोजनाएं
प्राक्कलित पूंजी लागत

प्राक्कलित पूंजी लागत को अनुमोदित करने वाला निदेशक बोर्ड/अभिकरण :		
प्राक्कलित पूंजी लागत के अनुमोदन की तारीख :		
	वर्तमान दिन लागत	संपूर्ण लागत
अनुमोदित प्राक्कलन की कीमत स्तर	.... वर्ष ... तिमाही की समाप्ति के अनुसार	केन्द्र की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के अनुसार
पूंजी लागत प्राक्कलित के लिए विचार किए गए विदेशी मुद्रा दर		
पूंजी लागत आईडीसी और एफसी को छोड़कर		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस $ या सुसंगत मुद्रा मे)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ मे)		
पूंजी लागत, आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर (रूपए करोड़ में)		
आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस $ या सुसंगत मुद्रा मे)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		
कुल आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत (रूपए करोड़ में)		
विचार किए गए करो और शुल्कों की दर		

पूंजी लागत जिसमें आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत भी हैं		
विदेशी संघटक, यदि कोई हो, (मिलियन यू.एस. $ या सुसंगत मुद्रा में)		
घरेलू संघटक (रूपए करोड़ में)		
पूंजी लागत, जिसमें आईडीसी तथा एफसी भी है(रूपए करोड़ में)		
लगाए जाने की अनुसूची		
यूनिट 1/ब्लाक 1 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख		
यूनिट 2/ब्लाक 2 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख		
....		
....		
अंतिम यूनिट/ब्लाक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख		

टिप्पण :

1. अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए ।
2. पूंजी लागत के ब्यौरे यथालागू प्ररूप 5ख या 5ग के अनुसार दिए जाने हैं ।
3. आईडीसी और वित्तीय प्रभारों के ब्यौरे प्ररूप 14 के अनुसार दिए जाने हैं ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3
प्ररूप - 5ख

पारेषण प्रणाली के लिए परियोजना लागत के घटक-वार ब्यौरे

पारेषण अनुज्ञप्तियों का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

क्रम सं.	ब्रेक डाउन	लागत करोड़ रुपए में			अंतर	अंतर के लिए कारण	स्वीकृत लागत
		मूल प्राक्कलन के अनुसार	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को	/उपबंध			
1	2	3	4	5	6 = (3-4-5)	7	8
क	पारेषण लाइन						
1.0	प्रारंभिक संकर्म						
1.1	डिजाइन और इंजीनियरिंग						
1.2	प्रारंभिक निरीक्षण, मार्गाधिकार, वन निर्बाधन, पीटीसीसी साधारण सिविल संकर्म, आदि						
1.3	कुल प्रारंभिक संकर्म						
2.0	पारेषण लाइन सामग्री						
2.1	टावर्स इस्पात						
2.2	कन्डक्टर						
2.3	अर्थ, तार						
2.4	इंसुलेटर						
2.5	हार्डवेयर फिटिंग						
2.6	कन्डक्टर और अर्थ तार सामग्री						
2.7	पुर्जे						
2.8	निर्माण, तार बंदी और सिविल संकर्म जिसमें नींव भी सम्मिलित हैं						
2.9	पारेषण लाइन सामग्री का योग						

3.0	कर और शुल्क						
3.1	सीमा शुल्क						
3.2	अन्य कर और शुल्क						
	कुल कर और शुल्क						
	कुल - पारेषण लाइनें						
ख	**उप-केन्द्र**						
4.0	**प्रारंभिक संकर्म और भूमि**						
4.1	डिजाइन और इंजीनियरिंग						
4.2	भूमि						
4.3	स्थल की तैयारी						
	प्रारंभिक संकर्म और भूमि						
5.0	**सिविल संकर्म**						
5.1	नियंत्रण कक्ष और कार्यालय भवन, जिसमें एचवीएसी भी है						
5.2	नगर और कालोनी						
5.3	सड़क और मल निकासी						
5.4	संरचना के लिए नींव						
5.5	प्रकीर्ण सिविल संकर्म						
	कुल सिविल संकर्म						
6.0	**उपकेन्द्र उपस्कर**						
6.1	स्विच गियर (सी.टी.,पी.टी., सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर, आदि)						
6.2	ट्रांसफार्मर्स						
6.3	क्षतिपूरक उपस्कर (रिएक्टर, एसवीसी आदि)						
6.4	नियंत्रण, रिले और संरक्षण पैनल						
6.5	पीएलसीसी						
6.6	एचवीडीसी पैकेज						

6.7	बस-बार/कन्डक्टर्स/इन्सुलेटर्स						
6.8	बाहरी प्रकाश						
6.9	आपातकालीन डी.जी.सेट						
6.10	ग्राउडिंग प्रणाली						
6.11	स्विचयार्ड के लिए संरचना						
	कुल उप-केन्द्र उपस्कर						
7.0	**पुर्जे**						
8.0	**कर और शुल्क**						
8.1	सीमा-शुल्क						
8.2	अन्य कर और शुल्क						
8.3	**कुल कर और शुल्क**						
	कुल (उपकेन्द्र)						
9.0	संनिर्माण और लगाए जाने के पूर्व के खर्चे						
9.1	स्थल पर्यवेक्षण और स्थल प्रशासन आदि						
9.2	औजार और संयंत्र						
9.3	संनिर्माण बीमा						
	कुल संनिर्माण और लगाए जाने के पूव खर्चे						
10.0	शीर्ष						
10.1	स्थापना						
10.2	संपरीक्षा और लेखा						
10.3	आकस्मिकता						
	कुल शीर्ष						
11.0	बिना कुल लागत (संयंत्र तथा उपस्कर) की परियोजना लागत						

12.0	कुल लागत (संयंत्र तथा उपस्कर)							
12.1	संनिर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)							
12.2	वित्त प्रभार (एफसी)							
12.3	विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन (एफईआरवी)							
12.4	हेजिंग लागत							
13.0	**परियोजना लागत जिसमें आईडीसी, एफसी एईआरवी तथा हेजिंग लागत भी सम्मिलित है**							

1. अधिक समय तथा लागत लगने की दशा में, ऐसे अधिक समय तथा कारणों को देने वाला एक विस्तृत टिप्पण उत्तरदायी अभिकरण को स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए और चाहे अधिक समय और लागत उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से परे हो ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3

प्ररूप - 5ग

संनिर्माण/प्रदाय/सेवा पैकेजों का ब्यौरा

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

क्षेत्र का नाम :

पारेषण घटकों का नाम :

परियोजना का नाम :

क्रम सं.	नाम/ संनिर्माण सं./प्रदाय सेवा पैकेज	कार्य की परिधि[1] (यथा लागू लागत के शीर्ष के आधार पर)	क्या आईसीबी/डीसीबी/ विभागीय/ निक्षेप कार्य आदि के माध्यम से प्रदान किया गया है	प्राप्त बोली की संख्या	प्रदान करने की तारीख	कार्य प्रारंभ करने की तारीख	कार्य को पूरा करने की तारीख	कार्य का मूल्य[2] (रुपए करोड़ में)	मूल्य वृद्धि के साथ फर्म	पूरा होने या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख, जो भी पहले हो, तक वास्तविक व्यय (रुपए करोड़ में)	कर तथा शुल्क तथा आईईडीसी	आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत	उप-योग

1 किसी भी पैकेज में कार्य की परिधि संभावित सीमा तक प्ररूप 5ख में लागत की ब्यौरेवार पुष्टि में उपदर्शित की जाएगी ।

2 यदि यहां कोई ऐसा पैकेज हो, जिसे भारतीय रुपए और विदेशी मुद्रा में दर्शित किए जाने की आवश्यकता है, तो उसे विनिमय दर और वह तारीख जैसे 1 4 2007 को यूएस $= 40 रुपए पर 80 करोड़ रुपए + यूएस $ 50एम = 280 करोड़ रुपए के साथ पृथक रूप से दर्शित किया जाना चाहिए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3
प्ररूप - 5घ

परियोजना के घटक-वार लागत के ब्यौरे

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण लाइनें :

क्रम सं.	लाइन का नाम	आनुपातिक अनुमोदित लागत (रुपए लाखों मे)	पूरा करने की लागत(रुपए लाखो मे)	वर्तमान याचिका मे सम्मिलित	
				हां/नहीं	यदि नहीं, तो याचिका सं.
1					
2					
3					
4					
-					
-					
-					

उप-केन्द्र

क्रम सं.	उप-केन्द्र का नाम	आनुपातिक अनुमोदित लागत (रुपए लाखों मे)	पूरा करने की लागत (रुपए लाखों मे)	वर्तमान याचिका मे सम्मिलित	
				हां/नहीं	यदि नहीं, तो याचिका सं.
1					
2					
3					
4					
-					
-					
-					

याचिकाकर्ता

भाग - 3
प्ररूप - 6

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक वित्तीय पैकेज

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :
वा.प्र. की तारीख को परियोजना लागत[1]
पारेषण घटक के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख[2]

(रूपए लाखों में)

	यथा अनुमोदित वित्तीय पैकेज		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को वित्तीय पैकेज		वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को यथास्वीकृत	
	मुद्रा और रकम[3]		मुद्रा और रकम[3]		मुद्रा और रकम[3]	
1	2	3	4	5	6	7
ऋण - 1	यूएस $	200एम				
ऋण - 2						
ऋण - 3						
और उससे आगे						
ईक्विटी						
विदेशी						
घरेलू						
कुल ईक्विटी						
उधार : ईक्विटी अनुपात						

1 अर्थात् यूएस $ 200मि.+ 400 करोड़ रुपए या 1यूएस $ = 48 रु. की विनिमय दर पर 1360 करोड़ रुपए जिसमें यूएस $ 200मि. भी है ।
2 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अंतिम यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन अभिप्रेत है ।
3 उदाहरणार्थ : यूएस $ 200मि. आदि ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3
प्ररूप - 7

परियोजना विनिर्दिष्ट ऋण के ब्यौरे

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

(रूपए लाखों में)

विशिष्टियां	पैकेज1	पैकेज2	पैकेज 3	पैकेज4	पैकेज5	पैकेज6
1	2	3	4	5	6	7
ऋण का स्रोत[1]						
मुद्रा[2]						
स्वीकृत ऋण की रकम						
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम[3,4,5,13,15]						
ब्याज का प्रकार[6]						
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो						
आधारिक दर, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[7]						
मार्जिन, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[8]	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं
क्या कोई कैपस/फ्लोर है[9]						
यदि उपरोक्त हां है तो कैपस/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें						
विलम्बन अवधि[10]						
.... से प्रभावी विलम्बन अवधि						
प्रतिसंदाय अवधि[11]						
.... से प्रभावी प्रतिसंदाय						
प्रतिसंदाय आवृत्ति[12]						
प्रतिसंदाय किस्त[13,14]						
आधारिक विनिमय दर[16]						
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है						
यदि उपरोक्त हां हो तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें[17]						

1 ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण लिया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एफसीआई, पीएफसी आदि ।

2 ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस$ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि ।

3 विद्यमान आस्तियो के लिए 31.3.2009 को और शेष आस्तियो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे ।

4 क्या ऋण पुनर्वित किया गया है, पुनर्वित ऋण के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने है । तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप में पृथक रूप से दिए जाने हैं ।

5 यदि विभिन्न यूनिटों में टैरिफ के लिए पृथक रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप में सभी यूनिटों के लिए पृथक रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं ।

6 ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या अल्पकालिक है, अभिप्रेत है ।

7 आधारिक दर से पीएलआर, एलआईबीओआर आदि के रूप में आधार अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है । निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों पर लागू आधारिक दर को भी संलग्न किया जाए ।

8 मार्जिन से अतिरिक्त अल्पकालिक दर अभिप्रेत है ।

9 समय पर कैप्स/फ्लोर उस पर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं है ।

10 विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं हैं ।

11 प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है ।

12 प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत हैं जिस पर ऋण मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप में दिया जाना है ।

13 जहां ऋण के लिए निकासी/प्रतिसंदाय अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक् रूप से भी दी जाए ।

14 यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकड़ों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक् रूप से दी जाए ।

15 विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए ।

16 आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है ।

17 हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें ।

18 ट्रयूंग अप के समय, सुसंगत् पुनःनियत तारीख (यदि कोई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है ।

19 ट्रयूंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुर्नवित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें । उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसको पुर्नवित्त किया गया है, पुर्नवित्त ऋण की रकम, पुर्नवित्त ऋण के निबंधन तथा शर्तें, पुर्नवित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3

प्ररूप - 8

परियोजना विभिन्न पारेषण घटकों को कारपोरेट ऋणों के आबंटन के ब्यौरे

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

(रूपए लाखों में)

विशिष्टियां	पैकेज1	पैकेज2	पैकेज 3	पैकेज4	पैकेज5	पैकेज6	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
ऋण का स्रोत[1]							
मुद्रा[2]							
स्वीकृत ऋण की रकम							
31.3.2009/वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक लिए गए कुल ऋण की रकम[3,4,5,13,15]							
ब्याज का प्रकार[6]							
नियत ब्याज दर, यदि लागू हो							
आधारिक दर, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[7]							
मार्जिन, यदि अल्पकालिक ब्याज हो[8]							
क्या कोई कैपस/फ्लोर है[9]	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	
यदि उपरोक्त हां है तो कैपस/फ्लोर को विनिर्दिष्ट करें							
विलम्बन अवधि[10]							
.... से प्रभावी विलम्बन अवधि							
प्रतिसंदाय अवधि[11]							
.... से प्रभावी प्रतिसंदाय अवधि							
प्रतिसंदाय आवृत्ति[12]							
प्रतिसंदाय किस्त[13,14]							
आधारिक विनिमय दर[16]							
क्या विदेशी मुद्रा ऋण को हेज किया गया है							
यदि उपरोक्त हां हो, तो ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें[17]							
विभिन्न पारेषण घटकों के ऋण पैकेज का विवरण							
पूर्वी क्षेत्र							

पारेषण घटक 1							
पारेषण घटक 2 और उससे आगे							
कुल							
पश्चिमी क्षेत्र							
पारेषण घटक 1							
पारेषण घटक 2 और उससे आगे							
कुल							
उत्तरी क्षेत्र							
पारेषण घटक 1							
पारेषण घटक 2 और उससे आगे							
कुल							
दक्षिणी क्षेत्र							
पारेषण घटक 1							
पारेषण घटक 2 और उससे आगे							
कुल							
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र							
पारेषण घटक 1							
पारेषण घटक 2 और उससे आगे							
कुल							
आएलडीसी							
कुल							

1 ऋण के स्रोत से वह अभिकरण अभिप्रेत है जिससे ऋण किया गया है जैसे डब्ल्यूबी, एडीबी, डब्ल्यूएमबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एफसीआई, पीएफसी आदि ।

2 ऋण की मुद्रा में निर्दिष्ट मुद्रा जैसे यूएस$ डीएम, येन, भारतीय रुपए आदि ।

3 विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.09 को और शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे ।

4 क्या ऋण पुनर्वित किया गया है, पुनर्वित ऋण के लिए प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं । तथापि, मूल ऋण के ब्यौरे इसी प्ररूप में पृथक रूप से दिए जाने हैं ।

5 यदि विभिन्न यूनिटों में टैरिफ के लिए पृथक् रूप से दावा किया जाता है तो उसी प्ररूप में सभी यूनिटों के लिए पृथक रूप से प्ररूप में ब्यौरे दिए जाने हैं ।

6 ब्याज प्रकार से चाहे ब्याज नियत है या अल्पकालिक है, अभिप्रेत है ।

7 आधारिक दर से पीएलआर, एलआईबीओआर आदि के रूप में आधार अभिप्रेत है जिस पर मार्जिन को जोड़ा जाना है । निकासी की तारीख से विभिन्न तारीखों पर लागू आधारिक दर को भी संलग्न किया जाए ।

8 मार्जिन से अतिरिक्त अल्पकालिक दर अभिप्रेत है ।

9 समय पर कैप्स/फ्लोर उस पर प्रस्तुत किए जाने हैं जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं हैं ।

10 विलम्बन अवधि से वह अवधि निर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान ऋण की सहायता दायित्व अपेक्षित नहीं है ।

11 प्रतिसंदाय अवधि से ऋण का जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि में प्रतिसंदाय अभिप्रेत है ।

12 प्रतिसंदाय आवृत्ति से ऐसे अंतराल अभिप्रेत हैं जिस पर ऋण मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि के रूप में दिया जाना है ।

13 जहां ऋण के लिए निकासी/प्रतिसंदाय अधिक है वहां प्रत्येक निकासी/प्रतिसंदाय की तारीख और रकम पृथक रूप से भी दी जाए ।

14 यदि प्रतिसंदाय, किस्त की रकम और प्रतिसंदाय तारीख उपरोक्त दिए गए आंकड़ों से नहीं दी जा सकती है वहां प्रतिसंदाय अनुसूची पृथक रूप से दी जाए ।

15 विदेशी ऋण की दशा में प्रत्येक निकासी और प्रतिसंदाय उस तारीख को विनिमय दर के साथ दिया जाए ।

16 आधारिक विनिमय दर से विद्यमान आस्तियों के लिए 31.3.2009 को शेष आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर अभिप्रेत है ।

17 हेजिंग की दशा में, हेजिंग के प्रकार, हेजिंग की अवधि, हेजिंग की लागत, आदि जैसे ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें ।

18 ट्रयूंग अप के समय, सुसंगत पुनःनियत तारीख (यदि कोई हो) के साथ ब्याज की दर को पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाना है ।

19 ट्रयूंग अप के समय, पहले विचार किए गए ऋण के पुर्नवित्त के ब्यौरे प्रस्तुत करें । उस तारीख को ऐसे ब्यौरे जिसको पुर्नवित्त किया गया है, पुर्नवित्त ऋण की रकम, पुर्नवित्त ऋण के निबंधन तथा शर्तें, पुर्नवित्त के लिए उपगत वित्त तथा अन्य प्रभार आदि ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3

प्ररूप - 9

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

क्षेत्र का नाम :

पारेषण घटक का नाम :

परियोजना का नाम :

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख :

क्रम सं.	वर्ष	अंतिम तारीख तक/अंतिम तारीख के बाद वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात् जोड़े गए संकर्म/उपस्कर	पूंजीकृत/ पूंजीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित रकम	यथा प्रस्तावित न्यायोचित्य	किस विनियम के अधीन सम्मिलित है	स्वीकृत लागत[1]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	कुल					

1 यदि परियोजना पूरा कर ली गई है और कोई टैरिफ अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है, तो (प्राधिकरण का नाम) द्वारा पहले ही जारी की गई टैरिफ अधिसूचना के प्रयोजन के लिए यथा स्वीकृत लागत देते हुए स्तंभ 7 को भरें (टैरिफ आदेश की प्रति संलग्न करें) ।

टिप्पण :

1. प्ररूप को क्रमानुसार वर्ष-वार भरें जिसमें फायदाग्राहियों की आवश्यकता और प्रोद्भूत लाभ का ब्यौरा स्पष्ट रूप से दर्शित करें ।

2. यदि आरंभिक पुर्जे किसी भी उपस्कर के साथ क्रय किए जाते हैं तो ऐसे पुर्जों की लागत पृथक् रूप से उपदर्शित की जानी चाहिए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3
प्ररुप - 9क

पूंजी लागत का विवरण

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

(सुसंगत तारीख तथा वर्षवार के लिए दिया जाना है)

		सुसंगत तारीख को[1]
अ	क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त अ(क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त अ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त अ(क) में सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
आ	क) अवधि के दौरान अतिरिक्त कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त आ(क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त आ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त आ(क) में सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	
इ	क) बहियों के अनुसार अंतिम कुल ब्लॉक रकम	
	ख) उपरोक्त इ(क) में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त इ(क) में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
	घ) उपरोक्त इ(क) में सम्मिलित आईईडीसी की रकम (आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत को छोड़कर)	

1. सुसंगत तारीख/तारीखों से केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ तथा समाप्त् होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3

प्ररुप - 9ख

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

क्षेत्र का नाम :

परियोजना का नाम :

पारेषण घटकों का नाम :

चालू पूंजी संकर्म का विवरण

(सुसंगत तारीख तथा वर्षवार के लिए दिया जाना है)

		सुसंगत तारीख को[1]
अ	**क) बहियों के अनुसार प्रारंभिक सीडब्ल्यूआईपी रकम**	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
आ	**क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में जोड़/समायोजन**	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
इ	**क) अवधि के दौरान सीडब्ल्यूआईपी की नियत आस्ति का पूंजीकरण/अंतरण**	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	
ई	**क) बहियों के अनुसार अंतिम सीडब्ल्यूआईपी रकम**	
	ख) उपरोक्त में पूंजी दायित्वों की रकम	
	ग) उपरोक्त में सम्मिलित आईडीसी, एफसी, एफईआरवी तथा हेजिंग लागत की रकम	

1. सुसंगत तारीखों से यूनिट/यूनिटों की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा आरंभ तथा समाप्त् होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3
प्ररुप - 10

अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्त पोषण

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

(रुपए लाख में)

	प्रक्षेपित/वास्तविक					स्वीकृत				
वित्तीय वर्ष (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से आरंभ)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5 और उससे आगे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संकर्म/उपस्कर में पूंजीकृत रकम										
वित्तीय ब्यौरे										
ऋण-1										
ऋण-2										
ऋण-3 और उससे आगे										
कुल ऋण[2]										
ईक्विटी										
आंतरिक संसाधन										
अन्य										
कुल										

1. वर्ष 1 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के वित्तीय वर्ष को निर्दिष्ट करता है और वर्ष 2 तथा वर्ष 3 आदि क्रमशः पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष है ।

2. अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीकरण को पूरा करने वाले ऋण के ब्यौरे प्ररुप 7 या 8, जो भी सुसंगत हो, के अनुसार दिए जाने चाहिए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3

प्ररुप - 11

अवक्षयण दर की संगणना

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

क्षेत्र का नाम :

परियोजना का नाम :

पारेषण घटकों का नाम :

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	आस्तियों का नाम	31.3.2009 को या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को जो भी बाद में हो तथा 31.3.2013 तक तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष के लिए पश्चात्वर्ती कुल ब्लॉक	के वि वि आ की अवक्षयण दर अनुसूची के अनुसार अवक्षयण दर	31.3.2014 तक प्रत्येक वर्ष के लिए अवक्षयण रकम
	1	2	3	4 = स्तंभ 2 x 3
65.	भूमि			
66.	भवन			
67.	और उससे आगे			
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				
76.				
77.				
78.				
79.				
80.				
81.				
82.				

83.				
84.				
85.				
86.				
87.				
88.				
89.				
90.				
91.				
92.				
93.				
94.				
95.				
96.				
	कुल			
	अवक्षयण भारित औसत दर (%)			

1. आस्तियों के नाम अधिसूचना से संलग्न अवक्षयण अनुसूची में उल्लिखित आस्तियों के विवरण के अनुसार होने चाहिए ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3

प्ररूप - 12

अवक्षयण का विवरण

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष	2000-01 तक'	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पूंजी लागत का अवक्षयण														
अतिरिक्त पूंजीकरण पर अवक्षयण														
अतिरिक्त पूंजीकरण की रकम														
अवक्षयण रकम														
एफईआरवी के ब्यौरे														
एफईआरवी की वह रकम जिस पर अवक्षयण प्रभारित														

किया गया है														
अवक्षयण रकम														
वर्ष के दौरान प्राप्त अवक्षयण														
वर्ष के दौरान वसूले गए अवक्षयण के लिए अग्रिम														
वर्ष के दौरान वसूला गया अवक्षयण तथा अग्रिम के लिए अवक्षयण														
वर्ष तक वसूल किए गए संचयी अवक्षयण और अग्रिम के लिए अवक्षयण														

1. यदि 2004-09 की अवधि के लिए टैरिफ का आयोग द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है तो 2004-09 तक टैरिफ में वसूले गए अवक्षयण को उसी प्ररुप मे पृथक् रूप से समर्थक ब्यौरो सहित वर्षवार ब्यौरो के साथ दिया जाए ।

2. एफईआरवी तथा एएडी के ब्यौरो की दशा मे, लागू अवधि के लिए जानकारी दे ।

याचिककर्ता

भाग - 3
प्ररुप - 13

वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर की संगणना[1]

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
	ऋण-1						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - अंतिम						
	औसत कुल ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋण - 2						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - अंतिम						
	औसत कुल ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋण 3 और उससे आगे						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						

	घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - अंतिम						
	औसत कुल ऋण						
	वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर						
	ऋण पर ब्याज						
	कुल ऋण						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	पिछले वर्ष तक ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - आरंभिक						
	जोड़े : वर्ष के दौरान निकासी						
	घटाएं : वर्ष के दौरान ऋणों का प्रतिसंदाय						
	कुल ऋण - अंतिम						
	औसत कुल ऋण						
	ऋण पर ब्याज						
	ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर						

1. विदेशी ऋण की दशा में, इसे भारतीय रुपए में संगणना करके प्रस्तुत किया जाना है । तथापि, मूल मुद्रा की संगणना इसी प्ररुप में पृथक् रूप से प्रस्तुत की जानी है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3
प्ररुप - 13क

मानकीय ऋणों पर ब्याज की संगणना´

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7
कुल मानकीय ऋण - आरंभिक						
पिछले वर्ष तक मानकीय ऋणों का संचयी प्रतिसंदाय						

1	2	3	4	5	6	7
कुल मानकीय ऋण - आरंभिक						
वर्ष के दौरान एसीई के कारण वृद्धि/कमी						
वर्ष के दौरान मानकीय ऋणों का प्रतिसंदाय						
कुल मानकीय ऋण - अंतिम						
औसत मानकीय ऋण						
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर						
मानकीय ऋण पर ब्याज						

याचिककर्ता

भाग - 3

प्ररुप - 13ख

कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की संगणना

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	विद्यमान 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	ओ एंड एम व्यय						
18.	रखरखाव पुर्जे						
19.	प्राप्य						
20.	कुल कार्यकरण पूंजी						
21.	ब्याज की दर						
22.	कार्यकरण पूंजी पर ब्याज						

याचिकाकर्ता

भाग - 3

प्ररुप -14

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :

क्षेत्र का नाम :

परियोजना का नाम :

पारेषण घटकों का नाम :

आईडीसी और वित्त प्रभारों की संगणना के लिए ड्रा डाउन अनुसूची

(रुपए लाख मे)

क्रम सं.	ड्रा डाउन	क्वार्टर 1			क्वार्टर 2			क्वार्टर 3		
	विशिष्टियां	विदेशी मुद्रा मे मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए में रकम	विदेशी मुद्रा मे मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए मे रकम	विदेशी मुद्रा में मात्रा	निकासी की तारीख को विनिमय दर	भारतीय रुपए मे रकम
1	**ऋण**									
1.1	**विदेशी ऋण**									
1.1.1	विदेशी ऋण[1]									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.2	विदेशी ऋण[2]									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.3	विदेशी ऋण[3]									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									

	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.1.4	--									
	--									
	--									
1.1	**कुल विदेशी ऋण**									
	विदेशी ऋण									
	ड्रा डाउन रकम									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
1.2	**भारतीय ऋण**									
1.2.1	**भारतीय ऋण**[1]									
	ड्रा डाउन रकम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	आईडीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त प्रभार	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.2.2	भारतीय ऋण[2]									
	ड्रा डाउन रकम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	आईडीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त प्रभार	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.2.3	भारतीय ऋण[3]									
	ड्रा डाउन रकम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	आईडीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	वित्त प्रभार	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	कुल भारतीय ऋण									
	ड्रा डाउन रकम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आईडीसी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	वित्त प्रभार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	लिया गया कुल ऋण									
	आईडीसी									
	वित्त प्रभार									
	विदेशी मुद्रा दर फेरफार									
	हेजिंग लागत									
2	ईक्विटी									
2.1	ली गई विदेशी ईक्विटी									
2.2	ली गई भारतीय ईक्विटी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	लगाई गई कुल ईक्विटी									

टिप्पण : 1. ऋण और ईक्विटी की निकासी अनुसूची को पूरा किए जाने के लिए समरूप आधार पर की जाएगी । शुरू में उच्चतर ईक्विटी की निकासी अनुज्ञेय है ।

2. उपरोक्त संगणना के लिए प्रयुक्त लागू ब्याज दर, जिसमें पुनः नियत तारीख भी है, को पृथक् रूप से दिया जाएगा ।

3. बहु-एकक परियोजना की दशा में, प्रयुक्त पूंजीकरण के ब्यौरों को दिया जाना है ।

याचिकाकर्ता

भाग - 3

प्ररुप -14क

ऊर्जा प्रभारों की संगणना के लिए ईंधन की बाबत प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे/जानकारी[1]

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का नाम :
क्षेत्र का नाम :
परियोजना का नाम :
पारेषण घटकों का नाम :

वास्तविक नकद व्यय

	क्वार्टर-1	क्वार्टर-2	क्वार्टर-3	क्वार्टर-एन (सीओई)
ठेकेदार/फायदाग्राहियों को संदाय				
नियोजित निधि का %				

टिप्पण : यदि संदाय तथा नियोजित निधि के बीच कोई अंतर होता है तो औचित्य प्रदान करें ।

याचिकाकर्ता

परिशिष्ट - 2

परियोजनाओं के पूरा करने के लिए समय-सीमा

(विनियम 15 को निर्दिष्ट करें)

1. पूरा करने की समय-अनुसूची को, यथास्थित, बोर्ड या सीसीईए निकासी द्वारा विनिवेश अनुमोदन की तारीख से यथा लागू यूनिटों, पारेषण परियोजना के ब्याज या घटक के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक माना जाएगा ।

2. समय-अनुसूची को निम्नलिखित पैराओं तथा सारणी में मास में उपदर्शित किया गया है ।

अ. थर्मल ऊर्जा परियोजनाएं

कोयला/लिग्नाइट ऊर्जा संयंत्र

200/210/250/300/350 मेगावाट और 125 मेगावाट सीएफबीसी तकनीकी

(क) ग्रीन फिल्ड परियोजना के लिए 33 मास । प्रत्येक 4 मास के अंतरालों पर पश्चात्वर्ती यूनिट ।

(ख) विस्तारित परियोजनाओं के लिए 31 मास । प्रत्येक 4 मास के अंतरालों पर पश्चात्वर्ती यूनिट ।

250 मेगावाट सीएफबीसी तकनीकी आकार के यूनिटें

(क) ग्रीन फिल्ड परियोजना के लिए 36 मास । प्रत्येक 4 मास के अंतरालों पर पश्चात्वर्ती यूनिट ।

(ख) विस्तारित परियोजनाओं के लिए 34 मास । प्रत्येक 4 मास के अंतरालों पर पश्चात्वर्ती यूनिट ।

500/600 मेगावाट आकार के यूनिटें

(क) ग्रीन फिल्ड परियोजना के लिए 44 मास । प्रत्येक 6 मास के अंतरालों पर

पश्चात्वर्ती यूनिट ।

(ख) विस्तारित परियोजनाओं के लिए 42 मास । प्रत्येक 6 मास के अंतरालों पर पश्चात्वर्ती यूनिट ।

660/800 मेगावाट आकार के यूनिटें

(क) ग्रीन फिल्ड परियोजना के लिए 52 मास । प्रत्येक 6 मास के अंतरालों पर पश्चात्वर्ती यूनिट ।

(ख) विस्तारित परियोजनाओं के लिए 50 मास । प्रत्येक 6 मास के अंतरालों पर पश्चात्वर्ती यूनिट ।

संयुक्त साईकल ऊर्जा संयंत्र

100 मेगावाट तक के आकार के गैस टर्बाइन (आईएसओ रेटिंग)

(क) ग्रीन फिल्ड परियोजना के पहले ब्लॉक के लिए 26 मास । प्रत्येक 2 मास के अंतरालों पर पश्चात्वर्ती ब्लॉक ।

(ख) विस्तारित परियोजनाओं के पहले ब्लॉक के लिए 24 मास । प्रत्येक 2 मास के अंतरालों पर पश्चात्वर्ती यूनिट ।

100 मेगावाट और उससे ऊपर के आकार के गैस टर्बाइन (आईएसओ रेटिंग)

(क) ग्रीन फिल्ड परियोजना के पहले ब्लॉक के लिए 30 मास । प्रत्येक 4 मास के अंतरालों पर पश्चात्वर्ती ब्लॉक ।

(ख) विस्तारित परियोजनाओं के पहले ब्लॉक के लिए 28 मास । प्रत्येक 4 मास के अंतरालों पर पश्चात्वर्ती यूनिट ।

आ. हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाएं

हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए अर्हित समय-अनुसूची अधिनियम की धारा 8 के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी मूल सहमति में यथाकथित होगी :—

ग पारेषण परियोजनाएं

मास में अर्हित समय-अनुसूची

क्रम सं.	पारेषण कार्य	समतल क्षेत्र (मास)	पहाड़ी क्षेत्र (मास)	हिमबाधित क्षेत्र @ /बहुत ही जटिल क्षेत्र (मास)
क.	765 केवी एस/सी पारेषण लाइन	30	36	40
ख.	+/- 500 केवी एचवीडीसी पारेषण लाइन	24	30	34
ग.	400 केवी डी/सी क्वार्ड पारेषण लाइन	32	38	42
घ.	400 केवी डी/सी ट्रिपल पारेषण लाइन	30	36	40
ङ.	400 केवी डी/सी दोहरी (ट्विन) पारेषण लाइन	28	34	38
च.	220 केवी डी/सी दोहरी पारेषण लाइन	24	30	34
छ.	220 केवी एस/सी दोहरी पारेषण लाइन	28	34	38
ज.	220 केवी डी/सी पारेषण लाइन	24	30	34
झ.	220 केवी एससी पारेषण लाइन	20	26	30
ञ.	नई 220 केवी एसी उप-केंद्र	18	21	24
ट.	नई 400 केवी एसी उप-केंद्र	24	27	30
ठ.	नई 765 केवी एसी उप-केंद्र	30	34	$
ड.	एचवीडीसी बाई-पोल टर्मिनल	36	38	-
ढ.	एचवीडीसी बैक-टू-बैक	26	28	-

@ अर्थात् लेह, लद्दाख

$ से 765 केवी उप-केंद्र जटिल क्षेत्र में सुयोजित किया गया है ।

टिप्पण :

(i) यदि स्कीम परियोजना के उपरोक्त उल्लिखित प्रभारों का संमिश्रण है तो अधिकतम समय अवधि वाली गतिविधि की अर्हित समय-अनुसूची पर स्कीम के लिए पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा ।

(ii) यदि पारेषण लाइन सपाट तथा पहाड़ी क्षेत्र/हिमबाधित क्षेत्र/बहुत जटित क्षैत्रों में पड़ती है तो संयुक्त अर्हित समय अनुसूची की संगणना प्रत्येक क्षेत्र में आने वाली लाइन की लंबाई के आनुपातिक भारिता देते हुए की जाएगी ।

परिशिष्ट - 3

अवक्षयण अनुसूची

क्रम सं.	आस्ति की विशिष्टियां	अवक्षयण दर (सालवेज मूल्य = 10%)
		एसएलएम
अ.	पूर्ण स्वामित्व में भूमि	0.00%
ब.	पट्टे पर ली गई भूमि	
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	क्लीरिंग स्थल की लागत	3.34%
(ग)	हाइड्रो उत्पादन केंद्र की दशा में जलाशय के लिए भूमि	3.34%
ई.	खरीदी गई नई आस्तियां	
(क)	उत्पादन स्टेशनों में संयंत्र एवं मशीनरी	
(i)	जल विद्युत	5.28%
(ii)	स्टीम- विद्युत एन.एच.आर.एस. एवं वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर	5.28%
(iii)	डीजल-विद्युत एवं गैस संयंत्र	5.28%

(ख)	कूलिंग टावर एवं चक्करदार जल प्रणाली	5.28%
(ग)	जल . विद्युत के भाग के रूप में जलीय कार्य जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं	
(i)	बांध, स्पिलवे वियर, नहर-पुनः पक्के, फ्लूमेल एवं साइफन	5.28%
(ii)	पुनः पक्की की गई पाइप लाइन, एवं सर्ज (टैंक) जलीय नियंत्रण वाल्व एवं अन्य जलीय कार्य	5.28%
(घ)	भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
(i)	कार्यालय एवं शोरुम	3.34%
(ii)	तापीय-विद्युत उत्पादन संयंत्र	3.34%
(iii)	जल-विद्युत उत्पादन संयंत्र	3.34%
(iv)	लकड़ी से बने अस्थाई खड़ी संरचना	100.00%
(v)	कच्ची सड़क से भिन्न सड़कें	3.34%
(vi)	अन्य	3.34%
(ङ)	ट्रांसफार्मर्स, कियोस्क उप-स्टेशन उपकरण एवं अन्य नियत उपस्कर	
(i)	ट्रांसफार्मर नींव सहित 100 कि. वोल्ट एम्पियर एवं ऊपर के रेटिंग वाले	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
(च)	स्विचगियर, केबल कनेक्शन सहित	5.28%
(छ)	लाइटनिंग अरेस्टर	
(i)	स्टेशन टाइप	5.28%
(ii)	पोल टाइप	5.28%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेसर	5.28%
(ज)	बैटरी	5.28%
(i)	ज्वाइन्ट बॉक्स तथा डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%
(झ)	सपोर्ट सहित आवर हेड लाइन	
(i)	66 के.वी. से अधिक के नामिनल वोल्टेज पर फैब्रिकेटेड स्टील प्रचालन पर लाइनें	5.28%

(ii)	13.2 कि. वाट से अधिक, लेकिन 66 किलोवाट से अधिक नहीं, नामिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट प्रचालन पर लाईन	5.28%
(iii)	स्टील या इन्फोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट्स लाइनें	5.28%
(iv)	शोधित लकड़ी सपोर्ट्स पर लाइनें	5.28%
(ञ)	मीटर	5.28%
(ट)	सेल्फ प्रोपेल्ड वेहिकल	9.50%
(ठ)	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्टेटिक	5.28%
(ii)	पोर्टेबल	9.50%
(ड) (i)	कार्यालय फर्नीचर एवं साज-सज्जा	6.33%
(ii)	कार्यालय उपस्कर	6.33%
(iii)	फिटिंग एवं साधित्रों सहित आंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाइन की फिटिंगें	5.28%
(ढ)	किराये पर लिए गए उपस्कर	
(i)	मोटर के अलावा	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
(ण)	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो एवं उच्च बारम्बारता कैरियर प्रणाली	6.33%
(ii)	टेलीफोन लाइन एवं टेलीफोन	6.33%
(त)	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर	15.00%
(थ)	कोई अन्य आरित जो उपरोक्त सम्मिलित नहीं है	5.28%

परिशिष्ट 4

किसी मास के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक की संगणना करने की प्रक्रिया

1. प्रत्येक एसी और एचवीडीसी पारेषण प्रणाली के लिए किसी कलेंडर मास हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (टीएएफएम) को संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संगणित किया जाएगा, संबंधित आरएलडीसी द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा संबद्ध क्षेत्र की क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्य-सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और पारेषण प्रभारों के अंशःभाजन के अनुसार समुहबद्ध किया जाएगा ।

2. प्रतिशत में टीएएफएम (100-100 x एनएएफएम) के समतुल्य होगा, जहां एनएएफएम किसी पारेषण प्रणाली/उप-प्रणाली के लिए किसी मास हेतु प्रति यूनिट में अनुपब्धता कारक है ।

3. एसी प्रणालियों/उप प्रणालियों के लिए एनएएफएम को निम्नलिखित रूप में संगणित किया जाएगा :

एल टी

एनएएफएम = [(ओएच$_1$ x सीकेटीकेएम$_1$ x एनएससी$_1$) + Σ (ओएच$_{टी}$ x एमवीए$_{टी}$ x 2.5)

1 = 1 टी = 1

आर एल

(ओएच$_{आर}$ x एमवीएआर$_{आर}$ x 4) ÷ टीएचएम x [Σ (सीकेटीकेएम$_1$ x

आर = 1 1 = 1

टी आर

एनएससी$_1$) + Σ (एमवीए$_{टी}$ x 2.5) + Σ (एमवीएआर$_{आर}$ x 4)]

टी = 1 आर = 1

जहां,

आई किसी पारेषण लाइन सर्किट की पहचान करता है

टी किसी ट्रांसफार्मर/आईसीटी की पहचान करता है

आर किसी बस रिएक्टर, स्विचेबल लाइन रिएक्टर या एसवीसी की पहचान करता है

एल = लाइन सर्किटों की कुल संख्या

टी = ट्रांसफार्मर और आईसीटी की कुल संख्या

आर = किसी बस रिएक्टर, स्विचेबल लाइन रिएक्टर या एसवीसी की कुल संख्या

ओएच = किसी मास में आउटेज घंटे या अनुलपब्धता के घंटे, जिसमें पारेषण अनुज्ञप्तिधारक की वजह से न होने वाले आउटेज की अवधि को, यदि कोई हो, खंड (5) के अनुसार सम्मिलित नहीं किया गया है

सीकेटीकेएम = पारेषण लाइन सर्किट की किलोमीटर में लंबाई

एनएससी = प्रति फेज उप-संचालकों की संख्या

एमवीए = किसी ट्रांसफार्मर/आईसीटी की एमवीए रेटिंग

एमवीएआर = किसी बस रिएक्टर, स्विचेबल लाइन रिएक्टर या एसवीसी की एमवीएआर रेटिंग (जिस दशा में यह इंडेक्टिव और कपेसीटिव क्षमताओं का योग होगी)

टीएचएम = किसी मास में कुल घंटे

4. प्रत्येक एचवीडीसी प्रणाली के लिए एनएएफएम को निम्नलिखित रूप में पृथक् रूप से संगणित किया जाएगा :

एनएएफएम =

जहां

टीसीआर = प्रणाली की मेगावाट में पारेषण क्षमता में आने वाली कमी है

आरसी = प्रणाली की मेगावाट में रेटिड क्षमता है

उपरोक्त प्रयोजन के लिए, किसी एचवीडीसी प्रणाली के एचवीडीसी टर्मिनलों और प्रत्यक्ष रूप से सहबद्ध इएचवी/एचवीडीसी लाइनों को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में लिया जाएगा ।

5. निम्नलिखित कारणों से आउटेज के अधीन पारेषण तत्वों को उपलब्ध माना जाएगा :

ii. किसी अन्य पारेषण स्कीम के तत्वों के अनुरक्षण या संनिर्माण के लिए लिया गया शट डाउन । यदि अन्य पारेषण स्कीम पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की है तो सदस्य-सचिव, आरपीसी मानी गई उपलब्धता अवधि को उस अवधि तक निर्बंधित कर सकेगा जो उसके द्वारा अंतवर्लित संकर्म के लिए युक्तियुक्त समझी जाए ।

iii. आरएलडीसी के निदेशों के अनुसार आधिक्य वोल्टता को निर्बंधित करने के लिए और स्विचड रिएक्टरों की मानवीय ट्रिपिंग को रोकने के लिए स्विच आफ करना ।

6. निम्नलिखित आकस्मिताओं के लिए पारेषण तत्वों के आउटेज समय को विचाराधीन अवधि में तत्वों के कुल समय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

i. प्राकृतिक आपदाओं और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे प्राकृतिक घटनाओं के कारण तत्वों का आउटेज । तथापि, सदस्य-सचिव, आरपीसी का यह समाधान करने का उत्तरदायित्व पारेषण अनुज्ञप्तिधारक का होगा कि तत्व आउटेज पूर्वोक्त घटनाओं के कारण था और न कि किसी डिजाइन असफलता के कारण । सदस्य-सचिव, आरपीसी द्वारा तत्वों के लिए एक युक्तियुक्त मरम्मत समय पर विचार किया जाएगा और युक्तियुक्त समय से परे तत्वों को पुनः स्थापित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा लिए गए किसी अतिरिक्त समय को पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के कारण लगने वाले आउटेज समय के रूप में माना जाएगा । सदस्य-सचिव, आरपीसी युक्तियुक्त पुनः स्थापन समय का प्राक्कलन करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारक या किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर सकेगा । ईआरएस (आपातकालीन पुनः स्थापना प्रणाली) के माध्यम से पुनः स्थापित किए गए सर्किटों को उपलब्ध के रूप में माना जाएगा ।

ii. पारेषण अनुज्ञप्तिधारक की वजह से न होने वाली किसी ग्रिड घटना/बाधा द्वारा कारित आउटेज, उदाहरणार्थ ग्रिड बाधाओं के कारण किसी अन्य अभिकरण के स्वामित्व वाले उपकेंद्रो या बेज में ऐसे दोष जिनके कारण पारेषण अनुज्ञप्तिधारक

के तत्वों का आउटेज और लाइनों, आईसीटी, एचवीडीसी आदि की ट्रिपिंग कारित हुई । तथापि, यदि किसी ग्रिड घटना/बाधा के पश्चात् प्रणाली को सामान्य बनाते समय आरएलडीसी से निदेशों की प्राप्ति पर तत्वों को युक्तियुक्त समय के भीतर पुनः स्थापित नहीं किया जाता है तो तत्वों को पुनः स्थापना के लिए आरएलडीसी के निदेशों के जारी होने के पश्चात् आउटेज की अवधि के लिए उपलब्ध के रूप में नहीं माना जाएगा ।